नवम लोक सभा, खण्ड 7, अंक 51

मंगलवार, 29 मई, 1990
8 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 51 से 53 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 29 मई, 1990/8 ज्येष्ठ, 1912(शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
20	21	"उमा भारती" के स्थान पर "कुमारी उमा भारती" पढ़िये।
22	20	"कुमारी उमा भारत्री" के स्थान पर "कुमारी उमा भारती" पढ़िये।
29	12	"अनुवाद" का लोप करिये।
32	नीचे से 3	"प्रो०पी०आर०कुमारमंगलम" के स्थान पर "श्री पी०आर० कुमारमंगलम" पढ़िये।
32	नीचे से 2	"श्री पी०जे०कुरियन" के स्थान पर "प्रो०पी०जे० कुरियन" पढ़िये।
64	15	"(मुम्बाई उत्तर)" के स्थान पर "(मुम्बई उत्तर)" पढ़िये।
68	8	"श्री जी०एम०बनातवाला" के स्थान पर "श्री जी०एम०बनातवाला" पढ़िये।
70	8	"खण्ड विधेयक में जोड़ दिया गया" के स्थान पर "खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया" पढ़िये।
108	15	"श्री हेपेन्द्र सिंह बनेडा" के स्थान पर "श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 7, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 51, मंगलवार, 29 मई, 1990/8 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1—6
राज्य सभा से सन्देश	6
विधान परिषद विधेयक	7—32
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया	
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	33—34
"बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के रानीगंज नम्बर 2 वर्क्स की रिफ्रैक्टरीज एण्ड सिरेमिक यूनिट्स दुर्गापुर वर्क्स के बन्द होने के बारे में याचिका—प्रस्तुत	35
मंत्री द्वारा वक्तव्य	35—39
इस्पात संबंधी लाइसेंस नीति	
श्री दिनेश गोस्वामी	35—36
नियम 377 के अधीन मामले	40—42
(एक) पूर्वी क्षेत्र की स्थल चयन समिति द्वारा उड़ीसा के पुरी जिले में प्रस्तावित स्थान पर एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की मांग	
श्री गोपी नाथ गजपति	40
(दो) उत्तर प्रदेश की "गोंड", "मांझी" और "पनिका" जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग	
श्री मोहन लाल शिकराम	40

विषय पृष्ठ

(तीन) मीटर गेज रेल लाइन का अगरतला, त्रिपुरा तक विस्तार करने की परियोजना को आठवीं योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग

श्री संतोष मोहन देव 41

(चार) बिहार में सहरसा स्थित दूरदर्शन केन्द्र में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने की मांग

श्री सूर्य नारायण यादव ... ... 41—42

(पांच) उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में एक केन्द्रीय अनुसंधान विश्व-विद्यालय खोले जाने की मांग

श्री एम० एस० पाल 42

(छः) मध्य प्रदेश में, विशेषकर, रतलाम में, विभिन्न रासायनिक उद्योगों के निःस्राव को पेयजल के स्रोतों में गिरने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की मांग

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 42

(सात) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी द्वारा होने वाले भू-कटाव को रोकने के लिए कदम उठाये जाने की मांग

श्री राम कृष्ण यादव ... ... 42—43

(आठ) रेल कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामलों को वापस लिए जाने की मांग

श्री ए० के० राय 43

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक ... 43—71

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सुरेश कोडीकुन्नील ... ... 44—45

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ... ... 45—46

श्री पी० वेंचालैया ... ... 46—48

श्री प्यारे लाल हान्डू ... ... 48—49

श्री सत्यनारायण जटिया ... ... 49—50

विषय		पृष्ठ
श्री एन० डेनिस		50—51
श्रीमती विमल कौर खालसा		51—52
श्री बी० राजारवि वर्मा		52—53
प्रो० के० बी० थामस		53
श्री हरिशंकर महाले		54—55
श्री पीटर जी० मरबनियांग		55
श्री वामनराव महाडीक		55—56
श्री पलास बर्मन		56—58
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा		58
श्री राम विलास पासवान		58—63
खण्डवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री राम विलास पासवान		70
संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक		71—108
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति		74—76
श्री राम धन		77—80
श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा		80—81
श्री उत्तम राठौड़		82—84
श्री नानी भट्टाचार्य		84—86
श्री के० डी० सुल्तानपुरी		86—87
श्री सन्तोष भारतीय		87
श्री छविराम अर्गल		87—90
श्री अरविन्द नेताम		90—91
कुमारी मायावती		91—92
श्री बिरधारी लाल भार्गव		92

विषय				पृष्ठ
श्री राम लाल राही	...	...	...	92—93
श्री प्यारे लाल हान्डू	...	...	...	93—94
श्री हरि शंकर महाले	...	...	...	94—95
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	...	...	95, 102—104
श्री वसन्त साठे	...	...	...	95—99
श्री राम विलास पासवान		...	...	104—108
संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक	...	...	...	109—113
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	...	...	...	109
श्री गुमान मल लोढा	...	...	...	109—113

लोक सभा

मंगलवार, 29 मई, 1990/8 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 13)-संघ सरकार-(वाणिज्यिक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ;

(दो) नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—1022/90]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 13) — संघ सरकार — (वाणिज्यिक) — नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1023/90]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 24(अ), जो 22 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कलकत्ता प्रायोगिक सेवा (हल्दिया डाक परिसर को छोड़कर) (प्रशिक्षण, ग्रेडिंग तथा वरिष्ठता) विनियम, 1990 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1024/90]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 147(अ), जो 20 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पांच राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 22 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 674(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1025/90]

(4) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—1026/90]

(6) (एक) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अन्तर्गत बम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1027/90]

(8) (एक) राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1028/90]

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1029/90]

(11) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कलकत्ता डाक लिपिकीय तथा पर्यवेक्षीय कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 19 9, जो 26 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1958 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1989, जो 26 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1969 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कलकत्ता चिपिंग एण्ड पेंटिंग कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1989, जो 14 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2598 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1989 जो 16 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 3139 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1030/90]

(12) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 680 (अ), जो 30 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इस अधिनियम की उक्त धारा के कतिपय उपबंधों

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

की अपेक्षाओं से ट्रैक्टरों को छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 1 के उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 766 (अ), जो 27 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1990 वह तारीख नियुक्त की गई है जब उक्त नियमों के नियम 115 के उपनियम (2) के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 1 के उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 896 (अ), जो 27 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1991 वह तारीख नियुक्त की गई है जब उक्त नियमों के नियम 115 के उपनियम (3) तथा (4) के उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा 1 अप्रैल, 1992 वह तारीख नियुक्त की गई है जब उक्त नियम के नियम 115 के उपनियम (3) के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 651 (अ) जो 30 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दो एक्सल के रिजिड चैसिस परिवहन यानों का अधिकतम सुरक्षित वहन भार 16.2 टन तथा उक्त 6.0 टन का अधिकतम सुरक्षित भार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट के अन्तर्गत ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में अधिकतम सुरक्षित वहन भार से 15 प्रतिशत अधिक होगा।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1989, जो 28 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 933 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 9 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 132 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—1031/90]

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 5) संघ सरकार (वाणिज्यिक)—राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 5)—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1032/90]

गन्ना उत्पादन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 9136 के 17 मई, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैं श्री नीतीश कुमार की ओर से गन्ना उत्पादन के बारे में श्रीमती बासव राजेश्वरी तथा सर्वश्री प्रकाश वी० पाटिल तथा जी० एस० बासवराज द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9136 के 17 मई, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1033/90]

भारतीय बैंच माप-पद्धति संस्थान (संशोधन) नियम, 1990 और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय बैंच माप-पद्धति संस्थान (संशोधन) नियम, 1990, जो 31 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 150 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-1034/90]

राष्ट्रीय लोक सहकारी तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक सहकारी तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक सहकारी तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती उषा सिंह]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1035/90]

(3) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1036/90]

———

11.02 म०पू०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 28 मई, 1990 को हुई अपनी बैठक में पारित विधान परिषद विधेयक, 1990 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 1990 के जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 मई, 1990 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1990 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 मई, 1990 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

———

11 02½ म० प०

विधान परिषद् विधेयक, 1990

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित, विधान परिषद् विधेयक, 1990 सभा पटल पर रखता हूं।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा सभा पटल पर कुछ विशेष दस्तावेजों के न रखे जाने से हमें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कल हमने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। आप जानते है कि तत्कालीन विपक्ष और इस समय की सरकार के पास कुछ सूचना है जिसके आधार पर वह हमारे दल और हमारे दल के कुछ विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ समय से आरोप लगा रही है। इस सारे समय के दौरान हम इनसे निवेदन करते रहे हैं कि वे सदन को वह सूचना दें, देश को वह सूचना दें जिससे कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जा सके। कभी एक बहाने से, कभी दूसरे से और लगातार भ्रम उत्पन्न करने के लिए सरकार उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने से बच रही है। स्पष्ट है, हमारे दल के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ विशेष नहीं है अन्यथा वे सबसे पहले उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखते और कहते कि यह तथ्य हैं। अब भी, चुनावों के दौरान, उन्होंने कहा था कि 30 दिनों के अन्दर वे सारी सूचना एकत्र करके दे देंगे। अब 30 दिन छः बार बीत चुके है और उन्होंने अब तक उससे अधिक कुछ भी उद्घाटित नहीं किया है, जितना हमने पहले ही कर दिया था। वे स्वीडन से कुछ दस्तावेजों के आने की प्रतीक्षा कर रहे है। उनके पास वह दस्तावेज भी उपलब्ध है। अब, वे कहते है कि स्वीडन की सरकार के साथ हुए समझौते के कारण वे इसे आम नहीं कर सकते, वे इसे सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं। इस पर हम गम्भीर आपत्ति करते है। यह उस प्रस्ताव के कारण है, जो स्वीडन की संसद में पारित किया गया था कि भारत को ये दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। इससे पहले सरकार तैयार नहीं थी। इसे स्वीडन की संसद ने उपलब्ध कराया है। स्वीडन की संसद ने कहा है कि यह उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। किन्तु यह सरकार भारतीय संसद को इस दस्तावेज को उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। हम इस पर आपत्ति करते है। यह सरकार केवल इसे छिपाना चाहती है और लोगों के दिमाग में एक लगातार शंका का एहसास दिलाना चाहती है, जबकि उनके पास दस्तावेज है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कौन कहता है कि कोई शंका है ? (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : आप हमेशा से कहते चले आ रहे है। (व्यवधान) महोदय, सर्वप्रथम हमारी आपत्ति उनके सभा पटल पर विशेष दस्तावेजों के न रखने की है। जो दस्तावेज हमने मांगे थे, ये वो दस्तावेज थे, जो बोफोर्स से सम्बन्धित है और प्रधान मन्त्री के सचिवालय में थे। स्वयं प्रधान मन्त्री द्वारा सदन में वचन दिए जाने के बावजूद सभा को ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए है। सदन के प्रति वचनबद्धता के लिए उनका यही सम्मान है। अब स्वीडन से उन्हें दस्तावेज मिल गए हैं। वे इसे सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं है। यह एक गलत परम्परा की शुरुआत है। कभी एक बहाने से अथवा कभी दूसरे से, यह सरकार संसद के सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हरण कर रही है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया आप याद रखें कि जब आप सरकार में थे तो तब आपने क्या किया था। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : क्या आप इसे दोहराना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : हमने किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से मना नहीं किया है। वास्तव में, हमने इसकी जांच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया था। इसलिए, इस बारे में हमारा रिकार्ड बिलकुल साफ है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : एक संसदीय समिति जिसके सभापति बनाए गए श्री बी० शंकरानन्द। (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : विपक्ष के सदस्यों को इस समिति का सदस्य बनने के लिए आमन्त्रित किया गया था।

प्रश्न यह है कि क्या यह महत्वपूर्ण है कि समिति का मुख्य कौन है या यह महत्वपूर्ण है कि समिति का सदस्य रह कर सूचना प्राप्त की जाए। इसी प्रकार का बहाना उन्होंने पहले बनाया था और इसी प्रकार का बहाना वे लगातार बना रहे हैं। (व्यवधान)

मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरी समस्या यह है कि सरकार के समर्थक कुछ छिपाने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि प्रधान मन्त्री की इस सदन के प्रति वचनबद्धता के अलावा, इस सरकार··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने इसे अपने समय में प्राप्त क्यों नहीं किया था? (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : इसके अलावा, अब जो हो रहा है, स्वीडन से प्राप्त दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखने से सदन के मूलभूत अधिकार··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल उन्होंने कुछ रेस्पोन्ड तो किया था।

[अनुवाद]

मैं सोचता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री श्री पी० उपेन्द्र ने कल आपके प्रश्नों का उत्तर दिया था।

श्री विनेश सिंह : जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था उससे उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों से कहीं अधिक शंकाएं रह गईं। किन्तु, रोचक बात यह है कि उन्होंने किसी प्रकार अखबारों में प्रकाशित करवा दिया कि वे सारी सूचना देने के लिए तैयार हैं। न केवल अखबारों में, बल्कि टी० वी० और रेडियो में भी, जो उनके नियंत्रण में हैं। अब देखिए, वे प्रेस और मीडिया को कितना आजाद बनाना चाहते हैं। यह करने के पश्चात्, यदि वे ईमानदार हैं, तो उन्हें अब वे दस्तावेज सभा पटल पर रख देने चाहिएं। (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : वे कहां हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सत्यपाल जी हैं न।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विनेश सिंह : महोदय, मन्त्री जी के अनुपस्थित होने और इस सभा को सूचना नहीं देने के उनके इरादे को देखते हुए सिर्फ आप ही इस सदन और इसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि वे सभा पटल पर सभी दस्तावेज तुरन्त रख दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे (वर्धा) : सर, आपकी इजाजत से मैं दो महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह कि कल हमने पंजाब के बारे में सवाल उठाया था, होम मिनिस्टर साहब भी थे उन्होंने यह कहा था कि बहुत बुरी आज प्रक्रिया पंजाब में शुरू हो गई है और बढ़ रही है। एक तो गुरुद्वारों में बन्दूकों के साथ लोग चले गए, फिर से गुरुद्वारों को एक फौजी अड्डा बनाया जा रहा है। एक यह गम्भीरता और आज जो खबरें सुनीं, जिस निर्ममता से निर्दोष लोगों की हत्या बड़े पैमाने पर की गई, मजदूरों की, जो बाहर से आए थे। मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप क्या अभी भी यह समझते हैं कि आपके जो गवर्नर वहां हैं, वे ठीक काम कर रहे हैं और स्थिति को काबू में ला रहे हैं तथा चुनाव की ओर जाने का रास्ता बना रहे हैं ? आप गवर्नर साहब को क्यों नहीं वहां से बुलाते हैं ?···(व्यवधान)···मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि आपके यहां कौन-कौन है जो वापिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं। आप कब तक लोगों की राह देखेंगे, कितने लोग और मरने चाहिए ? कश्मीर में मैयत के जलूस पर जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, तो वहां के गवर्नर बदल गए और अब कितने लोग पंजाब के मरने होंगे वहां के गवर्नर को बदलने के लिए—यह एक सवाल है ?···(व्यवधान)···दूसरी बात जो यहां अभी बड़ी नम्रता से कही गई है, हम बार-बार यह कह रहे है कि देश की पार्लियामेंट, देश की संसद, लोगों का नुमाइन्दा सार्वभौम है। इस पार्लियामेंट के अधिकार को कोई भी सरकार किसी के साथ करार करके नहीं छीन सकती है, आप चाहे जो करार कर लीजिए···(व्यवधान)···आप मेरी बात को जरा शान्ति से सुनिए ···(व्यवधान)···बड़ा ढोल पीटते थे और बहुत तालियां बजाईं कि जैसे ही हुकूमत में आयेंगे, पन्द्रह दिन के अन्दर नाम जाहिर कर देंगे। हमारे सोमनाथ चटर्जी साहब जो इस सरकार के बहुत बड़े वकील हैं, ये सबसे बड़े वकील क्या कह रहे हैं कि जो ये सरकार नहीं कर पाई, जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वह हमने करके दिखलाया- वाह रे ! बहादुर । क्या करके दिखलाया—डाक्यूमेंट मिलाया, सिक्रेट डाक्यूमेंट मिलाया, स्वीडिश सरकार से मिलाया बहुत अच्छा किया। अब क्या डाक्यूमेंट का मुरब्बा डालोगे, क्या करोगे उसका ? आचार बनाओगे और अपने लोगों को खिलाओगे, क्या करोगे उस डाक्यूमेंट का ?···(व्यवधान)···यह सोमनाथ चटर्जी साहब बतलाने वाले हैं, आप मुझे बताइए, इस डाक्यूमेंट का क्या होगा ? यदि सिक्रेट है, यदि स्वीडिश सरकार की इस सरकार के ऊपर पाबन्दी है, तुम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, तो आप सीबीआई को कैसे बताओगे, इन्वैस्टिगेटर्स को कैसे बताओगे, किस इन्क्वायरी में इसका इस्तेमाल करोगे? मेरी समझ में नहीं आता है, क्या यह सोमनाथ चटर्जी तक खाली सीमित रहेगा या जसवन्त सिंह जी को बतायेंगे, किसको बतायेंगे यह डाक्यूमेंट ? ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्री साठे की इस मुद्दे पर कोई विश्वसनीयता है ? (व्यवधान) न तो उनकी और न ही उनके नेता और न ही उनके दल की इस मुद्दे पर कोई विश्वसनीयता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : मैं तो यहां तक कह रहा हूं, यह सरकार इस डाक्यूमेंट को स्पीकर साहब तक को बताने को तैयार नहीं है। सोवरैन पार्लियामेंट के मुखिया, उनको भी बतलाने को तैयार नहीं है। किसके गुलाम हैं, क्या स्वीडिश गवर्नमेंट के गुलाम हैं ? सरकार ! क्या हालत हो गई तुम्हारी, किस हालत में आ गए तुम।··· (व्यवधान)

अब इनको मालूम है, एक बात साफ हो गई है।

इसमें हमारे एक भी आदमी का नाम होता (व्यवधान), हमारे नेता का तो इससे मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : यह रेडियो या दूरदर्शन पर नहीं आएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : यह टी० वी० में नहीं आएगा। (व्यवधान)

सर, इस सरकार को तो बदनाम हमारे नेता को करना था, उनके कुटुम्ब के लोगों को करना था। यही बात ये बार-बार कहते रहे और चुनावों में भी कही थी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये डाक्यूमेंट्स सदन से और देश की जनता से न छिपाये जाएं, उनके सामने आने से न रोके जाएं। ये सारे डाक्यूमेंट्स यहां पेश कर दिये जाएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार दोपहर बाद, सभी दल के नेताओं की आपके कक्ष में एक बैठक हुई थी। मैं सोचता हूं, यह विशेष मुद्दा जो श्री दिनेश सिंह ने उठाया है कि सरकार को बोफोर्स सम्बन्धी दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखना चाहिए, मेहम के बारे में की जाने वाली जांच के विचारार्थ विषय और एअरबस सौदे पर भी चर्चा हुई थी। मैं सोचता हूं कि हमें सदन पर उस सारी कार्यवाही को दोहराने के लिए जोर नहीं डालना चाहिए क्योंकि उस दिन सरकार ने विशेष तौर पर यह आश्वासन दिया था कि सत्र समाप्त होने से पहले वे दस्तावेजों को सभा-पटल पर रख देंगे। मैं संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा कल दिए गए वक्तव्य से प्रसन्न नहीं हूं जिसमें उन्होंने स्वीडन की सरकार के किसी बात पर सहमत होने की ओर संकेत किया था। हमारा स्वीडन की सरकार के साथ कुछ लेना-देना नहीं है और विशेषतया बोफोर्स सम्बन्धी कुछ विषय हैं जिन पर न केवल सरकार बल्कि हम सब जो सरकार का समर्थन करते हैं, ने चुनाव लड़ा है। हमने बोफोर्स काण्ड के आधार पर चुनाव लड़ा है और इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि वह सारी सूचना जो हमें उपलब्ध होती है उसे हम संसद और लोगों को भी बताएं। जैसाकि मैंने हाल ही में कहा था, सामान्यतया, जब हम कहते हैं "सभी दस्तावेज" और उस पर जोर डालना शुरू कर देते हैं, तो विवाद पैदा हो जाता है और इस प्रकार, ऐसा करके आप सदन को ऐसा कष्ट देते हैं जो नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं कहता हूं कि यह निश्चित करना अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि सभा पटल पर कौन से आवश्यक दस्तावेज रखे जाने हैं। यह निश्चित करना कि "सभी दस्तावेजों" से क्या तात्पर्य है न विपक्ष का काम है और न ही सरकार का। यह निश्चित करना अध्यक्ष का काम है। इसलिए, सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इस सभा के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने से पहले वे तीनों

मुद्दों से सम्बन्धित दस्तावेजों को सभा पटल पर रख देंगे। मैं सोचता हूं इस विषय पर एक घंटे से चली आ रही चर्चा से हमें मुक्त ही रखा जाए। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : "सभी दस्तावेजों" से हमारा तात्पर्य उन दस्तावेजों से है, जो बोफोर्स से सम्बन्धित हैं और प्रधान मन्त्री के सचिवालय में हैं, अन्य दस्तावेजों से नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब के बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब पंजाब का इश्यू रेज होगा, तो मैं आपको बुलाऊंगा। रंगा जी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस कष्टप्रद उत्तरदायित्व को न उठायें · (व्यवधान)···मेरे माननीय मित्र ने आप पर उत्तरदायित्व डाल कर एक संकेत दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों नहीं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने कहा था कि हम सबने इन दस्तावेजों पर चुनाव लड़ा है। आपने भी इन दस्तावेजों पर चुनाव लड़ा था और हमने आपको अध्यक्ष चुन लिया। हम नहीं चाहते कि आप इस बात से सम्बन्धित रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक इन दस्तावेजों का प्रश्न है इसका एक पूर्वोदाहरण भी रहा है। महोदय, उन्हें आपके सामने रखा जा सकता है, और आप निर्णय ले कर विभिन्न दलों के नेताओं को इन्हें देखने के लिए आमन्त्रित कर सकते हैं। ऐसा पहले हुआ है। आप यह क्यों कह रहे हैं ? यह कुछ नया नहीं है··· (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। इस तरह कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा। उनकी बात सुनिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर सरकार सोचती है कि दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई है तो इस सदन के संरक्षक होने के नाते यह निर्णय करना आपके ऊपर है। किन्तु उनका उद्देश्य यह नहीं है। उनका उद्देश्य एक स्थिति बनाना है, वे संविधान संशोधन विधेयकों को पारित न करने का बहाना चाहते हैं। मैं उन पर आरोप लगाता हूं। यह उनका वास्तविक बहाना है। वे इस सदन से बाहर जाने का बहाना चाहते हैं।··· (व्यवधान) श्री दिनेश सिंह ने स्पष्टतः कहा था। अगर यह सदन का अन्तिम दिन भी है, तो भी वे खुश होंगे। किन्तु उन्हें यह अभी क्यों कहना पड़ा ? उन्होंने पहले कहा था कि··· (व्यवधान)। मुझे विश्वास है कि वह कभी भी इससे इंकार नहीं करेंगे। उन्हें वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन सभा पटल पर रखा जा सकता है। वे हर दिन इसकी मांग क्यों कर रहे हैं ? इसलिए, मैं यह सोचता हूं कि वे बाहर जाने का और इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित न करने का एक बहाना चाहते हैं··· (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि विरोध पक्ष को सत्ता पक्ष की ओर से सहयोग मिलना चाहिएं, क्योंकि इस सत्र में इस सदन ने विपक्ष की ओर से रचनात्मक सहयोग का प्रदर्शन किया है। उन्होंने सोचा कि वित्त विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ज्यादा बहस किए बिना पारित होने दिया गया। यह इस सदन के प्रति और सत्ता पक्ष के प्रति उनकी जिम्मेदारी के अहसास को प्रदर्शित करता है।

मुझे कोई संदेह नहीं है, जैसाकि श्री आडवाणी जी ने कहा है, कि सिर्फ सांसदों को ही नहीं सारे देश को जानने का अधिकार है। क्योंकि हमने बोफोर्स का मुद्दा शहरों और गांवों में उठाया है, और इसलिए सारे देश को उपलब्ध सीमा तक बोफोर्स मामले के तथ्यों को जानने का अधिकार है, जो कि माननीय श्री शंकरानंद के प्रयासों के कारण पता नहीं लगने दिए गए।

मैं एक दूसरी बात भी सोच रहा हूं। यह सारे देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह विपक्षी दलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उनके दल के भीतर कुछ बेचैनी है नेतृत्व का प्रश्न है और वे यह भी जानना चाहते हैं कि किस सीमा तक वे उन्हें दबा सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि सत्ता पक्ष को विपक्ष से भी सहयोग देना चाहिए। मुझे सिर्फ यही शक है कि सहयोग किस आधार पर होगा ? मेरे मस्तिष्क में एक संदेह है कि क्या सहयोग का सर्वोत्तम रूप यह होगा अथवा नहीं कि दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाता है, तो वे विपक्ष को मजबूर करेंगे कि वे अपने पिछले चालीस वर्षों के व्यवहार को छोड़ दें, उन्हें यह नवें अनुच्छेद संशोधन विधेयक को पारित करना होगा, जिसे वे अब तक पारित करने से मना करते आए हैं, उन्हें संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक पारित करना पड़ेगा। अगर यह पारित हो जाते है, तो सत्ता पक्ष असंगत रूप से वर्तमान विपक्ष पर दबाव डालेगा।

इसलिए महोदय, मुझे यह सुनिश्चित नहीं है कि किस आधार पर सहयोग दिया जाएगा। हम अपनी तरफ से यह मांग करते हैं कि सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखें जाएं। हम इस पर दृढ़ हैं किंतु वे चाहते हैं कि सरकार को सहयोग करना चाहिए ताकि वे मुश्किल में न पड़े।

अन्त में, महोदय, मैं यह पुनः कहता हूं कि सभी कागजात, सभी से मेरा मतलब है कि ऐसे कागजात जो असंगत नहीं है, आपके सभा पटल पर रखे जा सकते हैं, और आप यह निर्णय कर सकते हैं कि यह कागजात प्रासंगिक है अथवा नहीं। सारी बहस से यह नतीजा निकला है कि वे असंगत कागजातों पर बल दे रहे हैं। जब भी वे कहते हैं कि सभी कागजात रखें जाएं, तो वे असंगत कागजातों पर बल देते हैं। महोदय, हम जानते हैं कि इसमें कई गुप्त रहस्य है। क्या हम और क्या वे अपने होशोहवास में यह मांग कर सकते हैं कि ऐसे गुप्त रहस्यों को सभा पटल पर रखा जाए ? अतः, हम उनके तर्क का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करे कि सभी कागजात आपके पटल पर रखें जाएं। उन्हें देखने दीजिए कि नेताओं को दिखाने के लिए कौन से कागजात हैं और सारे देश की सार्वजनिक सम्पत्ति क्या हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की एटामिक प्रिपेअर्डनेस के विषय में बहुधा अखबारों मे यदा-कदा छपता रहता है और उस पर हाउस के अन्दर और बाहर चिन्ता व्यक्त की जाती रही है। इधर समाचार छपा है कि अमरीकन सेटलाइट की सहायता से वहां की सरकार ने एक फिल्म बनाई है, जिसमें शो किया गया है कि काहुटा एटामिक पावरप्लांट पाकिस्तान में जो एटम-बम तैयार किया गया है, उसको कैरी करने के लिए मिराज और एफ-16 विमानों में विशेष

उपकरण लगाए जा रहे हैं।

आज जो स्थिति हम पाकिस्तान की देख रहे हैं, वह बड़ी चिन्ताजनक है ; पाकिस्तान में सैनिकों और गवर्नमेंट के बीच अंतरद्वन्द्व चल रहा है और सिन्ध प्रांत में किस तरीके से भारत से गए हुए मुसलमानों की निर्मम हत्या की जा रही है। इस सारी स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत के ऊपर बम का उपयोग कर दे और यहां भारत को विध्वंस का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति में स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत की क्या तैयारी है, इस मामले में सदन को और देश को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इस स्थिति के लिए चिंतित हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : सारे विश्व में, ऐतिहासिक परिवर्तन के समय लोकतन्त्र की एक और बड़ी विजय हुई है। बर्मा में एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय आंदोलन हुआ जिसने सैनिक अधिकारियों को तीन दशकों में पहला स्वतन्त्र चुनाव करने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद सैनिक समर्थक नेशनल यूनिटी पार्टी को अस्वीकृत कर दिया और नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी के पक्ष में मतदान किया। जनता ने सैनिक अधिकारियों द्वारा उनके रास्ते में खड़ी की गई बाधाओं, रुकावटों और मुश्किलों को पार कर स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र को समर्थन देने वाली शक्तियों को एक जबरदस्त जनादेश दिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वक्तव्य पढ़ रहे हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : जी नहीं, मैं अपने नोट्स देख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि अगर आप बिना पढ़े बोलें तो वह अधिक प्रभावशाली होगी।

श्री पी० चिदम्बरम : यह जरूरी हो जाता है कि सैनिक अधिकारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता एकदम सौंप दें, और उनके सभी नेताओं को और लोकतन्त्र के समर्थकों को शीघ्रता से छोड़ दें, जिन्हें भयभीत करने के लिए गिरफ्तार कर रखा था। जनता की इच्छा को दबाने का प्रयास करने के परिणाम बर्मा के लिए बहुत त्रासद होंगे।

महोदय, मैं बर्मा की जनता को बधाई देता हूं। हम नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी को बधाई देते हैं और पूरी आशा करते हैं कि सैनिक अधिकारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौंप देंगे और बर्मा में लोकतन्त्र आएगा ? हम बर्मा की जनता को बधाई देते है और मैं यहां सभी मित्रों से कहता हूं कि बर्मा की जनता को बधाई देने में हमारा साथ दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी, पढ़िए मत, आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मेरा तो एक ही निवेदन

[श्री मदन लाल खुराना]

है। मैं यह कह रहा हूं कि इस हाउस के अन्दर दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा देने के बारे में वायदा किया गया था। हर बार वायदा किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने 12 अप्रैल को कहा था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा एक-दो दिन में दे दिया जाएगा। आज इस सैशन के दो दिन रह गए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वह बिल आएगा या नहीं आएगा। यह बिल पास होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : जो हाल 15 दिन का है वही दो दिन का है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : दस साल तक कांग्रेस ने नहीं किया है। आप सबको मालूम है कि कुछ डिवेलेपमेंट हुई है।

अध्यक्ष महोदय : तो आप खुश हैं न ?

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मैं हाउस से चाहता हूं कि उसके बारे में एनाउंसमेंट करें कि वह बिल इसी सैशन में आएगा, पास किया जाएगा और दिल्ली की जनता को स्टेटहुड दिया जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी बोल रहे हैं उससे पहले मुझे पंजाब के बारे में दो बातें कहनी हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं। मदन लाल जी, अभी तो बोलते थे आप।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : अध्यक्ष जी, दिल्ली स्टेटहुड के बारे में···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : इन्होंने कोई सवाल उठाया।

[अनुवाद]

वह उत्तर देने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

यह पक्षपात है, ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता, ये क्या बोलने वाले हैं। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया है।

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि वह क्या कहने जा रहे हैं। मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैं नहीं जानता कि वह क्या बोलने जा रहे हैं। आइए हम इन्हें सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : वे सब चीजों पर बोलें, किसी एक चीज पर नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब, आप इनके कहने के बाद रिसपौंड कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : मैं नहीं चाहता गृह मंत्री जी पहले बोलें। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, लोग पंजाब छोड़कर जा रहे हैं। (व्यवधान) आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुफ्ती जी को सुनने के बाद, मैं आपको बुलाने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये कहते हैं कि आप जो सवाल उठाएंगे, उसका भी ये जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : मैं पंजाब के बारे में कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत लोग पंजाब के बारे में बोलने वाले हैं, मैं सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : होम मिनिस्टर साहब आपको बड़ा दिल रखना चाहिए। आप तो होम मिनिस्टर हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अन्तर्गत ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुरियन को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आप इस सदन के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं। कई सदस्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे कहने की अनुमति दें···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं और आपकी बात सुन रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कई सदस्य महत्वपूर्ण मामले उठा रहे हैं, जिन पर सरकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम इस सदन के सदस्य दुःख अनुभव करते हैं··· (व्यवधान) हम दुःख अनुभव करते हैं कि गृह मंत्री सिर्फ एक खण्ड का ही जवाब दे रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के एक जी-हुजूर व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे अगर जवाब दे रहे हैं तो उन्हें इस ओर के इसी तरह के अनुरोधों का भी उत्तर देना चाहिए। अन्यथा, हम उन्हें जवाब देने नहीं देंगे। पंजाब भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः वे पंजाब के मुद्दे पर श्री भजन लाल को सुनें, और इसी प्रकार के मुद्दों पर सुनें, और फिर उन्हें जवाब देने दें। वे चयन करके जवाब नहीं दे सकते। हम यह नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

महोदय, आपको हमारे हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके हितों की रक्षा कर रहा हूं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सदन के ध्यान में यह लाना आवश्यक है कि पंजाब के मुद्दे पर दो स्थगन प्रस्ताव लाए गए,—एक सत्तारूढ़ दल के सदस्य श्री राज मंगल मिश्र द्वारा और एक विपक्ष के श्री हरीश रावत द्वारा। इस पर दो स्थगन प्रस्ताव हैं, यह इतना गम्भीर मामला है, और हम देख रहे हैं कि वह आया नहीं लाया जा रहा। इसकी अपेक्षा, वे ऐसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो दस बार पूछा जा चुका है, और जिसका दस बार उत्तर दिया जा चुका है। हर रोज, हम यह ड्रामा देख रहे हैं। हम पंजाब पर एक स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं, अगर वह देना चाहते हों तो। जो भी हो, उनके आदमी मारे जा रहे हैं। यह रोज क्या ड्रामा हो रहा है ? (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री कामता दास (करोलबाग) : यह इसको ड्रामा बता रहे हैं, कुमारमंगलम जी माफी मांगें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

[हिन्दी]

आप बैठ जायें। आप लोगों ने जो पाइंट उठाए हैं मैं मुफ्ती जी से कहूंगा कि वह जो रिस्पांड

करना चाहते हैं करें, मैं उनको इजाजत दे रहा हूं। पंजाब के मामले में बहुत से सदस्यों ने लिखकर दिया है मैं उनको भी बुलाऊंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि वे इसको भी रिस्पांड करें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जनरली यहां पर कुछ सदस्यों ने सवालात उठाए हैं, एक सवाल उसमें से पेपर ले करने के बारे में है, दूसरा महम जांच के बारे में है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक सरकार कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं कर सकती···(व्यवधान)··· सदन को यह आश्वासन दिया था इन्क्वायरी के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाएगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनिए। मंत्री जी मान नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब वह अपनी बात समाप्त कर लें तब आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या स्टेटमेंट कर रहे हैं ? आप उनको सुनने दो। शंकरानन्द जी आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं, डा० शंकरानन्द।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जनाब स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को अपायंट करना था इन्क्वायरी के लिए। मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी कि हमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज चाहिए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मुख्य न्यायाधीश शहर में नहीं हैं, वह उत्तर-पूर्व में हैं। वह इस समय नहीं हैं। (व्यवधान) विचारणीय विषय मेरे समक्ष है। (व्यवधान) परन्तु मैं उन्हें सभा पटल पर नहीं रख सकता। यह एक अच्छी मिसाल नहीं है। (व्यवधान) कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) यदि मेहम में हुई

[श्री सुबती मोहम्मद बईद]

घटना की जांच करने के लिए सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने हेतु कोई अधिसूचना जारी की जानी है तब यदि कोई न्यायाधीश हमारे पास है तब हम अधिसूचना भी जारी कर सकते हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य विचारणीय विषय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तब उसके लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं।

जहां तक दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने का सवाल है, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली उसी प्रकार का राज्य होगा जैसे कि भारत के अन्य राज्य है। इसे सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली चूंकि राजधानी है इसलिए कुछेक मुद्दे केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। हम कल यह विधेयक ला रहे हैं। हम चाहते है कि यह विधेयक पारित हो जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : कोई सदस्य गृह मन्त्री जी के साथ अधिसूचना के बारे में झगड़ा नहीं कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने वाली अधिसूचना किसी न्यायाधीश के नाम बताने के पश्चात ही जारी की जा सकती है। परन्तु विचारणीय विषय उनके पास है। हमारी मांग है कि वे इन्हें सभा पटल पर रखें। उसका भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं हैं। (व्यवधान) उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत करने दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भारत के मुख्य न्यायाधीश का निरादर होगा। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक लाख अधिकारियों द्वारा की जाने वाली 'सांकेतिक' हड़ताल की तरफ मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह सांकेतिक हड़ताल पिछले तीन वर्ष से चल रहे आन्दोलन का ही एक भाग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें वही वेतनमान तथा महंगाई भत्ते दिए जाए जो केन्द्र सरकार के अधिकारियों को दिए जा रहे है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों के समान वेतनमान तथा महंगाई-भत्ते देने के लिए उनका मामला पिछले चार वर्षों से लम्बित पड़ा है। उनके वेतनमान तथा महंगाई भत्ते का अभी तक पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है। यह खेद की बात है कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति तथा 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों की सिफारिशों के बावजूद सरकार ने अभी तक उनके वेतनमान तथा महंगाई-भत्ते के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। यह भी आश्चर्यजनक बात है कि जब भारत सरकार के चार सचिव, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राष्ट्रीय अधिकारी संघ संस्था से मिले तब उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि उन्हें इस संबंध में कोई निर्णय करने का अथवा कोई ठोस प्रस्ताव करने का सरकार से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। यदि ये अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय करते है तब उनके वेतनमान के पुनर्निर्धारण में वित्तमंत्री सहित अन्य होंगे उससे भी कहीं ज्यादा राजस्व विभाग को नुकसान हो जाएगा।

श्री० एन० जी० रंगा : कितने करोड़ रुपये का नुकसान होगा ?

श्री वसुदेव आचार्य : मेरी मांग है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के वेतन तथा महंगाई-भत्ते के पुनर्निर्धारण में हुए विलम्ब के बारे में वक्तव्य देना चाहिए तथा मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार का मार्गदर्शन करें कि वह इन अधिकारियों के साथ समझौता कर लें जिससे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त किया जा सके तथा इन अधिकारियों के वेतन तथा महंगाई-भत्ते अविलम्ब निर्धारित किए जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, आप दस सैकेंड से अधिक समय मत लीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अधिक समय नष्ट किए बिना मैं यही कहूंगी कि मैं भी बसुदेव आचार्य से सहमत हूं।

मैंने भी उसी विषय पर एक नोटिस दिया था तथा मैं उन सभी तर्कों को पुनः न कहते हुए भी बसुदेव जी का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। आज सार्वत्रिक हड़ताल का 29वां दिन है। आज भी हड़ताल है तथा यह स्वाभाविक है कि यदि बातचीत असफल हो जाती है तब बसुदेव जी ने जो कुछ कहा है वह सत्य होने जा रहा है। यह एक अत्यन्त उचित मांग है। मैं आशा करती हूं कि सरकार इस सबको ध्यान में रखेगी तथा इस पर विचार करेगी और इस पर अपनी सहमति प्रदान करके उपर्युक्त स्थिति को समाप्त कर देगी।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब के मसले के बारे में सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंजाब का मसला इतना भयंकर हो गया है, मैं समझता हूं कि सारा सदन उसके लिए चिन्तित होगा। गुरुद्वारों में फिर से हथियार जमा होने शुरू हो गए हैं और गुरुद्वारों के बाहर मोर्चाबन्दी फिर से होनी शुरू हो गई है, ऐसा हमें पता लगा है। हमने बड़ी मुश्किल से गुरुद्वारों में अमन कायम किया था, मोर्चाबन्दी को खत्म किया था और हथियारों को बाहर निकाला था, परन्तु अब फिर से गुरुद्वारों में हथियार जमा होने शुरू हो गए हैं, मोर्चाबन्दी होनी शुरू हो गई है, जो हम सबके लिए खतरे का सूचक है। यदि इसी तरह से चलता रहा तो पंजाब में फिर से बहुत भयंकर हालात पैदा हो जायेंगे। आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि बिहार के 13 गरीब व्यक्तियों को, जो वहां गरीबी के कारण मजदूरी करने आये थे, एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया। इसके अलावा बाकी अलग-अलग जगहों पर 15-16 दूसरे लोगों को गोली से उड़ाया गया। यह एक दिन की बात नहीं है, रोजाना की बात है।

श्री वसंत साठे : यहां बिहार के एम० पी० इसके बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं ?

श्री भजन लाल : पंजाब में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जबकि 25—30 आदमी अलग-अलग वारदातों में न मरते हों, रोजाना गोलियां चलती हैं और पंजाब के हालात इतने खराब हो गए हैं कि हजारों लोग वहां से पलायन करके दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के दूसरे शहरों में जा रहे हैं। भारी मात्रा में वहां से पलायन शुरू हो गया है। वहां किसी आदमी का जीवित रहना मुश्किल हो गया है, अमन नाम की वहां कोई चीज नहीं रह गई है। इसलिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले में शीघ्र ठोस कदम उठाए। वैसे तो गृह मन्त्री जी के बयान आ जाते हैं, प्रधान मन्त्री जी के बयान आ जाते हैं, कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने अब तक क्या किया है, क्या कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो गया। आप बैठ जाएं भजन लाल जी।

श्री भजन लाल : सरकार क्या करने जा रही है वहां यह बताए। यदि वहां गवर्नर का काम ठीक नहीं है, तो वहां मजबूत गवर्नर को लाना चाहिए। बोफोर्स के मामले में जो वायदा इलैक्शन के दौरान किया था, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आप पंजाब का मामला उठा चुके है और अब आप फिर बोफोर्स पर आ गए है। आप बैठ जाए। आप अपनी बात पंजाब के सम्बन्ध मे कर चुके हैं।

श्री भजन लाल : जान-बूझकर यह सरकार बोफोर्स के कागजों को यहां प्रस्तुत नहीं करना चाहती है जिससे लोगों के दिलों मे शक और सुबह बना रहे। अगर वह गोपनीय है, तो कैबिनेट में कैसे आ गया ? जब कोई मामला कैबिनेट में आ जाता है, तो गोपनीय नहीं रहता है। अब कागज सरकार के पास आ गए हैं, तो उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपके सामने, हाउस के सामने वायदा किया है। अब 31 तारीख आने वाली है और सैशन समाप्त हो जाएगा, तो फिर ये कब रखेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पंजाब के बारे में आप जो निवेदन करना चाहते थे, वह कर चुके हैं। अब आप बैठ जाएं। उमा भारती।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें महिला सदस्य की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं महिला सदस्यों की उपेक्षा नहीं करता हूं।

[हिन्दी]

उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपकी आभारी हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों का एक संसदीय दल पंजाब की यात्रा पर गया था। पंजाब की हालत की जानकारी मैं यहां पर इसलिए भी दे रही हूं कि संदर्भ भी ऐसा चल पड़ा है। भजन लाल जी भी इसी संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि वे उन जिलों में गए हैं या मात्र अखबारों को पढ़कर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो वहां होकर आई हूं और मैं वहां की कुछ स्थिति को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहती हूं। हमने अमृतसर, गुरदासपुर, फीरोजपुर और फरीदकोट, जो कि सीमावर्ती जिले हैं और जहां पर आतंकवादियों की गतिविधियां अत्यन्त सक्रिय हैं, वहां जाकर उन गांवों और कस्बों का दौरा किया है, जहां पर आतंकवाद का राज रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी रहता है। जब हम वहां के लोगों से जाकर मिले, तो जो बातें हमें मालूम हुई हैं, उनको हम इकट्ठी करके लाए हैं, उनका सारांश मैं यहां पर रखना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि माननीय गृह मन्त्री उन पर गौर करें और पंजाब की जनता को यहां पर आश्वासन दें कि उनकी रक्षा की जायेगी। सबसे खतरनाक बातें जो तरनतारन और बटाला के लोगों ने बताई हैं और अमृतसर के लोगों ने बताई हैं, वे ये हैं कि एक डेढ़ साल पहले अपहरण की वारदातें उतनी तेज नहीं होती थीं जितनी अब हो रही हैं और उसमे भी सबसे खतरनाक बात जो उन्होंने बताई वह यह है कि उन

अपहरणों में मध्यस्थता करने वाले जो लोग हैं उनको वहां की पुलिस अच्छी तरह जानती है क्योंकि वे लोग शहरों में और कस्बों में रहते हैं और सबकी जानकारी में हैं। अध्यक्ष जी, बड़े दुख की बात तो यह है कि उन मध्यस्थता करने वालों में राजनीतिक लोग भी हैं। ये कौनसे दल के लोग हैं, यह बताना मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। अगर मैं ही बतला दूं कि वे किस दल विशेष से संबंधित हैं, तो फिर सरकार का क्या काम रह जाएगा ? इसलिए मध्यस्थता करने वाले कौन लोग हैं, इसकी जानकारी करना सरकार का काम है। इसमें सबसे बुरी बात जो हुई है वह है महिलाओं के भी अपहरण होते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जो लड़की अपहरणकर्ताओं के हाथ से छूटकर आती है, उसकी हमारे भारतीय समाज में क्या स्थिति होती है और उसको शादी-ब्याह में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर तरनतारन में मुझे एक बूढ़े पत्रकार मिले, उनका नाम पागल है। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे पंजाब के हालात के बारे में बताएं। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि इससे आपको पता लग जाएगा कि तरनतारन, बटाला, गुरदासपुर, अमृतसर के लोग किस तरह के हालात में जी रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला था और वह वाक्य था कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं जिन्दा रहना चाहता हूं, क्योंकि जो बोल देगा उसका यहां पर जिन्दा रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी दहशत, इतना आतंक, हमें आश्चर्य होता है, उसकी कल्पना, मुझे लगता है कि हम दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकते। दूसरी बात हमने वहां पर देखी है, जैसा आज के अखबार में भी आया है कि मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया। इसके पहले पंजाब में हरिजनों पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर, अपहरण और हमले की घटनाएं बहुत कम होती थीं। उसका कारण यह है कि वे बड़े गरीब लोग हैं और उनको यह लगता था कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं, हमें कोई नहीं मारेगा, इसलिए वे बड़ी शान्ति से गांवों में रहते थे। लेकिन अब वह बात खत्म हो गई है। जहां-जहां वे लोग बस्तियों में रहते हैं, चाहे वह कस्बे में बस्तियां हों, चाहे गांवों में बस्तियां हों, उन पर निरन्तर आक्रमण हो रहे हैं, बम फेंके जाते हैं, उनको गोलियों से भून दिया जाता है। जब हम बटाला गए थे, वहां पर हम उन बस्तियों में लोगों से मिलने गए थे। उन्होंने कहा हम इतने बड़े खतरे में पड़ गए हैं क्योंकि हम सोचते थे कि हम किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, गरीब लोग हैं, सफाई करके, झाड़ू लगाकर हम अपना पेट पाल रहे हैं, हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन अब हमारे ऊपर भी हमले होने लगे हैं। मुझे आश्चर्य है कि सलैया में एक मरता है तो इतना शोर होता है, फतहपुर में कोई मरता है तो इतना शोर होता है, पंजाब में रोज इस तरह से लोग गोलियों से भूने जा रहे हैं, उसके बारे में कोई शोर करने वाला क्यों नहीं है ? (व्यवधान)

सलैया में जो मरा है या फतहपुर में जो मरा है उसके लिए हमें इतना दुख नहीं है जितना दुख यह है कि आपने ऐसे लोगों के मामलों को राजनीतिकरण कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, अब समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं बुला रहा हूं।

कुमारी उमा भारती : मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं और अन्त में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पंजाब में चुनाव होने चाहिएं, पंजाब के लोग चुनाव चाहते हैं, हमारी पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव हों। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि पंजाब में चुनाव तब हों जब वहां पर अमन और चैन कायम हो जाए। अभी वहां पर बन्दूकों का राज चल रहा है चाहे किस की चाहे

[कुमारी उमा भारती]

रात हो। इसलिए मेरा गृह मन्त्री महोदय से निवेदन है और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा इन्द्रकुमार गुजराल जी से निवेदन है, यद्यपि वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, वे बार-बार पंजाब में चुनाव कराए जाने की चर्चा न करें, इससे वहां पर अधिकारियों का मनोबल गिरता है क्योंकि उनको लगता है कि आज हम किसी को पकड़कर थाने में लाए और कल यदि वही विधायक बन गया तो हमारा क्या होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि पंजाब में चुनाव जरूर हों लेकिन पहली बात यह हो कि जब तक आतंकवादी अपने हथियार नहीं डालेंगे और जब तक आतंकवादी अपनी गतिविधियां बन्द नहीं करेंगे, तब तक पंजाब में अमन और चयन कायम नहीं होगा, तब तक पंजाब में चुनाव नहीं होना

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, अब हो गया।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। यह हमारे लिए बड़े शर्म और लज्जा की बात है कि पंजाब में रहने वाले भाइयों को हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

एक वाक्य में अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक वाक्य में समाप्त कीजिए।

कुमारी उमा भारती : पंजाब के लोगों को देखकर हमें गौरव होता है, हम उनके ऊपर गौरवान्वित होते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं।

कुमारी उमा भारती : अपने परिवार की जान और माल की हानि उठाकर भी वहां हिन्दू-सिख भाईचारे में किसी प्रकार की आंच नहीं आई है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से, इस सदन में उपस्थित सभी सांसदों की तरफ से पंजाब के उन हिन्दू-सिख भाईयों को वन्दना करती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पढ़ूंगा, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : गृह मन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं। अध्यक्ष जी, गृह मन्त्री जी इस बारे में आश्वासन दें कि पहले कड़ाई के साथ आतंकवादी गतिविधियां दबाई जाएंगी, उसके बाद वहां पर चुनाव कराए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, बैठ जाएं। पंजाब के बारे में जो भजन लाल जी और उमा जी ने बात उठाई है, उसमें मैं कह देता हूं कि प्रेम कुमार धूमल, जनार्दन यादव, श्री राजा सिंह रावत, श्री युवराज, श्री काली राम राणा, श्री मदन लाल बुराना, श्री सत्य जटिया भी बोलना चाहते हैं। उनको मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। इसके बारे में होम मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह पूरी स्थिति को स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

12.00. मध्याह्न

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं, मैंने होम मिनिस्टर साहब को बुलाया है। मुझे हाउस कंडेक्ट करने दीजिए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : स्पीकर साहब, पंजाब के बारे में जिस तफ्तीश का इजहार सदन के मैम्बरों ने किया है, उसको मैंने ध्यान से सुना है। वहां पर आज भी आतंकवाद का जोर है। जिन लोगों ने न्यूजपेपरों को पढ़ा होगा उनको मालूम हो गया होगा कि पंजाब के साथ कश्मीर की सरहदों पर कितना अधिक सामान हमारी सिक्योरिटी फोर्सिज ने कैप्चर किया है। अभी खन्ना जी ने पंजाब में चुनावों के सम्बन्ध में चर्चा की। जब भी चुनावों की चर्चा होती है तो लोगों को यह डर होता है कि आतंकवादी जिनका वहां बहुत जोर है, कहीं ऐसे नुमाइन्दे असेम्बली में न आ जाएं जिससे आगे के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। जो वहां के हालात हैं और वहां जो लॉ एण्ड आर्डर सिचवेशन है उनको ध्यान में रखते हुए पैरा मिलिट्री फोर्सिज, बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० एफ० और लोकल पुलिस के जो सबसे अच्छे आउट स्टैंडिंग आफिसर हैं, उनको वहां पर रखा है···(व्यवधान)···500 किलोमीटर तक जितनी भी फैंसिंग हुई थी उसको हमने बढ़ाया है। सरहद के बाईं तरफ की जो पट्टी है वहां भी आइडेंटिटी-कार्ड लोगों को देना शुरू किया है और बी० एस० एफ० के साथ-साथ किसी हद तक आर्मी का भी इन्तजाम किया हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सामान और वहां से ट्रेनिंग पाकर लोग आ रहे हैं। यह जो गुरदासपुर और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए एक एडिशनल डी० जी० पी० श्री मंगत को वहां रखा है ताकि ज्वाइंट आपरेशन के तौर पर उसका पूरा खयाल रखा जा सके। वहां कुछ बिहार के मजदूरों पर अटेक हुआ। वे जब भी मौका मिलते किसी राह चलते हुए व्यक्ति को देखते हैं उसको अपना साफ टारगेट बना लेते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। (व्यवधान)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सिलीगुड़ी में 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन बन्द हो जाते हैं, ऐसे में सब टैररिस्ट वहां घूमते हैं—(व्यवधान)—

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : टैररिज्म का सामना करने के लिए सरकार ने पूरे कदम उठाये हैं। उसमें कहीं कोई लटक नहीं है। जितना भी ह्यूमनली पासिबल है, जितनी भी सरकार की ताकत है, जितनी भी कोआर्डिनेशन का सवाल है, जितना भी सीविल एडमिनिस्ट्रेशन को मोबिलाइज करने का सवाल है, पूरे जोर के साथ हम हालात को ठीक कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे अथवा इस बात से इंकार करेंगे कि मई मास में मारे निर्दोष व्यक्तियों की संख्या 200 से ऊपर हो गई है?

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जितना भी टैररिज्म को कंटेन किये जाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, वह उठाये गये हैं। दूसरी बात यह है कि गोल्डन टैम्पल और दूसरे गुरुद्वारों को ब्लू-स्टार आपरेशन के पहले खाली किया गया, बाद में वह सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

गया। इसमें हमारी कोशिश यह है कि कहीं किसी गुरुद्वारे को अड्डा नहीं बनाया जाय। इसमें सिमरन जीत सिंह मान ने अपने फालोअर्स को लेकर अन्दर जाने की कोशिश की, मेन गेट से वह अन्दर नहीं जा सके, फिर दूसरे गेट से, पीछे से वह अन्दर गये। हमने यह इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी आदमी को, चाहे वह मान ग्रुप का हो, किसी ग्रुप का हो, किसी भी व्यक्ति को वहां हथियार लेकर जाने की इजाजत नहीं दी जायेगी···

श्री भजन लाल : गृह मंत्री कह रहे है कि पिछले दरवाजे से चले गये तो फिर सरकार नाम की चीज क्या रह गई ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं यह कह रहा हूं कि जो सिमरन जीत सिंह मान के साथ गये, उनमें से कुछ के पास तलवार थी, कुछ के पास कृपाण थी···(व्यवधान)···सुनिये। फिर वह सारे वापस चले गये, उस पार्टी में कोई हथियार लेकर नहीं गया था। इसमें हम पूरा ख्याल रखेंगे और इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। गोल्डन टैम्पल को जैसा पहले बनाया गया था उसी सूरत में उसको सैन्टर नहीं बनने दिया जायेगा। अभी अन्दर कोई बन्दूक व पिस्तौल लेकर नहीं है, वह सारे वापस चले गये···

एक माननीय सदस्य : और दूसरा कोई है ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : उनके फालोअर्स में से कोई नहीं है। इसमें जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं, आप बैठ जायें बुलारा जी।

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा (लुधियाना) : सिखों का तो हक है वहां जाकर मत्था टेकने का। हर पंजाबी का यह हक है।

श्री वसन्त साठे : बन्दूक लेकर भी है क्या ?

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा : हमेशा बाहर खड़े होकर सी० आर० पी० एफ० वाले जिनके जिम्मे गवर्नमैन्ट के धर्म का पूरा अपमान है···

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग, जहां तक आतंकवाद का ताल्लुक है, उसके साथ नहीं हैं। पंजाब के लोग अमन चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो पंजाब का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस साल पिछले साल से ज्यादा है, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा है। मैं आपको पिछले साल के मुकाबले में फीगर्स दे दूंगा ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : पिछले साल के मुकाबले में पंजाब में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है।

श्री वसन्त साठे : पर तमाम बिहारी मजदूरों के पसीने की वजह से हो रहा है, इसकी भी दाद देनी चाहिए। खाली यह मत कहिए कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में सरकार मैमूल के हालात

सुधारने में, नार्मल सिचुएशन पैदा करने में वहां के लोगों का सहयोग है।

श्री बसन्त साठे : लोग तो साथ दे रहे हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : और हमारा यह असेसमैण्ट है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मई में 200 व्यक्ति मारे गए हैं। यह सही है अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्री बसन्त साठे : लोग जितना ज्यादा साथ देते हैं, उतने ज्यादा मारे जा रहे हैं, इसका आप क्या कर रहे हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : पंजाब की तवारीख आपको मालूम है, इतिहास मालूम है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कैसे कण्ट्रोल किया है।

[अनुवाद]

आप भी स्थिति का मुकाबला करते रहे हैं।

[हिन्दी]

आप सुनिये। लेकिन मेरा यह कहना है कि पोलिटिकल···

श्रीमती विमल कौर खालसा (रोपड़) : पंजाब के हालात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जायें, विमल कौर जी।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मेरा यह कहना है कि पोलिटिकल प्रोसेस के बगैर···

श्री कमल चौधरी : कांग्रेस का भूत इनके सिर पर अभी भी सवार है जब उनकी तरफ से डण्डे पड़ेंगे तब पता लगेगा।

[अनुवाद]

जब तक ये लोग आतंकवादियों के साथ सांठ-गांठ करेंगे तब तक पंजाब की स्थिति ऐसी ही रहेगी। मैं जानता हूं कि उनकी उनके साथ सांठ-गांठ है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मेरा यह कहना है कि पालिटिकल एक्टिविटीज और पोलिटिकल प्रोसेस के बगैर कोई सब्सिट्यूट नहीं है। उसके बगैर अगर आप कहेंगे कि सिर्फ पुलिस और फौज के बलबूते पर चलेगा, तो वह नहीं चलेगा, जब तक जनता का को-आपरेशन नहीं होगा। मेरी अपनल आब्जरवेशन यह है कि जैसे पिछले दिनों काश्मीर की समस्या थी, वहां टोटल एक्सप्लीकेशन आफ अथारिटी था, वैक्यूयम था, जैसे वहां को-आप्टिनेटेड तरीके से टैरेरिज्म का मुकाबला किया, वैसे पंजाब

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

में आइडियल को-आर्डिनेशन नहीं, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन को थी थोड़ा सा रिडैम्प करने की जरूरत है। (व्यवधान)

श्री डी० जे० टंडेल (दमण और दीव) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 तारीख को···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री टंडेल को बोलने के लिए कहा है। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : महोदय, आप उन सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दे रहे हैं। मुझे भी अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। वे जोर से बोल रहे हैं और इसी कारण आप उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जोर से बोल रहे हैं। मैं भी जोर से बोल सकता हूं। परन्तु मैं नियमों का पालन कर रहा हूं तथा मैं नियम तोड़ना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : आप एक माननीय सदस्य हैं तथा आपको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री डी० जे० टंडेल : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 को दमण और दीव, दादरा नगर हवेली के कई एडमिनिस्ट्रेटर के सामने तकलीफ के बारे में हम लोगों ने आवाज उठाई। सभी संसद सदस्य इसको जानते हैं, आज हम सदन में आपको सही बात बताते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बता चुके हैं। अभी क्या कहना है।

श्री डी० जे० टंडेल : कल भी मैं आपसे मिल चुका हूं और इस बारे में होम मिनिस्टर साहब को बतलाया था। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : होम मिनिस्टर साहब को बतलाइए, हम को तो बताने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री डी० जे० टंडेल : होम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि दो दिन में आपकी तकलीफ दूर हो जायेगी। हम बार-बार इनके पास गए और श्री बुधोत्र कान्त सहाय जी के पास भी हम बार-बार गए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। वहां दमण और दीव के चीफ सैक्रेटरी और दादरा और नगर हवेली के कलेक्टर को बुलाया गया, यहां बैठ कर समझौता कराने की कोशिश की गई। हमने यहां से होम मिनिस्टर से बात करवाया, तो उसकी कोई सुनिश्च

चौकी से ए० आई० जी० पी० उठाकर बम्बई भाग गए। हमारे यहां दमण-दीव के छोटे लोगों का ट्रांसफर किया था। उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब ने वायरलैस किया था और उस वायरलैस की कॉपी लेकर भाग गए। मैंने चीफ सैक्रेटरी को मंत्री द्वारा फोन करवाया यहां से। तारीख 22 को फिर उन लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया। आज भी लोग वहां से दमण-दीव से वापिस आ गए। और जो होम मिनिस्ट्री का वायरलेस और होम मिनिस्टर का फोन यहां से जाता है फिर भी वह आदेश का पालन नहीं करता है। यह होम मिनिस्टर और केन्द्र सरकार का अपमान है। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहां भी वही होने वाला है जैसे पंजाब और कश्मीर में हो गया है। हम नहीं चाहते हैं कि वैसा दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली में भी हो जाए जैसा कि पंजाब में हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि होम मिनिस्टर साहेब कामयाब नहीं है। इसको बहुत बड़ी तकलीफ है : अभी तक हमारे यहां खून-खराबा नहीं हुआ है। लेकिन जब हमारी बात सुनी नहीं जाती है तो जो आज एक छोटी सी तकलीफ है वह कल को बड़ी तकलीफ हो सकती है। पहले पंजाब में शांति थी। लेकिन आज पंजाब में क्या हो रहा है ? छोटी-छोटी चीजों में जब आग लग जाती है तो वे बड़ी चीजें हो जाती हैं।

वहां हमारे आदमियों को पीटा गया और बहुत परेशान किया। हमने वहां वायदा किया है कि हम यहां से आदेश ले कर जाएंगे। लेकिन हमारी बात यहां सुनी नहीं जाती है। हम यहां कोई भीख मांगने नहीं आये हैं हम न्याय मांगने आए हैं। ऐसे अधिकारियों को इमीडियेटली वहां सस्पेंड किया जाना चाहिए। हम चाहते है कि वहां से हाऊस की एक कमेटी वहां भेजी जाए। ऐसे लोगों को सस्पेंड करने के लिए मैं होम मिनिस्टर साहेब से प्रार्थना करता हूं कि वहां से चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, आई० जी० पी० को तुरन्त हटाया जाए और उनकी जांच की जाए। नहीं तो वहां बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। मैं उस दिन कांग्रेस के भाइयों के लिए गुस्से में क्यों बोला था। वहां गवर्नर खुर्शीद आलम कांग्रेस का आदमी है। लेकिन उसके आदेश पर ये सब लोग वहां पर दादागिरी कर रहे हैं। (व्यवधान) इसीलिए मुझे वहां कांग्रेस और जनता दल के सामने आना पड़ा। मैं उनको हरा कर आया हूं। मैं इन दोनों दलों को हरा कर इंडीपेंडेंट जीत के आया हूं। इसीलिए हमारे लिए वहां बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं यहां मुफ्ती मोहम्मद साहेब से मांग करता हूं कि वहां से इन अधिकारियों को तुरन्त हटाना चाहिए।

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : अध्यक्ष जी···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जो आप लिख कर दिये वह मैंने दे दिया है। फिर आप क्या कह रहे हैं ? मैंने आपको बोल दिया है। फिर दोबारा क्या कह रहे है ?

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर : होम मिनिस्टर के यहां से वायरलेस किया गया कि सी क्लास के लोगों का जो ट्रांसफर दीव और दमण से की गयी थी उसको रोका जाए। वहां से एस० डी० सी०, यू० डी० सी० लोगों का ट्रांसफर किया गया। (व्यवधान) उन्होंने उन लोगों को परेशान किया, जनता को परेशान किया। उनके बारे में हमने यहां आवाज उठायी थी। उस दिन सारे सदस्यों ने हमको समर्थन दिया था और होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था कि हम इसकी जांच करेंगे और जो भी अफसर इसमें शामिल है उनको हम दंडित करेंगे। ऐसा एश्योरेंस मिलने के बाद हम उनके चेम्बर में गये थे और चेम्बर में हमने उनको बताया था कि पहले उन लोगों को वहां से हटाया जाए, उसके बाद वहां लोकल इंक्वायरी की जाए। होम मिनिस्टर साहेब ने हमको एश्योरेंस दिया कि हम उनको हटायेंगे और फिर इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद चार-पांच दिन हो गये, उनको अभी तक हटाया नहीं गया है और होम मिनिस्टर

[श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर]

साहेब बोलते हैं कि हम इंकवायरी कर रहे हैं। वही अफसर वहां बैठे हैं, वही इंकवायरी करेंगे। वे अफसर क्या अपने खिलाफ रिपोर्ट देंगे? आपका हेड आफ द डिपार्टमेंट वहीं है जिसके खिलाफ इंकवायरी होने वाली है और वही रिपोर्ट देने वाला है। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद स्टेट होम मिनिस्टर सुबोध जी ने भी हमको बुलाया। हमने उनको भी बताया कि हमने आदिवासियों के लिए आवाज उठायी थी (व्यवधान) इसलिए वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। स्टेट होम मिनिस्टर ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी, पुलिस आफिसर को हमने बुलाया था उन्होंने बताया कि यहां से तीन-तीन वायरलेस मेसेज भेजे गये हैं कि इनके घर पर सर्च न की जाए। लेकिन वहां चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वायरलेस मेसेज नहीं मिला है। अ: होम मिनिस्टर कहते हैं कि तीन-तीन वायरलेस मेसेज भेजे गये हैं और वे बोलते है कि हमें कोई मिला नहीं। (व्यवधान) यह मेरे साथ धोखा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर : हमको स्टेट होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया। अगर मेरा घर जल जाता, मेरे घर में ऐसी चीज रख दी जाती जिससे मुझको हरेस किया जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। आज इसका होम मिनिस्टर साहेब को जवाब देना होगा। अगर स्टेट होम मिनिस्टर मेरे साथ धोखा कर सकते हैं, मेरे साथ गलत बयानी कर सकते हैं तो सब के साथ धोखा हो सकता है। कैसे इस तरह पंजाब की समस्या दूर होने वाली है। एक दिन यह दादरा नगर हवेली भी और यह दमण भी, यही कश्मीर बन जायेगा, यही पंजाब बन जायेगा। आज जो ये यहां पर खड़े हैं इन्होंने मेरी परिस्थिति देखी थी और वह मेरे घर में आये थे। इन्होंने होम मिनिस्टर साहब को बताया था कि मोहन मिलकन की आज परिस्थिति क्या है, उनकी कंडीशन क्या है? यह बात होम मिनिस्टर साहब को पता है, फिर भी होम मिनिस्टर साहब को यह नहीं पता है कि उनकी कांस्टीच्यूऐंसी में क्या तकलीफ है? इसको कोई देखने वाला नहीं है, हमारा प्रजातन्त्र कोई नहीं है, इस रिपोर्ट को देखने वाला कोई नहीं है। जिसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और लिख कर देते हैं, उनके खिलाफ जांच की रिपोर्ट मांगी जाती है, इस तरह से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से, हाउस के सारे सदस्यों के सामने यह बता देना चाहता हूं कि पहले ये जो आफिसर के ऊपर एलीगेशन किया है, उसको पहले वहां से हटाया जाये और उसके बाद हाउस की कमेटी वहां भेजी जाये और इसकी जांच कराई जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, ये दो माननीय सदस्य वास्तव में दुःखी प्रतीत होते हैं। उन्होंने अत्यन्त गंभीर आरोप लगाए हैं कि वहां पर काम कैसे हो रहा है तथा वे विशिष्ट प्रकार की शिकायतें कर रहे हैं। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को अत्यन्त गंभीरता से लें। इन दोनों सदस्यों को यह महसूस नहीं होनी चाहिए कि उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। अतएव मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तुरन्त कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, इसी सत्र में दो बार, अभी-अभी पिछले सप्ताह हमारे इन दोनों निर्वाचित सदस्यों ने जो दोनों शेड्यूल्ड कास्ट की कांस्टीच्यूऐंसी से निर्वाचित हैं। इन्होंने शिकायत की, बड़ी स्पेसिफिक की और वहां के कुछ अधिकारियों के बारे में आरोप लगाया और कहा

कि एक प्रकार से सदस्यों के नाते जो उनको कर्त्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है, उसमें वह बाधा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिविलेज के रूप में चाहे इसे न उठाया गया हो। तो भी मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर मामला है और गृह मंत्री जी को तुरन्त उनकी इन शिकायतों का निवारण करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों माननीय सदस्यों की कठिनाई वास्तविक है। वे अधिकारियों के नाम भी बता रहे हैं। गृह मंत्री जी जो भी वक्तव्य देना चाहते हैं, उन्हें देने दीजिए। (व्यवधान) जब आप गृह मंत्री का वक्तव्य सुन लें तब मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर सदन के दो सदस्यों को यह आदेश दें कि वे वहां जायें तथा स्थिति का अध्ययन करें तथा आपके समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जबकि इस प्रकार की विशिष्ट शिकायतें की जा रही हैं, उस स्थिति में केवल यही उचित होगा कि उन पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

यह दलीय मसला नहीं है। जब एक सदस्य यह शिकायत करता है कि उसे उसके कर्तव्य-पालन से रोका गया और जब उसे अकारण परेशान किया गया हो तो उसकी जांच करना इस सदन का अधिकार है। अतः, मैं गृह मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि या तो वे इसकी जांच करें अथवा यदि आवश्यक हो तो आप स्वयं इस सभा की ओर से जांच करवाएं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : इस सभा के दो सदस्यों को उत्पीड़ित किये जाने के बारे में यहां पहले बताया गया था। तब गृह मन्त्री महोदय ने इसे दो दिन में निपटाने का आश्वासन दिया था। इससे ऐसा लगता है कि या तो गृह मन्त्री के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा अथवा वे स्वयं इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः यह खेदजनक है। यदि इन सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तो यहां गृह मन्त्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए प्रशासन को चेतावनी दी जानी चाहिए।

अतः गृह मन्त्री महोदय को उन अधिकारियों को शीघ्र वापिस बुलाने या उनका स्थानान्तरण करने की शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और तत्पश्चात् मामले की जांच की जानी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। यह यहां एक के बाद दूसरी सफाई दे रहे हैं जो उचित नहीं है। मैं इस सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके इस प्रकार प्रशासन चलाने के तौर तरीकों से देश घोर विपत्ति में फंस जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने होम मिनिस्टर साहब को बुलाया है, होम मिनिस्टर साहब बयान देने जा रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : स्पीकर साहब, दो आनरेबल मेम्बर्स ने दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के आफिसर्स के बारे में, वहां के कलेक्टर और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के बारे में शिकायत की कि इनके साथ और इनके रिश्तेदारों के साथ वहां ज्यादती की गई है। इस बारे में हमारा विचार यह था कि वहां की इंक्वायरी करके मालूम कर लें कि क्या हालात हैं। (व्यवधान)

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

मैंने स्टेट मिनिस्टर साहब को कह दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले सुनिए, मन्त्री जी क्या कह रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने स्टेट मिनिस्टर को कह दिया है कि वहां जो छोटे-छोटे आफिसर हैं, बहुत दूर जिनको ट्रांसफर किया गया है, वे देखें कि कौन-कौन आफिसर हैं, किसके खिलाफ शिकायत है। एक कलैक्टर को इन्होंने ट्रांसफर की है। (व्यवधान)

दूसरा इन्होंने एडीशनल पुलिस आफिसर के बारे में कह दिया कि कल मैंने उनके ट्रांसफर के आर्डर इश्यू किए। माननीय सदस्य अगर यह कहें कि अभी करना है…

[अनुवाद]

इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता है। हमें उसका पालन करना है। (व्यवधान)

मैंने उन्हें राज्य मन्त्री से बात करने के लिए कहा। उन्होंने कुछ मामलों का समाधान किया। तत्पश्चात् वे मेरे पास आए। मैंने उन्हें बताया कि सामान्यतया प्रत्येक अधिकारी को नहीं हटाया जा सकता है। तब उन्होंने मुझे एक या दो अधिकारियों के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया :

"मैं उन्हें हटा रहा हूं परन्तु इसके लिए हमें उनके समान योग्य व्यक्ति की तलाश करनी होगी।"

मैंने उन्हें निर्देश दिए। (व्यवधान)

इस प्रकार मैंने माननीय सदस्यों की शिकायत को बहुत गम्भीरता से लिया। मैंने गोवा के राज्यपाल श्री खुर्शीद आलम खां से इन शिकायतों के बारे में बात की और मैंने गृह सचिव को इन दो अधिकारियों को हटाने और उनके स्थान पर उपयुक्त व्यक्तियों को खोजने के आदेश दिए। (व्यवधान) यह सब मैंने किया है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी लोन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट के इस्लामाबाद में जो स्वयंभू अध्यक्ष अम्ना मुल्ला खान बने हुए हैं, हमला करने और जम्मू-कश्मीर के आदमियों के ऊपर अटैक करने की घोषणा की गई है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सात दिनों में एटम-बम के सारे साधन इस्लामाबाद से एयर-फोर्स पाकिस्तान के माध्यम से लाए जा रहे हैं। उत्तरी भारत में पिछले समय में जम्मू-कश्मीर में उन्हीं के आदेश पर वाईस-चांसलर की हत्या की गई थी। इसी प्रकार बहुत बड़ा खतरा राष्ट्र की सुरक्षा को पैदा हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लीयर वार का जो हमला होने का अंदेशा है तो उसके लिए सिविल डिफेंस हेतु रेड-अलर्ट की घोषणा करें और राष्ट्र की सुरक्षा हेतु जहां-जहां पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों के अड्डे पाकिस्तान में हैं वहां पर हमला करके उनको नष्ट करने का प्रयास करें।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए और अपनी बात को भले ही देर से पूरी करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कहा गया है देर आयद दुरुस्त आयद। मैं इस सदन और गृह मन्त्री महोदय का ध्यान इस देश की दो सीमाओं पर उठने वाले खतरों की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, त्रिपुरा के अगरतला में बम और बन्दूक बनाने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की तस्करी की जा रही है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मुझे कुछ समय तो दें।

अध्यक्ष महोदय : आप समय की कमी जानते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आपने मेरे माननीय मित्र को बीस मिनट दिए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कांस्टीच्युशन बिल को पास करना है।

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : आप पार्लियामेंट को चलने दीजिए और छह बजे से पहले बिलों को पास करा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त : त्रिपुरा में पुलिस और प्रशासन, तस्करों और हथियार, गोला-बारूद आदि बनाने वालों को जानते है। परन्तु वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। क्यों ? वे कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे है ? क्योंकि वहां सरकार स्वयं इन्हें संरक्षण दे रही है। मैं गृह मन्त्री महोदय से इस ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

दूसरी ओर, पश्चिमी सीमा पर तथाकथित उपग्रह चित्रों से पता चला है कि प्रक्षेपास्त्रों और आणविक बमों से सुसज्जित दस और सोलह पहियों वाले पचास ट्रक कहूटा से भारतीय सीमा के वायु क्षेत्रों और युद्ध चौकियों की ओर बढ़ चुके है। मैं सरकार से इस ओर ध्यान देने के लिए निवेदन करूंगा और सरकार यह पता लगाए कि 'सण्डे टाइम्स' में छपी ये कहानियां गलत हैं या सही। यदि वे सही हैं तो साधारण नागरिकों की आणविक हथियारों से रक्षा के लिए सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और आणविक हथियारों से स्वयं भी तैयार रहना चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि पाकिस्तान ने आणविक युद्ध आरम्भ किया तो इससे वह स्वयं ही दस गुना अधिक नष्ट हो जाएगा। यह बात इस सभा में पूर्णतः स्पष्ट की जानी चाहिए और राष्ट्र को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि गृह मन्त्री अगरतला की घटना का और रक्षा मन्त्री हमारी सीमा पर खतरे की धमकी का उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान संशोधन विधेयक कब लिया जाएगा और कब पारित किया जाएगा ? दो घण्टे पहले ही बीत चुके हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। तमाम पक्ष के साथियों को टेलीग्राम भेजा गया और सारे काम को छोड़कर सदन में बुलाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को पास करना है। आपके पास कालिंग अटेन्शन, 377, 193, 184 आदि आपके पास आते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनके तहत आप संसद में बहस करा सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 15—20 मिनट और आधे घण्टे तक महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठा सकते हैं। लेकिन दो-दो घण्टे तक समय इसी तरह चलता रहेगा। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी पक्ष के लोग, चाहे किसी भी पक्ष के हैं, वे चाहते हैं कि इसे इन्डैफिनिट समय तक चलाया जाए। इसलिए कृपया करके आप मेरे दो मोशन हैं, उन पर वोटिंग कराइए। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक हैं, सदन को जानकारी होनी चाहिए कि मतदान कब होगा···

अध्यक्ष महोदय : तुरन्त इसके बाद में।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब मतदान होगा उसकी सूचना दे दें जिससे हम सब इकट्ठे हो सकें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, वे चौथी बार बोल रहे हैं। यह भेदभाव है। आप एक सदस्य विशेष को ही बोलने की अनुमति देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री कुमारमंगलम आप क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री चार्ल्स, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष के साथ बहस मत करें। मेरा आदेश है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे इस तरह अध्यक्ष को धमकी क्यों दे रहे हैं ? यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदय, आप कृपया श्री कुमारमंगलम के स्थान पर श्री चार्ल्स को बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान)

प्रो० पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, आप कृपया श्री चार्ल्स को अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री पी० जे० कुरियन : महोदय, इन्होंने श्री चार्ल्स के पक्ष में अपना नाम वापिस ले लिया है। आप कृपया श्री चार्ल्स को अनुमति प्रदान करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं परन्तु आपको अध्यक्षपीठ को धमकी नहीं देनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं सदा अध्यक्षपीठ का सम्मान करता हूं और उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। महोदय, इस शैक्षिक वर्ष से केरल सरकार ने राज्य के 31 चुने हुए उच्च विद्यालयों में ही 'जमा दो' प्रणाली आरम्भ करने का निश्चय किया है। ऐसा लगता है कि महाविद्यालय शिक्षकों पर यू० जी० सी० वेतनमान को लागू करने के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया था। परन्तु इससे छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि यह निर्णय लागू कर दिया जाता है तो कक्षा दस के बाद दो समानान्तर पाठ्यक्रम होंगे। एक तो वर्तमान पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम है और दूसरा नई 'जमा दो' प्रणाली है। विश्वविद्यालय अन्ततः 'जमा दो' के विद्यार्थियों को स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा - इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम और जमा दो पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करने वाले छात्रों की परस्पर मैरिट को आंकने में भी कठिनाई होगी। पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के नियन्त्रण में होगा जबकि जमा दो प्रणाली उच्चतर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है। यदि पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम को बन्द करना ही अन्तिम उद्देश्य है तो इन महाविद्यालयों में कार्य कर रहे अध्यापकों का क्या होगा और जमा दो के छात्रों का भविष्य क्या है? आजकल हजारों छात्र पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम परीक्षा में प्राइवेट छात्र के रूप में बैठ रहे हैं। यदि इसे बन्द कर दिया गया तो प्राइवेट परीक्षार्थियों का क्या होगा? यदि जल्दबाजी में जमा दो प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय ले लिया जाता है तो इससे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। यू० जी० सी० वेतनमान को लागू करने के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा दी जानी है। अतः शिक्षा मन्त्रालय का यह देखने का उत्तरदायित्व है कि यह योजना यू० जी० सी० के मार्ग निर्देशों के अनुसार लागू हो। इसमें केवल एक सम्भावना यह है कि आप पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अलग से बोर्ड का गठन करें, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में किया गया है। महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है और मैं भारत सरकार के इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करने का निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

12.45 म० प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने 28 मई, 1990 को इस सभा को प्रस्तुत प्रथम प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे लिखी अवधि के लिए सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति देने की सिफारिश की है :—

(1) श्री सुदाम वसावे देसमुख—23-3-90 से 11-5-90 तक

(2) श्री जी० कृष्णन—12-3-90 से 23-4-90 तक और
8-5-90 से 25-5-90 तक

(3) श्री सज्जन वत—2-5-90 से 17-5-90 तक

(4) श्री रामेश्वर पाटीदार—23-4-90 से 21-5-90 तक

क्या यह सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उन्हें इसकी अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे पता है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल शर्मा (ऊधमपुर) : मैं आपसे और उनसे यह कहना चाहूंगा कि आप कस्टोडियन हैं हरेक इंडीविज्युल मैम्बर्स के राईट के और आपने खुद यह कहा कि जो भी लिखकर रूम में देगा, उसको हम मौका देंगे। मैंने भी चार बार विशेष महत्व के नुक्ते आपको लिखकर दिये··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठ जायें शर्मा जी।

श्री धर्मपाल शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय।

12.46 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री धर्मपाल शर्मा : मैंने भी चार नुक्ते लिखकर··· (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें शर्मा जी।

[अनुवाद]

वह जो भी कह रहे हैं, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.46½ म० प०

बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के रानीगंज नम्बर 2 वर्क्स को रिफ्रैक्टरीज एण्ड सिरेमिक यूनिट्स, दुर्गापुर वर्क्स के बंद होने के बारे में याचिका

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : श्री शिव किंकर डे, संयुक्त सचिव तथा श्री विवेक होम चौधरी, सहायक सचिव, रिफ्रैक्टरी एण्ड सिरेमिक यूनियन, रानीगंज, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल, तथा अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित, बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के रानीगंज नम्बर 2 वर्क्स की रिफ्रैक्टरी एंड सिरेमिक यूनिट्स दुर्गापुर वर्क्स के बन्द होने के बारे में याचिका प्रस्तुत करने की मैं अनुमति चाहता हूं।

———

12.47 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात सम्बन्धी लाइसेंस नीति

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश में गौण क्षेत्र के इस्पात उद्योग के अन्तर्गत आने वाली लाइसेंसिंग नीति को अभी और अधिक सुधार बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र ने एकीकृत इस्पात कारखानों में अब तक महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय भूमिका निभायी है। गौण इस्पात क्षेत्र को ऐसा करते रहना चाहिए तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादों जिनमें विशेष इस्पात भी शामिल हैं, के लिए सप्लाई और मांग की कमी को पूरा कर अबाध रूप से अग्रसर होना चाहिए। इस बात को देखते हुए कि पिछले अनेक वर्षों में हम प्रत्येक वर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपये मूल्य के इस्पात का आयात करते आ रहे हैं, अर्थ-व्यवस्था में इस्पात की सप्लाई करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गौण इस्पात क्षेत्र को सहायता करने की आवश्यकता है।

2. लाइसेंसिंग नीति को सुधार बनाने के लिए आधारभूत सिद्धांत यह है कि अलग-अलग की इकाइयों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए पिछड़े और उन्नत दोनों क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए गौण इस्पात क्षेत्र को सुगम बनाया जाना चाहिए जिनमें से अनेक आधुनिक प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत छोटी है। स्थान विशेष पर इस्पात विशेष मदों का उत्पादन करने अथवा किसी परियोजना को लगाने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश सम्बन्धी निर्णय लेना मूलरूप से वाणिज्यिक निर्णय होता है और निजी क्षेत्रों को इस प्रकार समर्थ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे सरकार पर किसी प्रकार का कोई दायित्व डाले बिना अपने कच्चे माल और विपणन सम्बन्धी समस्याओं को हल कर सकते हैं।

3. इस प्रकार नयी नीति में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी :—

(क) विद्युत चाप भट्ठियों के आधुनिकीकरण की अनुमति के कार्य को उदार बनाया जाएगा बशर्ते कि उत्पादन किये जा रहे स्पंज लोहे का उपयोग न हो तथा/अथवा इस्पात के

[श्री विनेश गोस्वामी]

गलनशील स्क्रैप के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा के बोझ को कम किया जाए।

(ख) धमन भट्ठी प्रक्रिया द्वारा इस्पात तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी बशर्ते उसकी इस समय उच्चतम क्षमता सीमा 2,50,000 मी० टन वार्षिक हो। जैसाकि मैंने पहले बताया है, यह इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि देश में अब लघु धमन भट्ठी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है अत: कच्चा लोहा/इस्पात निर्माण की इस प्रक्रिया को निजी क्षेत्र के लिए बन्द करना न्यायोचित नहीं है।

(ग) इस्पात की विभिन्न वेल्लित जिन्सों के लिए इस समय हमारी लाइसेंसिंग नीति में उन प्रचलित नियामक भेदभावों को समाप्त किया जा रहा है।

(घ) जिन इकाइयों ने स्पंज लोहा तैयार करने की सुविधाएं स्थापित कर रखी हैं, उन्हें तैयार इस्पात का उत्पादन करने के लिए अपने प्रचालन कार्य में वृद्धि करने की मुक्त रूप से अनुमति दी जाएगी।

4. देश के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों नामत: जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों इत्यादि की अवस्थापना सम्बन्धी समस्याओं को देखते हुए उनकी न्यूनतम आर्थिक क्षमता के लिए विशेष प्रावधान बने रहेंगे।

5. माननीय सदस्य देश के अधिकांश राज्यों में बिजली की सप्लाई की विकट स्थिति से अवगत ही हैं। आधुनिक किस्म की विशाल इकाइयों सहित नयी विद्युत चाप भट्ठी इकाइयां, जो ऊर्जा और विद्युत कार्यक्षम हैं और जो उच्च सृजनात्मक इकाइयां हैं, को बहुत सावधानीपूर्वक अनुमति दी जानी चाहिए। इस मामले पर अलग से विचार किया जा रहा है।

6. मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस नीति के उदारीकरण जिसका अब प्रस्ताव किया जा रहा है, से हमारे देश में गौण इस्पात क्षेत्र के उद्योग उत्साहवर्धक रूप से कार्य करेंगे। इस प्रकार के कार्य को समुचित परियोजना निरूपण और अर्थ-क्षम पूंजी-विनिवेश द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें सरकार पर बोझ डाले बिना निजी इकाइयों को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराके अथवा बाजार में सुरक्षित रहते हुए किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि लोहा तथा इस्पात क्षेत्र जो हमारी अर्थ-व्यवस्था का मूल आधार है और जिस पर हमारा अधिकांश निर्यात निर्भर है, के उत्थान में यह नयी नीति एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करेगी।

———

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा बोली गयी बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। अब श्री उपेन्द्र बोलेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, अनेक माननीय सदस्य संविधान (संशोधन) विधेयक के लिए मतदान का समय जानने को उत्सुक थे। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिए दो घण्टे का समय

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निर्धारित किया गया था और हम पहले ही इस पर तीन घण्टे खर्च कर चुके हैं। इसलिए, इस विधेयक पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे ही विधेयक को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात्, मेरा सुझाव यह है कि संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक पर 2.30 म०प० पर मतदान कराया जा सकता है तथा भूमि सुधार संबंधी विधेयक पर 6.00 म०प० पर चर्चा की जा सकती है। उसके पश्चात् नियम 193 के अन्तर्गत कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। यह केवल अस्थाई कार्यक्रम है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग गठित करने संबंधी संविधान (संशोधन) विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। जिन मुख्य दलों को अभी तक इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला है, उन्हें यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री के० एस० राव।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : महोदय, हमारे पक्ष के बहुत से सदस्यों को अभी संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। हम अतिरिक्त समय नहीं चाहते हैं। हमारे पक्ष के चार सदस्य जा चुके हैं। प्रत्येक सदस्य को कम से कम पांच मिनट का समय दिया जाना चाहिए और इस प्रकार 20 मिनट का समय दिया जाना चाहिए। आप, कृपया, हमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र, क्या आप इनके सुझाव से सहमत है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : आयोग गठित करने के सम्बन्ध में संविधान (संशोधन) विधेयक पर हमारे दल ने अभी तक अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं। मैं चाहती हू कि हमारे दल को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, पहले विधेयक पर मतदान 2.30 बजे होना है और वे यह चाहते हैं कि दूसरे विधेयक पर 5.30 बजे मतदान हो। इस प्रकार तीन घण्टे का समय उपलब्ध है और सदस्यों द्वारा विचार प्रकट करने के लिए यह समय काफी होगा। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर हम अभी विचार कर लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करेगा। श्री गोपीनाथ मजपति। (व्यवधान)

श्री सत्यरेन्द्र कुम्बू (बालासोर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सभा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही हो तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सभा-अन्तराल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री सत्यरेन्द्र कुम्बू : आप एक अनुभवी अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कि सदन के सामने हर समय कोई न कोई कार्य होता है। इस समय मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हू। वास्तव में, यह भी सदन की कार्यवाही में शामिल है। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं यहां पर दो घण्टे से अपना हाथ उठाये बैठा हूं। परन्तु, मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं दिया गया। हम यह जानते हैं कि आप महाराष्ट्र विधान सभा के माननीय अध्यक्ष रहे हैं और अब उपाध्यक्ष हैं। जिस तरीके से आप सदन की कार्यवाही चलाते हैं, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। मैंने एक विशेषाधिकार सम्बन्धी नोटिस दिया था और पिछले दो दिनों से मैं अपना हाथ उठा रहा हूं और किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। यह एक बहुत ही निराशाजनक बात है। जब इस मामले पर यहां पर चर्चा की जायेगी तो सारे देश में हलचल मच जायेगी। यह नोटिस सेंट किट्स घोखाधड़ी के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है और आपने भी यह देखा होगा कि किस तरह से साउथ ब्लाक में यह भयंकर षड्यन्त्र रचा गया। इसमे आधा दर्जन लोग संलिप्त हैं। उन्होंने इस सभा के अन्दर और बाहर अपने व्यवहार के द्वारा संसद की अवमानना की है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैं इस मुद्दे को सभा में उठाना चाहता हूं और मुझे इस मुद्दे को उठाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इस मुद्दे को उठा सकते हैं। आपका मामला सम्भवत: माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। आप उन्हें उनके कक्ष में जाकर मिल सकते हैं। जब विशेषाधिकार सम्बन्धी मामले उठाये जायेंगे, इस सम्बन्ध में आप माननीय अध्यक्ष से उनके कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं पहले ही अध्यक्ष महोदय से मिल चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, एक बार फिर मिल लीजिए।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी-अभी यह कहा गया है कि मद संख्या 11 पर 2.30 बजे मतदान होगा। क्या हमने ठीक समझा ?

श्री पी० उपेन्द्र : नहीं, इस पर अभी नियम 377 के अन्तर्गत मामले लेने के पश्चात् मतदान होगा।

श्री वसंत साठे : उन चार सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

श्री पी० उपेन्द्र : हम पहले ही निर्धारित समय से अधिक समय खर्च कर चुके हैं।

श्री वसंत साठे : क्या मद संख्या 12 पर चर्चा होगी अथवा नहीं ?

श्री पी० उपेन्द्र : आप पहले ही $1\frac{1}{2}$ घण्टा ले चुके हैं।

श्री वसंत साठे : मद संख्या 12 पर नहीं।

श्री पी० उपेन्द्र : आप इस पर भी समय ले चुके हैं। इसका रिकार्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, इस पर एक घण्टा पच्चीस मिनट का समय लगा है।

श्री वसंत साठे : इसका अर्थ यह है कि इस पर 3.00 बजे विचार किया जायेगा। भोजनावकाश का क्या होगा ? क्या हम भोजनावकाश करेंगे अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : भोजनावकाश नहीं होगा। इस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

श्री वसंत साठे : परन्तु हमें अपने सदस्यों को भी बताना है।

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने उनके जाने से पहले उन्हें बताया था।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। अगर भोजनावकाश नहीं किया जाना है तो इसका निर्णय और प्रस्ताव यहां पर होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है। यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह मनमानी ठीक नहीं। हमें अपने सदस्यों की भी बताना है।

श्री पी० उपेन्द्र : इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिया गया है और यह इस समिति की रिपोर्ट में शामिल है कि भोजनावकाश नहीं किया जायेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप कृपया रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा है अगर आवश्यक हुआ। परन्तु इस बारे में अन्तिम निर्णय सभा का होगा। हम इस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं परन्तु प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत होना चाहिए और निर्णय भी यहीं पर लिया जाना चाहिए।

श्री पी० उपेन्द्र : ठीक है, अब मैं औपचारिक रूप से इसका प्रस्ताव करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : दूसरे, कल सभापति द्वारा यह घोषणा की गई थी कि मद संख्या 11 पर चर्चा के लिए तीन सदस्यों को तीन-तीन मिनट का समय दिया जायेगा। हमारी तरफ से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर केवल एक सदस्य ने अपने विचार प्रकट किए हैं।

1.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समय निर्धारित कर दिया था।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा कहना है कि समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री बसंत साठे : महोदय, हमने सदस्यों को पहले ही बता दिया कि भोजनावकाश होगा और वे चले भी गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम भोजनावकाश नहीं करेंगे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, समस्या यह है कि हमने सदस्यों को पहले ही सूचित कर दिया है और वे चले गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक है।

श्री पी० उपेन्द्र : पहले विधेयक में साधारण बहुमत की आवश्यकता है और दूसरे विधेयक में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, भोजनावकाश नहीं करने के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं।

———

1.01 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्वी क्षेत्र की स्थल चयन समिति द्वारा उड़ीसा के पुरी जिले में प्रस्तावित स्थान पर एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने की मांग

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : भारत सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थल का चयन करने के लिए एक स्थल चयन समिति का गठन किया है। पूर्वी क्षेत्र के लिए स्थल चयन समिति ने कई बार उड़ीसा का दौरा किया और वहां के विभिन्न स्थानों पर प्रारंभिक जांच का कार्य शुरू किया।

उड़ीसा सरकार के उच्चाधिकारियों से बातचीत एवं जांच के बाद समिति ने पुरी जिले के अंतर्गत भोपुर खंड के बीजीपुर नामक स्थान को उपयुक्त पाया। राज्य सरकार ने समिति को आश्वासन दिया कि आधारभूत संरचना विकसित करने और निर्माण के लिए पानी, भूमि और बिजली की आपूर्ति की जाएगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही न्यूक्लियर पावर बोर्ड को दे दी है। फिर भी, दुख की बात यह है कि भारत सरकार ने देश के आर्थिक लाभ के इस अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर समुचित ध्यान नहीं दिया है।

अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले में अविलम्ब निर्णय लिया जाए ताकि चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा सके।

(दो) उत्तर प्रदेश की "गोंड", "मांझी" और "पनिका" जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल झिकराम (मांडला) : भारतवर्ष में आदिकाल से निवास करने वाली गोंड़ जाति जो भारत के विभिन्न प्रान्तों में न्यूनाधिक संख्या में पाई जाती है उसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया है। किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंड़ जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में न लेकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया है। इतना ही नहीं उसने ऐसा करके भारतीय संविधान की इस सूची की अवहेलना की है।

मेरा निवेदन है कि भारत सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करे कि गोंड़ जाति एवं उसकी उप-जातियों को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत सूची में लेने का कष्ट करें।

इसी प्रकार मांझी जाति और पनिका जाति को भी सम्पूर्ण भारत में अनुसूचित जनजाति में लेने का कष्ट करें। अभी किन्हीं प्रान्तों तथा जिले में इन जातियों को अनुसूचित जनजातियों में नहीं लिया गया है। अतः तत्काल उपरोक्त सुधार करने का कष्ट करें।

(तीन) मीटर गेज रेल लाइन का अगरतला, त्रिपुरा तक विस्तार करने की परियोजना को आठवीं योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (पश्चिम त्रिपुरा) : देश के विभाजन के पश्चात् त्रिपुरा भारत के अन्य हिस्सों से पूरी तरह अलग हो गया क्योंकि यह तीन ओर से पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बंगलादेश से है भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है और केवल उत्तरी छोर से असम के कछार जिले से जुड़ा हुआ है।

वास्तव में, बंगलादेश के नजदीक के जिलों में स्थित रेलवे स्टेशन त्रिपुरा के उप-प्रमण्डलीय कस्बों से कुछ ही दूर पर थे और वे ही यातायात के मुख्य साधन थे। विभाजन के पश्चात् ये रेलवे स्टेशन बंगलादेश में चले गये जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की संचार व्यवस्था शेष भारत से अस्त-व्यस्त हो गई।

चारों ओर जमीन से घिरे राज्य त्रिपुरा में उत्तरी सीमांत रेलवे के तहत 45.5 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन से अभी काम लिया जा रहा है जो कि राज्य के उत्तरी जिले के कुमारघाट तक फैली है।

आधारभूत संरचना के अभाव में राज्य का आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

त्रिपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया जाना जरूरी है।

ट्रैफिक और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के अनुसार 120 किलो मीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने का खर्च 153 0 करोड़ होगा जिससे वित्तीय लाभ मात्र 0.82 प्रतिशत से 1.27 प्रतिशत के बीच होगा। दिनांक 4 अक्तूबर, 1989 को आलेगांव में हुई कार्य दल की बैठक में छोटी लाइन को अगरतला तक बढ़ाये जाने पर सहमति हुई थी। इस कार्य दल द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि 'आर० आई० टी० ई० एस०' की 'बाई मोडल' अध्ययन रिपोर्ट की जांच के बाद, योजना आयोग कुमारघाट से अगरतला तक रेलवे लाइन के विस्तार कार्य पर आठवीं योजना के दौरान विचार करेगा।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह आठवीं योजना में इस परियोजना को शामिल करे।

(चार) बिहार में सहरसा स्थित दूरदर्शन केन्द्र में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन केन्द्र सहरसा की प्रसारण क्षमता इतनी कम है कि उसका प्रसारण पूरे नगरपालिका क्षेत्र सहरसा में नहीं दिखाई पड़ता है जबकि सहरसा जिले का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उसकी कोशी व अन्य तहसील प्रमण्डल सहरसा के करीब 100 या इससे भी अधिक किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं और वहां की जनता दूरदर्शन के कार्यक्रम को देखने से वंचित रहती है जिसके कारण सहरसा की जनता में काफी रोष है। जब आज देश के सभी नगरों में दूरदर्शन की सुविधा 80 प्रतिशत तक है, मेरे क्षेत्र सहरसा में अभी यह सुविधा बहुत ही कम है। इसलिए दूरदर्शन केन्द्र के कम शक्ति के ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया जाए।

[श्री सूर्य नारायण यादव]

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि सहरसा की जनता को इस प्रकार के मनोरंजन से वंचित न करके उनके लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम को अधिक क्षेत्र तक दिखाई पड़ने के लिए उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने की शीघ्र व्यवस्था करें ताकि सहरसा की जनता दूरदर्शन के कार्यक्रम को देखकर लाभान्वित हो सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में एक केन्द्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में अपार प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है और यहां की जलवायु स्विटजरलैंड व जापान से मिलती-जुलती है। अतः यहां उपलब्ध इस सम्पदा, खनिज सम्पदा के अन्वेषण वनों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के शोध, वैकल्पिक ऊर्जा को दैनिक उपयोग में लाने, पर्यटन पर आधारित उद्योग, फलों व साग-सब्जियों के रख-रखाव पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए इस क्षेत्र में एक केन्द्रीय रिसर्च केन्द्र की स्थापना की सम्भावना पर विचार कर उसका पता लगाना चाहिए। परिस्थितियों को देखते हुए अति शीघ्र केन्द्रीय रिसर्च विश्वविद्यालय वहां खोलना चाहिए।

(छः) मध्य प्रदेश में, विशेषकर, रतलाम में, विभिन्न रासायनिक उद्योगों के निःस्राव को पेयजल के स्रोतों में गिरने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की मांग

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के प्रदूषण पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करते हुए मध्य प्रदेश स्थित कई रासायनिक उद्योगों तथा औषध उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल के लिए उपयुक्त ट्रीटमेंट प्लांट न लगाए जाने से उद्योगों के आस-पास के क्षेत्रों का जन-जीवन असुरक्षित हो गया है। उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो 15—20 किलोमीटर तक 200 से 300 फुट गहरे स्तर पर पानी दूषित हो गया है और पीने के पानी का गहरा संकट हो गया है, पशु-पक्षी मर रहे हैं। विशेषकर रतलाम जिले में अल्कोहल प्लांट, सज्जन केमिकल्स, जयना विटामिन्स व इफको लेबोरेटरीज उल्लेखनीय है। अतः सरकार तुरन्त नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करे।

(सात) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी द्वारा होने वाले भू-कटाव को रोकने के लिए कदम उठाये जाने की मांग

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी में प्रति वर्ष बाढ़ एवं कटाव से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। करोड़ों रुपये की फसल एवं अन्य प्रकार की क्षति हो जाती है तथा तबाही की हालत पैदा हो जाती है। आदमियों के खाने, रहने एवं पशुओं के चारे की भयंकर समस्या पैदा हो जाती है। लगातार 3-4 माह जल प्लावन का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आवागमन, संचार के साधन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाते हैं।

तूफानी कटाव के कारण हर वर्ष सैकड़ों गांव जल-समाधि ले लेते हैं और उक्त नदी के पेट में समाहित हो जाते हैं। उक्त नदी की यह सबल प्रक्रिया है। उक्त बाढ़ एवं कटाव को रोकने के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करती है, परन्तु आज तक बाढ़ व कटाव का कोई स्थायी हल

नहीं हो पाया है।

बरसात का मौसम करीब है। नदी में कटाव प्रारम्भ हो गया है। नदी एवं बांध के बीच की जमीन काफी नीची है। लगातार उसमें पानी भरा रहता है।

अत: केन्द्रीय सरकार के माध्यम से मैं चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र में कटाव एवं बाढ़ रोकने के लिए सरकार कोई स्थायी हल निकाले। उक्त इलाका आजमगढ़ मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है।

(आठ) रेल कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामलों को वापस लिए जाने और रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 14 (दो) को समाप्त किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : लोक सभा में वर्ष 1990-91 के रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान रेल मन्त्री ने अपने उत्तर में सदन को आश्वासन दिया था कि रेल कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने के सभी मामलों का पुनर्वालोकन किया जाएगा और न्याय किया जाएगा। लेकिन, आज तक रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम 14 (दो), 1968 के तहत मामले की पुनरीक्षा कराये जाने के आश्वासन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया गया।

इस संबंध में उत्पीड़न के दो प्रकार के मामले हैं। पहले, नियम 14 (दो) के तहत हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया और जिन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए, चूंकि नियम 14 (दो) स्वयं ही प्रतिशोधात्मक है। दूसरे, अनुशासनात्मक कार्यवाही के नाम, पर ट्रेड यूनियनों में सक्रिय होने के कारण उत्पीड़ित किए जाने के मामले हैं। जिनके तहत पदावनति, स्थानान्तरण और यहां तक कि सेवा से बर्खास्त भी किया गया। इसकी जांच के लिए मन्त्री महोदय को एक संसदीय समिति गठित करनी चाहिए अथवा इस मामले को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जांच के लिए सौंपना चाहिए जिससे उन्हें भी न्याय मिल सके।

अन्त में, रेल कर्मचारी नियम 14 (दो) (अनुशासन और अपील) नियम 1968 को सरकार द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में वर्तमान सत्र समाप्त होने से पूर्व एक घोषणा की जानी चाहिए।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

1.13 म०प०

राज्य सभा द्वारा यथापारित—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान द्वारा 24 मई, 1990 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर यह सभा अब आगे विचार करेगी, अर्थात् :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने तथा संविधान (जम्मू और कश्मीर)

अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978, में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

अब श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील बोलें।

श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील (अडूर) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। नव बौद्धों की चिरप्रतीक्षित मांग भी इस विधेयक के द्वारा पूरी होगी। अनुसूचित जातियों की सूची में इस धारा को सम्मिलित नहीं किया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण भूल थी जिसे अब सुधारा जा रहा है। जिन परिस्थितियों ने स्वर्गीय डाक्टर अम्बेडकर और उनके अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया गया वह सभी को पता है। हिंदू समाज ने अछूतों को कभी भी सम्मान के साथ जीने नहीं दिया। डा० अम्बेडकर ने इन स्थितियों से ऊब कर ही अधिक मानवोचित और न्यायोचित बौद्ध धर्म को अपनाया। यद्यपि, केवल धर्म परिवर्तन से न तो समाज के दृष्टिकोण में और न ही समाज के सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कोई बदलाव आया। इस प्रकार, नव-बौद्ध अब तक सामाजिक विवशता को उसी तरह सहन करते रहे हैं, जिस तरह उनके भाई-बहन हिंदू समाज में कर रहे हैं। इसलिए, उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर लिया जाए। अब चूंकि यह स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए हम इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हैं।

इस वैधानिक पहल को समर्थन देते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर लिये जाने मात्र से ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। आज अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति क्या है? वह सरकार जो विगत चालीस वर्षों तक सत्ता में रही, उसके गंभीर प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व प्रथम श्रेणी की सेवा और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में नगण्य रहा है।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुधार के लिए हर सम्भव कोशिश की। इसी प्रकार से, पिछली सरकार ने वास्तव में यह आदेश दिया था कि सभी बकाया आरक्षित पदों को निर्धारित समय में भर दिया जाये। गत् वर्ष भारी पैमाने पर भर्तियां की गईं। मैं नहीं जानता कि यह सरकार उस भर्ती अभियान को उसी ईमानदारी के साथ जारी रखेगी जैसा कांग्रेस सरकार ने किया था।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह है इसाईयों की, उन्हें अनुसूचित जाति मानने की मांग। यह मांग पूरी तरह से न्याय संगत है। ये धर्म परिवर्तन किए हुए लोग कौन हैं? ये वही हरिजन हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। हिन्दू समाज में ऊंची जाति वाले लोगों द्वारा उनके प्रति अमानवीय व्यवहार के कारण उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया जैसे डा० अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। किन्तु दूसरे धर्म का वरण करने से न उनका सामाजिक स्तर ही बदला है और न ही आर्थिक व्यवस्था। बल्कि, सरकार की ओर से कोई विशेष छूट न मिलने के कारण ये लोग अपने हिन्दू भाइयों से कहीं अधिक पिछड़े हुए रह गए हैं। खैर, अब जब सरकार ने नव-बौद्ध को अनुसूचित जातियों का स्तर देने का निर्णय ले लिया है तो ईसाई धर्म अपनाने वाले हरिजनों की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। दूसरे पहलू से भी यह मांग न्याय संगत है। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता देता है।

यह इस बात की भी घोषणा करता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। यदि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो किसी धर्म को अपनाने की स्वतन्त्रता का दम भरना निरर्थक हो जाता है। 1950 के अनुसूचित जातियों सम्बन्धी आदेश में हिन्दुओं और सिखों के अनुसूचित जातियों के लोगों को विशेष लाभ की व्यवस्था की गई है। यहां, धर्म ही विशेष अनुकम्पा की पात्रता का निर्णय करने का एकमात्र मापदण्ड बन जाता है। मैं सोचता हूं कि वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे अनुसूचित जातियों के उन लोगों को भी अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० पैंचालैया।

श्री पी० पैंचालैया (नेल्लोर) : मैं अपनी मातृभाषा तेलुगू में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने सभा को सूचित किया था कि आप तेलुगू में बोलेंगे।

[हिन्दी]

आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा बाद में बोल लीजिए, ट्रांसलेशन की व्यवस्था हो जाए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बहस कल से चल रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बौद्धों की यह मांग थी, उनको हम ये सुविधायें देने जा रहे हैं। यह कहते हुए कि इतने वर्षों के बाद दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि कोई रैडिकल चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, जिनको जो सुविधायें मिल रही है, वे सचमुच में अगर उनको सुविधायें मिल रही है, और उससे अगर फायदा होता तो आज हमारे देश में चारों तरफ इस तरह का जो आन्तरिक युद्ध छिड़ा हुआ है, वैसा युद्ध नहीं छिड़ा हुआ होता। ये जो सुविधाएं अनुसूचित जातियों के नाम पर मिलती हैं ये उनको ही मिल रही हैं जो आगे आ चुके हैं, जो ऊपर आ चुके हैं, उन्हीं के बाल बच्चों को घूम-फिर कर सारी सुविधाएं मिलती हैं। बाकी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। गांवों में बच्चे पढ़ते हैं, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में जिनमें अनुसूचित जातियों के छात्रों को सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन वे सुविधाएं उनको तब मिलती हैं जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है, उनकी क्लास खत्म हो जाती है। तब उनको पैसा मिलता है। इसलिए इन सुविधाओं का उनको लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आई० पी० एस० बन गए हैं, उन्हीं के बच्चे आई० पी० एस० बनते हैं, जो मिनिस्टर बन गए हैं उनके बच्चे ही ऊंची नौकरियां पाते हैं। हमको देखना चाहिए कि ये सुविधाएं उन्हें मिलें जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित रहे हैं।

दूसरी चीज हम यह कहेंगे कि इसके लिए पहले सर्वे होना चाहिए। सर्वे करके यह देखना चाहिए कि कितने लोग इन सुविधाओं से ऊपर आ चुके हैं, सामाजिक, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बराबरी पर आ गये हैं। ऐसे लोगों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने से रोका जाए और जो इनसे अब तक वंचित रहे हैं उनको ये सुविधाएं दी जाएं। जो लोग इनसे अब तक वंचित रहे हैं, उनके नौजवान बच्चे आज हथियार उठा रहे हैं और उग्रवादी तत्वों के साथ मिल कर एकदम मोर्चा बना रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय धारा से अलग जा रहे हैं। जहानाबाद में आज पढ़े-लिखे नौजवान बाल काटने का काम

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

करते हैं, नहर खोदते हैं, चरवाही करते हैं। मैंने इस बारे में बार-बार कहा है कि उन लोगों को सही काम पर लगाया जाए। उनकी रोजी का सवाल है, उनकी रोटी का सवाल है। मैं ऐसी सुविधाओं के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन हमको इससे आगे बढ़ कर काम करना होगा। गरीबों के लिए उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था करें। इससे हम समझते हैं कि जो उग्रवादी तत्व बढ़ रहे हैं, उनमें हम बहुत हद तक कमी ला सकते हैं।

आपने जो मुझे समय दिया है, उसमें मैं आपके सामने एक कविता रखता हूं जरा सुन लीजिए—

कुर्सी तेरी महिमा को, गाता सब संसार
तुझ पर बैठे एक बार जो, उसका बेड़ा पार
कामधेनु बन जाती उसको, मनवांछित फल देती है।
सात पुश्त के दरिद्र को तू, तुरन्त ही धो देती है।
गंगा यमुना सरस्वती तू, वैतरणी कलयुग की है
दुःख भन्जनी पाप हरणी, तू ही खेवनहार
कुर्सी तेरी महिमा जाने संसार।
बड़े-बड़े योगी और भोगी, युग-युग से हैं तेरे दिवाने
सब को ही तू खेल खिलाने, कोई न माने हार
फलदायनि कलयुग की तू, तेरे रूप हैं बड़े निराले
जिस पर हुई मेहरबान तू, होते उसके भाग उजाले।
कुर्सी तेरी महिमा जाने संसार।

आज यह सवाल है। सदन इस बात को जाने कि जिन लोगों के पास आज घर नहीं है, खाने को नहीं है, वे सब देहात में मिलते हैं। हम कहेंगे कि आज जहानाबाद में जो आंदोलन हो रहा है उसके चलते हमें कल ही खबर मिली है कि वहां उग्रवादियों ने लोगों घोसा प्रखण्ड ग्राम साहोविगहा के नगीना यादव के मकान ध्वस्त कर दिये, सारा सामान लूट करके ले गये। उग्रवादी वहां हत्या करते हैं। रोज-ब-रोज इस तरह की घटनाएं वहां होती हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार इसके लिए सजग हो और गरीबों के लिए काम करे। अगर यह नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक आपका काम चलने वाला नहीं है।

*श्री पी० पेंचालैया (नेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

महोदय, जो आरक्षण सुविधाएं केवल अनुसूचित जातियों को उपलब्ध हैं उन्हें नव बौद्धों को भी प्रदान करने के लिए इस विधेयक का प्रस्ताव करने के लिए मैं माननीय मन्त्री की प्रशंसा करता हूं। नव बौद्धों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने की और संविधान में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं

*मूलतः तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को उन्हें उपलब्ध कराये जाने की मांग नई नहीं है। यह मांग बहुत देर से है। किन्तु दुर्भाग्य से इस मांग पर कई वर्षों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। महोदय, नव बौद्ध शत-प्रतिशत अनुसूचित जातियों से है। डा० बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर में दीक्षाभूमि पर अपने अनुसूचित जातियों के पांच लाख साथियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। डा० अम्बेडकर ने यह कदम उन्हें संविधान अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं उठाया। अवश्य, उनकी यह मंशा नहीं थी कि संविधान में अनुसूचित जातियों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं से इन लोगों को वंचित कर दिया जाये। वे नव बौद्धों को इन सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के पक्ष में थे। महोदय, इस देश के लिए बौद्ध धर्म नया नहीं है। आखिरकार, हमारी भूमि बुद्ध की भूमि है। वास्तव में डा० अम्बेडकर की मंशा यह थी कि धरती के इस धर्म को पुन: जीवित किया जाए जो इतिहास में खो गया था। वे और विहारों का निर्माण करना चाहते थे। वे तो बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए अलग महाविद्यालय भी चाहते थे। दुर्भाग्य से 6 दिसम्बर, 1956 को डा० अम्बेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ बौद्ध धर्म को इसके जन्म की भूमि में अनुप्राणित करने की उनकी इच्छाएं अपूर्ण ही रह गईं। उनके सभी साथी अनाथ हो गए।

महोदय, इतने भारी पैमाने पर हो रहे धर्म परिवर्तन के पीछे क्या कारण हैं? डा० अम्बेडकर और इसके साथ, सारी अनुसूचित जातियां मूलत: आदिम जातियां हैं। वे ही इस भूमि के असली पुत्र हैं, क्योंकि वे अनन्तकाल से यहां हैं। आर्य, द्रविड़ और अन्य जिन्होंने बाद में देश पर आक्रमण किया, उन्होंने इन लोगों को बाहर जंगलों और पहाड़ों में भगा दिया। बाद में ऊंची जाति वालों ने उनका तिरस्कार पर तिरस्कार किया। संक्षेप में, यही इतिहास है। जब ऊंची जाति के हिन्दुओं द्वारा शासित कई राज्य बने, तो इन लोगों के साथ बहुत घृणा के साथ व्यवहार किया गया। मुसलमानों के शासन के दौरान स्थिति में कुछ सुधार नहीं था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भी उनकी दशा वही रही। अनुसूचित जातियों के लोगों ने आजादी की लड़ाई में इस आशा के साथ योगदान दिया कि आजाद और लोकतांत्रिक भारत में स्थिति कुछ भिन्न होगी। उन्होंने सोचा था, स्वतन्त्र भारत में वे गरिमा और आत्म सम्मान के साथ रह सकेंगे। लाखों और करोड़ों की संख्या में, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। वे जेल भी गए। उन पर लाठियां भी चलाई गईं। उन्होंने हर सम्भव बलिदान दिया। स्वतन्त्रता का क्षण आया। डा० अम्बेडकर संविधान सभा के सभापति बनाए गए। उन्हीं के कारण, इस शोषित, बुरी तरह से उपेक्षित वर्ग को संविधान में कुछ सुविधाएं दी गईं। किन्तु, यद्यपि संविधान में उन्हें सुरक्षा का प्रावधान किया गया, उसे व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया गया। सरकारें आईं और सरकारें चली गईं। उनके स्तर में कोई बदलाव न आया। डा० अम्बेडकर ने अपने संघर्ष को बिना रुके अन्त तक जारी रखा। किन्तु वे इस ऊंची जाति के प्रभाव वाले हिन्दू समाज में सफल नहीं हो पाए। अभी भी अनुसूचित जातियों वालों पर अनगिनत अत्याचार किये जाते हैं। डा० अम्बेडकर ने, यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि हिन्दू समाज में अनुसूचित जातियों के लिए जीवित रहना बहुत कठिन है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारत में, धर्म के बिना रहना कठिन है। हमारा समाज जाति पर आधारित है। इसलिए, डा० अम्बेडकर के पास हिन्दू धर्म को छोड़ने के सिवाए और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा था, कि हिन्दू धर्म अनुसूचित जातियों के लिए नहीं है। महोदय, नव बौद्ध अन्य कोई नहीं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति ही हैं। उन सबका खून एक ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पैचालैया अब आप अपनी बात समाप्त करें। अब मैं दूसरे सदस्य को बुलाने वाला हूं।

श्री पी० पैचालैया : महोदय, अब मांग है कि धर्म परिवर्तित ईसाईयों को अनुसूचित जाति

[श्री पी० पैंचालैया]

में सम्मिलित किया जाए। ये ईसाई भी अनुसूचित जातियों के हैं। और भी कई ऐसे समुदाय हैं जो अछूत हैं। अतः एक व्यापक संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करना होगा जिससे इन सभी को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जा सके।

महोदय, नव बौद्धों और अन्य लोगों के सम्मिलित हो जाने से वर्तमान आरक्षण पर्याप्त नहीं होगा। अतः मैं माननीय मन्त्री से 15 प्रतिशत के वर्तमान आरक्षण को बढ़ाने की अपील करता हूं। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पैंचालैया ने जो कहा है वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में बोलने का यह तरीका नहीं है।

श्री प्यारे लाल हाण्डू (अनन्तनाग) : विधेयक के गुण-दोष पर ध्यान देने से पहले मैं विधेयक के उस हिस्से पर टिप्पणी करना चाहूंगा जो संशोधन के अनुसार जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित है। इस संशोधन से अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 में भी एक संशोधन करने की आवश्यकता है। यह समस्या इस राज्य में नहीं है। किन्तु कुछ जातियां शामिल नहीं की गई हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे कुछ समय निकालकर गम्भीर समस्याओं की ओर ध्यान दें, अनुसूचित जातियों सम्बन्धी जो मामले निलम्बित पड़े हैं उनमें अनुसूचित जातियां आदेश 1956 के बावजूद मुख उठा रहे हैं। डोडा जिले में, इस तथ्य के बावजूद कि किसी राजस्व दस्तावेजों में, एक जाति को अनुसूचित जाति माना है, कुछ लोगों के लिए अनुसूचित जाति में उप-जाति को जोड़ दिया जाता है। अनुसूचित जाति के साथ उप-जाति जोड़ने के परिणामस्वरूप 15,000 से अधिक लोगों को उसी की जाति की वे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिएं। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें क्योंकि यह विषय पहले भी मन्त्रालय के ध्यान में लाया गया है और वे लोग जो वास्तव में अनुसूचित जाति के हैं और क्योंकि किसी एक समय में राजस्व दस्तावेजों में उस अनुसूचित जाति को उप-जाति के रूप में दिखाया गया है, उन्हें उस जाति की सुविधा नहीं दी गई है।

अब मैं विधेयक की विशेषताओं की बात करता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मन्त्री जी ने यह कहा था कि यह संशोधन इसलिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि चुनाव से पूर्व उनके दल के चुनाव घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की गई थी। वास्तव में यह हिन्दू धर्म से ईसाई, बौद्ध या इस्लाम में धर्मान्तरण करने वालों के अध्ययन पर आधारित होना चाहिए था। अगर आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि जाति धर्मान्तरण करने वालों के द्वारा अपनाए गए धर्म के साथ ही रहती है, तब आप इसे सिर्फ बौद्धों तक सीमित नहीं कर सकते और ईसाई धर्म में बदलने वालों या इस्लाम में जाने वालों को इससे वंचित नहीं रख सकते। मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें कि केवल बौद्ध धर्म में धर्मान्तरण के इस मामले को ही ये सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त बाध्यकारी क्यों समझा गया जो कि अन्यथा हिन्दू

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समाज में अनुसूचित जातियों को उपलब्ध है। बेशक एक अध्ययन किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हिन्दू धर्म छोड़ने वाले सभी अनुसूचित जातियों के लोगों का जीवन स्तर जरूरी ही नहीं बदल जाता। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बने रहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। किन्तु धर्मान्तरण करने वालों की सुरक्षा का स्वरूप निर्धारित करने से पूर्व, आपको एक अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि जाति धर्मान्तरण के बाद भी साथ चलती है अथवा नहीं। अगर आप इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि जाति उनके साथ ही चलती है तो शायद धर्मान्तरण का आकर्षण कम हो जाए, धर्मान्तरण अपना अर्थ ही खो दे। 1956 में बौद्ध धर्म में धर्मान्तरण, जिसका नेतृत्व महान डा० बी० आर० अम्बेडकर ने किया था, के समय जो साहित्य हमें उपलब्ध था, उससे हमने पाया कि धर्मान्तरण जाति के कलंक से बचने के लिए किया गया था, जिसे हिन्दू समाज में मान्यता मिली है। इन धर्म परिवर्तकों के साथ अनुसूचित जाति का विचार जोड़ना बिल्कुल नई बात होगी। अगर धर्म परिवर्तन के बाद भी वे अनुसूचित जाति बने रहते हैं, तो जाति के कलंक से बचना, धर्म परिवर्तन का कारण नहीं रहता। किंतु, यदि ऐसा नहीं है, तो अनुसूचित जातियों का दर्जा सिर्फ बौद्ध धर्म में जाने वालों तक सीमित हो, यह भी समझ के बाहर है। इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को इससे वंचित रखना भी यथोचित नहीं है। फिर, यह भी सही है कि सिर्फ धर्मान्तरण करने से ही उसका जीवन स्तर नहीं बदल जाता। वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े बने रहते हैं, और उनके लिए सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। किन्तु, धारा 25 (2), धारा 15 और धारा 77 के भी अन्दर दिया जा सकता है किन्तु अनुसूचित जातियों के तौर पर नहीं। और अगर यह धर्म परिवर्तकों के किसी भी वर्ग को अनुसूचित जाति के तौर पर दिया जाता है तो दूसरे लोगों को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। तब हिन्दू धर्म से किसी भी अन्य धर्म में जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बहुत थोड़े समय में आप बहुत अच्छे प्वाइंट रख सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सद्भावना है और बिल भी इसी सद्भावना के आधार पर लाया गया है। संशोधन कोई बहुत विस्तार का नहीं है। सिख के साथ बौद्ध को जोड़ दिया गया है यह नव बौद्ध को जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? 1950 में सारी बातें पारित की गई थीं और 1956 में डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में नव बुद्ध धर्म संस्कार हुआ। नये बौद्ध बनाए गए थे। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिएं थीं वह नहीं मिलीं। 25 वर्षों में वे चाहे बौद्ध धर्म की बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लें किन्तु जो आर्थिक समानता चाहिए, समता चाहिए, वह मिली नहीं। चाहे एक बार वे धनवान हो गए होंगे लेकिन समाज में जो प्रतिष्ठा का अवसर मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इसका कारण हमें सोचना पड़ेगा। जिस समाज ने बुद्ध धर्म में जाने के पहले सोचा होगा कि इसके कारण असमानता दूर हो जाएगी, विषमता दूर हो जाएगी, किन्तु नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं आया। भारत के संविधान में साफ कहा है कि भारत के लोग भारत को सम्पूर्ण, प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक ग बनाना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष सैक्यूलर स्टेट हम चाहते है। आगे हमने कहा है कि धर्म और ग को स्वतन्त्रता दी हुई है। किन्तु इन सारी बातों के बावजूद हमें विचार करने के लिए ग पड़ा कि जो लोग 1956 में नये बौद्ध धर्मको ग्रहण करने के बाद समझते होंगे कि हमारी स्थिति में अन्तर आ गया होगा, किन्तु अन्तर नहीं आया। सामाजिक मानसिकता जो कह हो

[श्री सत्यनारायण जटिया]

सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने का विचार नहीं किया गया। धर्मों में अनेक बातें हो सकती हैं। किन्तु धर्म वह है जो किसी को बांधता नहीं है। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है।

धर्म यो बाधते धर्मोन।
स धर्मः कुवर्मंतत्।।
अविरोधस्तु यो धर्मः।
स धर्मः सत्य विक्रम।।

धर्म उसको कहते हैं, जो किसी का विरोधी नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म में गए हैं वे हमारे ही हैं। हिन्दू को राजनीति करने वालों ने साम्प्रदायिक बना दिया गया है। वास्तव में हिन्दू साम्प्रदायिक नहीं, हिन्दू तो सहिष्णु है। हमारे देश की परम्परा इतनी महान रही है, हम जानते हैं कि :—

"भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां।
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां।।
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है।
उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है।।
हां वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है।
ऐसा पुरातन देश विश्व में कोई और है?
भगवान की भवभूतियों का प्रथम यही भण्डार है।
विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है।।"

"शैवा यमीशं शिव इत्यवोचन, यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति,
बुद्धस्तथाऽईन्निति बौद्ध जैनाः, सत् श्री अकालेति च सिक्ख सन्तः।

बौद्ध मत को हम अपने साथ लाए और अपने भाइयों को साथ लाए। इस्लाम मजहब में यह कहा हुआ है कि "अलहमदो लिलाहे रब्बील आलपीन"। 'वह' दुनिया का मालिक किसी एक जाति का वह मालिक नहीं है। इस मजहब में सामाजिक विषमता और क्रिश्चियनिटी में भी यह विषमता नहीं है। यह हिन्दू धर्म में विषमता होने के कारण नव-बौद्धों को पुनः हमने सामाजिक असमानता के कारण इसको सम्मिलित किया है। इस विधेयक का हम समर्थन करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, यह विधेयक नव बौद्धों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के बारे में है। इस प्रकार, हिन्दुओं और सिखों के अलावा, नव बौद्ध भी अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे और उन्हें भी हिन्दू हरिजनों और सिख हरिजनों को मिलने वाले लाभ और सहायता मिलेगी। वह उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में एक परिवर्तन का सूचक होगा और इस कदम का आमतौर पर स्वागत हो रहा है। इससे भी ज्यादा प्रशंसा और स्वागत इसे मिला होता यदि दूसरे धर्मों में जाने वाले हरिजनों को भी अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया होता। उन्हें भी उन्हीं समस्याओं का उसी भेदभाव का और उसी सामाजिक आर्थिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है। क्रिश्चियन हरिजनों को भी अनुसूचित जातियों की

सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव होना चाहिए था। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन करने से नव-बौद्धों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। क्रिश्चियन हरिजनों की भी यही स्थिति है। क्रिश्चियन धर्म अपनाने से क्रिश्चियन हरिजनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह विचार महात्माजी और डा० अम्बेडकर जैसे महान नेताओं द्वारा प्रकट किया गया है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जिस दूसरे मुद्दे का उल्लेख किया गया है, वह यह है कि नव बौद्धों द्वारा उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग की गई है। अनुसूचित जाति के क्रिश्चियनों द्वारा भी विशेष और सभी क्रिश्चियन नेताओं के माध्यम से ऐसी ही मांग की गई है। यह ईसाईयों का अत्यन्त महत्वपूर्ण संगठित एक ता मुद्दा है। जब हरिजनों पर अत्याचार किए जाते हैं, तो वे सभी हरिजनों पर होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, और उसी मात्रा में, किन्तु अस्पृश्यता कानून और अन्य संबंधित कानून हिन्दू हरिजनों को संरक्षण देते हैं किन्तु क्रिश्चियन हरिजनों को संरक्षण नहीं देते। अतः, यदि एक हरिजन क्रिश्चियन पर एक क्रूर अपराध किया जाता है तो कानून क्रिश्चियन हरिजनों की उस प्रकार रक्षा नहीं करता, जिस प्रकार हिन्दू हरिजनों की करता है।

धार्मिक संस्थाएं क्रिश्चियन हरिजनों की मांगें और आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकती क्योंकि उनके संसाधन बहुत सीमित होते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले पर सरकार की आर्थिक प्रतिबद्धता बहुत थोड़ी है। कुल 160 लाख ईसाईयों में से अनुसूचित जाति के ईसाईयों की अनुमानित संख्या 80 लाख है। सारे देश में ईसाईयों की अनुमानित संख्या सिर्फ 2.4% है। अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 1050 लाख है। अतः, इस संख्या की तुलना में, अनुसूचित जातियों के ईसाईयों की संख्या सीमित है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता मानी जाती है। संविधान के 15वें अनुच्छेद के अनुसार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान का 25वां अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। अतः, धर्म के आधार पर भेदभाव संविधान के 25वें अनुच्छेद में दिए गए धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है और मानव अधिकारों के सामान्य घोषणापत्र के 18वें अनुच्छेद का भी उल्लंघन है। इस संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि सिखों की मांगें मान ली गई है और नव बौद्धों की मांगें भी मान ली गई है और इसलिए, सरकार से अनुरोध है कि वह क्रिश्चियन हरिजनों की मांग भी मान ले व उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर ले, ताकि उन्हें हिन्दू और सिख हरिजनों को मिलने वाली सुविधाएं और विशेष अधिकार मिल सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़) : वह जो नियो बौद्धिस्ट को अनुसूचित जाति में लाने के लिए लोक सभा में बिल पेश किया गया है मैं इसका स्वागत करती हूं, मेरा यह भी कहना है कि यह पहले पास हो जाना चाहिए था। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब शिड्यूल्ड कास्ट्स ने सिख धर्म को अपनाया तो उनको मजहबी सिख और राम दासिये सिख कहा गया और अभी तक उनको दूसरी कौम से अलग रखा जाता है। रामदासिये सिख और मजहबी सिख शिड्यूल्ड कास्ट्स से विलोग करते हैं। यह जो नियो बौद्धिस्ट को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है यह भी बौद्धिस्टों के साथ भेदभाव है, क्योंकि इसके साथ दूसरे बौद्ध वालों से नियो बौद्धिस्टों को अलग पहचाना जायेगा और अलग रखा जायेगा कि यह नियो बौद्धिस्ट उस समाज से विलोग करते है जो अनुसूचित जाति से हैं। यह जो संशोधन लाया गया है मेरी सरकार से अपील है कि नियो बौद्धिस्ट का नाम न लगाया जाये उनको बौद्धिस्ट कहा जाये इससे यह दोनों आपस में मिलकर प्यार, भावना और सत्कार स्थापित कर

[श्रीमती विमल कौर खालसा]

सकेंगे। जो मोहम्मडन शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं, क्रिश्चियन शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं इनको भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि रिजर्वेशन के पर्सेन्टेज की जो नीति बनी थी वह आबादी के हिसाब से थी। केन्द्रीय सरकार के कहने के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए 29 प्रतिशत है जबकि वास्तव में 33 प्रतिशत है। इसलिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाये और उसे साढ़े बाइस से तीस प्रतिशत किया जाये।

दूसरी बात यह है कि जो मोहम्मडन, क्रिश्चियन और नियो बौद्धिस्ट हैं इनको रिजर्वेशन में लाना चाहिए और संविधान की धारा 340 में संशोधन करके आरक्षण बढ़ाया जाये।

[अनुवाद]

श्री बी० राजारथि वर्मा (पोल्लाची) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 पर बोलने का मौका दिया।

मैं इसे एक ऐतिहासिक कदम कहना चाहूंगा, साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह एक अधूरा कदम है। बहुत समय के बाद, अर्थात् लगभग 33 वर्षों के बाद जब डा० बाबासाहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हरिजनों के धर्म परिवर्तन की पहली लहर उठी थी, उस समय से आज नव बौद्धों की मांगे मानी जा रही हैं। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कि यह विधेयक राजनीतिक कारणों से लाया गया है अथवा नहीं। किन्तु मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि समाज के कई दलित वर्गों की इसी प्रकार की मांगे नहीं मानी जा रही हैं।

तमिलनाडु में एक कुरुमा नाम की जाति है। इन कुरुमाओं को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल किया गया है। किन्तु उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां अनुसूचित जातियों से भी बदतर है। उनकी संख्या भी काफी है और मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इन कुरुमाओं की संख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में एक सर्वेक्षण करवाएं और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करें। अगर इनकी स्थिति सुधारनी है तो इसे अनिवार्यतः करना ही पड़ेगा।

नाईयों और धोबियों को अभी पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किया गया है। ये दोनों समुदाय सामाजिक रूप से अभी भी अलग-थलग हैं। हमने नीची जातियों के अत्याचार के खिलाफ कई कानून पारित किए है, किन्तु वास्तव में, उनसे जुड़ी हुई सामाजिक बुराइयां अभी-भी चल रही हैं। वास्तव में, दलित और पीड़ित जातियों का उद्धार तभी संभव है यदि उन्हें अपनी आर्थिक दशा सुधारने में मदद दी जाती है। इसलिए मैं, माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि नाइयों और धोबियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

महोदय, अनुसूचित जातियों के धर्मांतरण का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक दमन, भेदभाव और घृणा से बचना। वर्ष 1956 में सिर्फ इसी कारण से हरिजनों की बौद्ध धर्म अपनाने की एक लहर उठी। अनुसूचित जातियां ईसाई धर्म भी अपनाती हैं। अतः, मैं, मंत्री जी से जोर देकर प्रार्थना करूंगा कि परिवर्तित क्रिश्चियनों को भी अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाए।

अगर यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों ने सामाजिक वर्जनाओं से बचने के लिए धर्म बदला है तब धर्मांतरण उन्हें सामाजिक रूप से सुरक्षा देता है। किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? सरकार को आगे आना चाहिए और इन्हें आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा

कि वे विधेयक में एक सामान्य प्रावधान रखें ताकि उन सभी को अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया जाए जो इस समुदाय के हों और जिन्होंने कोई और धर्म अपना लिया है।

महोदय, कुछ राज्यों में जनजातियों को सबसे ज्यादा पिछड़े समुदाय के तौर पर सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए नायीकुरवा, वेत्तुवकरण, मलाईकुरवन, कुडया, कट्टूनायकन, एरियन, इरुलार, वेदान, चित्तनार, और कुरवन—ये सभी जातियां तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों के तौर पर सम्मिलित की गई है। इन जातियों ने तमिलनाडु जनजाति संघ नामक एक संस्था बनाई है और वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष कर रहे है।

परन्तु तमिलनाडु सरकार ने अब तक उनकी अपील और कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कुछ राज्यों में सबसे अधिक पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लोगों का पता लगाने के लिए भारत सरकार को सामान्य सर्वेक्षण कराने का आदेश देना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान सरकारी विभागों मे शीघ्रता से नहीं भरे जा रहे है। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिक्त पदों को विज्ञापित और पुन: विज्ञापित किया जाए और कुछ मामलों में अपेक्षित योग्यताओं मे कुछ छूट दी जाए ताकि दलित और उत्पीड़ित लोगों को अधिक संख्या मे राजकीय संस्थाओं मे शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। राजकीय और सार्वजनिक वित्तीय सहायता से चलने वाले सभी निजी संगठनों में इसी प्रकार की आरक्षण सुविधाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएं। मन्त्री महोदय इस पर विचार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह संविधान संशोधन हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कम करता है। महोदय, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में उसके सभी नागरिकों को अपनी पसन्द के धर्म-पालन का अधिकार होता है। इस अधिकार से हरिजनों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अत: हरिजन, चाहे किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखते हों, उन्हें उनको दिये गये सभी अधिकार और विशेषाधिकार मिलने चाहिएं। केरल में 'कुडुम्बी' समुदाय के लगभग पन्द्रह लाख लोग है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं। तत्पश्चात् सम्पूर्ण मछुआरे समुदाय को जनजाति माना जाए। चाहे वह अपना व्यवसाय समुद्र में करता हो या अन्तर्देशीय जल में। देश के विभिन्न भागों और विभिन्न संगठनों से यह निवेदन प्राप्त हुआ है। अत: माननीय मन्त्री महोदय से मेरी यह प्रार्थना है कि वे सभी हरिजनों को, चाहे वे किसी भी धर्म से सम्बन्धित हों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए एक व्यापक संशोधन लाएं। इसी प्रकार यदि यह सरकार हरिजनों की सहायता करने और उनकी उचित समस्याएं सुलझाने के लिए वास्तव में ही गम्भीर है तो इन्हें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुछ विशेष जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने सम्बन्धी निवेदनों पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ माननीय मन्त्री जी को भी इस बिल को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह बिल ऐसे मौके पर सदन के सामने लाया गया है, पहले तो बौद्ध पूर्णिमा है, दूसरे, बाबा साहेब अम्बेडकर की शताब्दी है और तीसरे, महात्मा ज्योतिर्राव फुले की पुण्य स्मरण शताब्दी है, तीन महत्वपूर्ण अवसरों के समय, त्रिवेणी संगम पर यह बिल सदन के सामने लाया गया है इसलिए यह सरकार भी बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष जी, सौभाग्य से आज आप चेयर पर है। जिस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहां धर्म की दीक्षा ली थी, उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी, मैं एक लड़का था और मैं उस समय हाजिर था। उस समय भी मेरे सिर पर टोपी थी, जबकि लकड़ी लग जाने से मेरे सिर पर चोट लगी हुई थी और उन दिनों किसी को भी सिर पर टोपी लगाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस सबके बावजूद बाबा साहेब ने यहला तहसील के एक गांव में 35 साल में प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिन्दू धर्म में जन्मा हूं लेकिन मरना तो हिन्दू धर्म में नहीं है। मैं उसी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए यहां आया हूं। यदि मेरे साथ कोई आना चाहे तो आए, उसका स्वागत है परन्तु मैं किसी के साथ सख्ती नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि आज तक उनकी तरह का धर्मावलम्बी व्यक्ति हिन्दुस्तान में न तो पैदा हुआ है और न आगे होने वाला है। इस लिए यह सवाल सख्ती से, तलवार से या जोर-जबर्दस्ती से होने वाला नहीं है, यह तो खुला मन्दिर है, जिसकी मर्जी हो आये, न आये।

मैं बनातवाला साहब का बहुत आदर करता हूं, हुगणी में, 1977 में मैं उनके साथ रहा, कमेटियों में भी रहा, मेरी उनसे बातचीत होती थी और मेरी धारणा है कि वे बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने कल यहां जो सवाल उठाया, मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि पुलिस के लोग यदि आपके नजदीक आएंगे तो आपका स्वागत करने के लिए आएंगे परन्तु मेरे जैसे किसी व्यक्ति के नजदीक आयेंगे तो मुझे बन्दी बनाने के लिए आयेंगे, यह फर्क है। इस बिल में जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों को उस स्थिति से बचाने के लिए प्रावधान किया गया है कि अब पुलिस के लोग यदि आयेंगे तो बन्दी बनाने के लिए ही नहीं आयेंगे। जहां तक किसी के मुसलमान या ईसाई बन जाने का प्रश्न है, हर एक व्यक्ति के सामने अलग-अलग परिस्थिति रही जब उसने धर्म परिवर्तन किया।

जो लोग शुरू-शुरू मे यहां अस्पृश्य माने जाते थे, वे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए, कुछ अस्पृश्य लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और वे ईसाई बन गए, इसलिए हर व्यक्ति के सामने अलग-अलग परिस्थिति रही, जिसकी वजह से वह मुसलमान या ईसाई बना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां कुछ अनपढ़ अस्पृश्य ऐसे थे जिन्होंने ईसाई धर्म में स्वयं को धर्मान्तरण कर लिया, कई अनपढ़ अस्पृश्य व्यक्तियों ने मुसलमान धर्म को अपना लिया, और ज्यादा स्पष्ट करूं तो एक साथ अलग-अलग मतों को मानने वाले तीन आदमियों को यदि बोला जाये कि आप टट्टी करने के लिए जाइये।

2.00 म० प०

वे तो मुसलमान धर्म में आदमी चले गए, वे तो साफ पानी लेकर जाएंगे और टट्टी के बाद साफ-सुथरे रहेंगे, ईसाई भी अच्छी तरह से सफाई करेंगे, लेकिन अनपढ़ लोग क्या करेंगे, टट्टी के बाद पत्थर का प्रयोग करेंगे। इतना तो फर्क है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वे शुरू-शुरू में अस्पृश्य थे। वह तो

सब समाज में पहुंचता है, मुसलमान भी सब समाज में पहुंचता है, लेकिन जिन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया है, उनको अब तक अस्पृश्य माना जाता है। इसलिए जो सामाजिक दृष्टि है, वह जनमानस में पहुंची नहीं है। इसलिए उनको सुविधा देनी जरूरी है। मां क्या करती है, छोटे बालक के ऊपर ज्यादा प्रेम करती है और बड़े बालक के ऊपर देर से सोचती है। इसी प्रकार से जो नव बौद्ध थे उनको अभी तक सुविधा नहीं मिली है, इस बारे में सरकार बिल लाई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल आया है और बहुत सोच-समझकर लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपको मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : महाले जी, जब-जब आप बोलते हैं, हिन्दी भाषा समृद्ध हो जाती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। ऐसे नहीं चलेगा। आपकी तरफ से बोलने के लिए जिन-जिन माननीय सदस्यों के नाम दिए गए थे, उन सबको बुलाया गया है। हर घण्टे के बाद अलग-अलग आदमी आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। जो आपने पहले लिस्ट दी है वे सब बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं एक शर्त पर आप सबको बोलने का चांस देता हूं। आपको नये पाइंट रखने होंगे, पुराने पाइंट पर आप नहीं बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, मैंने इस विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे अलग से मुद्रित किया गया है। इस संशोधन में मैंने विशेषरूप से यह कहा है कि ईसाई मत में अपना धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण सुविधाएं दी जानी चाहिएं, जिसके लिए इस कल्याणकारी सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि भारत में गिरिजाघरों के नेता सरकार से मिले और माननीय मन्त्री महोदय ने उन्हें इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मैं नहीं जानता कि अनुसूचित जातियों से ईसाई धर्म में जाने वाले व्यक्तियों को यह सुविधा क्यों नहीं दी गई है। अतः मैं यहां सदन में इस समय उपस्थित माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जातियों से ईसाई धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को वही सुविधाएं देने पर विचार करें।

मैं मन्त्री महोदय से इस विषय पर स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक आंदोलन धर्म परिवर्तन करने का चलाया, उनमें नव बौद्ध जो बन गए, वे हिन्दू धर्म से बन गए, उन लोगों को सुविधा देने के बारे में यह विधेयक लाया गया है जिसमें नव बौद्धों को भी अनुसूचित जातियों का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बुद्धिस्ट जैसा लब्ज डालने में शासन ने गलती की है। ऑब्जेक्शन एण्ड एम्स में बराबर बोला है लेकिन यह बुद्ध लोग दिखाना बराबर नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश में दस करोड़ जो अनटचेबल्स हो गए, उनको हिन्दू

[श्री वामनराव महाडीक]

धर्म से अलग किया तब वह गुरु सन्त गाडगे महाराज के पास वे गए और पूछा कि कौन-सा धर्म स्वीकार करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल पर बोलिए उनके भाषण में नहीं।

श्री वामनराव महाडीक : हिन्दी में बोलो, ऐसा बोला है तो मैं क्या करूं। थोड़ा-थोड़ा मिस-टेक तो होगा ही। गाडगे महाराज ने कहा कि इस देश की मिट्टी एक हो जाए, ऐसी मातृभूमि का विचार रखने वाला कोई सा भी धर्म लीजिए लेकिन दूसरा धर्म नहीं लेना। उसने बौद्ध धर्म लिया। अध्यक्ष महोदय, यहां तो ऐसी बात बोली जाती है कि जो मुस्लिम हिन्दू से कनवर्ट हो गए, हिन्दू से जो क्रिश्चियन कनवर्ट हो गए, उनको यही अधिकार देना चाहिए, यह गलत बात है। बाबा साहेब के द्वारा जो कनवर्ट किए गए, उससे नफरत करने की बात यह है कि हाथ में तलवार लेकर, शस्त्र लेकर किसी के ओपिनियन के ऊपर कनवर्शन किया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इसको छोड़ दीजिए। आप बिल पर बोलिए, कनवर्शन पर नहीं।

श्री वामनराव महाडीक : कनवर्शन तीन तरह का हो गया। इसमें नया जो सुझाव दिया है, उसमें मेरा सुझाव यह है कि इकनोमीकली बैकवर्ड क्लास तैयार करो और उसमें जो गरीब है उसको डालो।

बाबा साहेब ने कनवर्शन करके जो नव-बुद्धिस्ट किया है उस बारे में उनको अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा मेरा सपोर्ट है। नव-बुद्धिस्ट जो पहले हिन्दू थे उनको पहले अधिकार दिया गया, जो हिन्दू ही रह गए और नव-बुद्धिस्ट नहीं बने, ऐसे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका प्रमाण निश्चित कर उनको अब कोई सुविधा देनी होगी उस पर ऐनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, कितने लोग डाक्टर बन गये, बड़े पैसे वाले बन गये, आफिसर बन गये, तब भी वे अनुसूचित जाति के हैं। इसलिए उनको यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, वह सुविधा अनुसूचित जाति के जो पिछड़े लोग रह गए हैं उनको मिलनी चाहिए, यह आश्वासन दें तो अच्छा होगा।

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जो संशोधन बिल है, उस पर बाद में चर्चा होगी। उसमें मेरा नाम है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर चर्चा चल रही है।

[अनुवाद]

*श्री पलास बर्मन (बलूरघाट) : महोदय, डा० अम्बेडकर के शताब्दी वर्ष में माननीय श्री पासवान जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की सूची में कमजोर व पिछड़े हुए नव बौद्धों को शामिल करने के साथ ही यह विधेयक डा० अम्बेडकर के स्वप्न और आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा और इस प्रकार उन्हें विशेष सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त होगा। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष कुछ बातें कहना

* मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े उन भाईयों और बहनों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने हिन्दू धर्म की रूढ़िवादिता के कारण अपना धर्म छोड़ कर ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उन्हें आज तक अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को उनके मामले पर भी विचार करना चाहिए।

इन सभी लोगों के समूह से हमारा देश बना है। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित इस महान व्यक्ति (डा० अम्बेडकर) ने अपने दिल में दुखी होते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि वे हिन्दू समाज और धर्म की रूढ़िवादिता को सहन नहीं कर सके। महोदय, हमारा यह देश गौतम बुद्ध, श्री चैतन्य, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, नजरुल इस्लाम, महात्मा गांधी इत्यादि जैसे महान व्यक्तियों की जन्म स्थली रहा है। उनके जीवन का सन्देश था:

'उदार चरित्रानंता वसुधैव कुटुम्बकं'

गौतम बुद्ध की अहिंसा, श्री चैतन्य का सभी प्राणियों के लिए प्रेम और स्वामी विवेकानन्द के लिए सभी अनपढ़, गरीब, और उस समय के सभी निम्न जातियों के अस्पृश्य लोग उनके भाईयों की तरह थे। गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध अपना संघर्ष जीवन भर जारी रखा।

इतने अच्छे उदाहरण हमारे समक्ष होने के बावजूद हिन्दू धर्म की अत्याधिक रूढ़िवादिता और परम्परावाद समाप्त नहीं हुआ है। केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर यह सभी जगह मौजूद है।

महोदय, आर्यों, अनार्यों, द्रविड़ों, पठानों, मुगलों इत्यादि का समावेश हमारी इसी महान भूमि पर ही हुआ। इसीलिए कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, 'ओ ब्राह्मणों, पवित्र हृदय के साथ आकर आप सभी के हाथ थाम लो।' वे एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना चाहते थे। वे अपनी मातृभूमि भारत-माता की पूजा सभी के द्वारा छुए गए जल से करना चाहते थे। परन्तु दुर्भाग्य से, हिन्दू धर्म की संकीर्णता और रूढ़िवादिता और उच्च एवं निम्न जातियों में भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है; यह असमानतायें अभी भी जारी है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में लगा यह दाग मिटाना होगा। इस पर कठोरता से नियन्त्रण करना होगा।

सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलानी होगी। आरक्षण एवम् अन्य संरक्षणों को दृढ़ता से लागू करना होगा। भूमि सुधारों के द्वारा वास्तव में खेती करने वालों को भूमि दी जानी है। कृषि के लिए ऋण, खाद्यान्न और दैनिक आवश्यकता के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

पिछले चालीस वर्षों में कांग्रेस शासन के दौरान अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सोलह हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। परन्तु उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह फिर से न हो।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'कोलकामार' कहा जाने वाला एक समुदाय था। अब उसका नाम बदल कर 'विश्व-कर्मकार' हो गया है और इस प्रकार उन्हें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को उपलब्ध लाभों से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार 'बेलिया' कहा जाने वाला एक अन्य वर्ग है। उनका रहन-सहन और सामाजिक रीति-रिवाज 'राजबन्शी' और 'पोलिया' समुदायों की तरह है।

[श्री पलास बर्मन]

पश्चिम बंगाल में 'राजबंशी' और 'पोलिया' समुदाय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं जबकि 'देशिया' समुदाय इसमें शामिल नहीं है। इस समुदाय के लोग शैक्षिक दृष्टि से भी काफी पिछड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इनके हितों की सुरक्षा के लिए 'विश्वकर्मकार' और 'देशीय' समुदाय भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। गुजरात के अन्दर अनुसूचित जातियों पर जो अत्याचार होते हैं, उनके अन्दर मुस्लिम भाई और क्रिश्चयन लोग कभी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आये हैं। लेकिन जब लाभ लेने की बात आई है तब अपने आपको अनुसूचित जाति का बताने का प्रयत्न करते हैं। आज तक उन पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है।

आज गुजरात के अन्दर मोची जाति छुआछूत में नहीं आती है। उनको अनुसूचित जाति में गिनने के कारण मूल अनुसूचित जाति के लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। नौकरियों में भी आज सिर्फ मोची लोगों को ही लिया जाता है। अन्य दूसरी जातियों को इसमें जोड़ा जायेगा तो अनुसूचित जाति के लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी अच्छे-अच्छे सुझाव यहां दिये। मेरे पास में 28 लोगों की सूची है जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है। अधिकांश साथियों ने यह मांग की है और संशोधन के माध्यम से भी कहा है कि नव-बौद्धों के साथ-साथ दूसरे धर्म वालों ने जिन्होंने अनुसूचित जाति और जन जाति से धर्म परिवर्तन किया है, उनको भी ये सारी की सारी सुविधायें मिलनी चाहियें। मैंने कल भी कहा था और राज्य सभा में भी कहा था कि सरकार का इस मामले में कोई नकारात्मक रुख नहीं है। सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, लेकिन हमारे सामने लाचारी है। विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं। वह जानते हैं कि उनके सामने भी लाचारी रही होगी, नहीं तो तीन चौथाई बहुमत प्राप्त करने के बाद भी उस विधेयक को संसद में नहीं लाना, इसका मतलब कुछ न कुछ लाचारी रही होगी। हमारे सामने समस्यायें हैं। जब तक किसी विषय पर आम सहमति नहीं हो जाती तब तक उसको यहां लाना हम ठीक नहीं समझते। मैंने कल भी कहा था कि इन सवालों पर मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता और न ही हमारी सरकार इसको करना चाहती है। हम उन सवालों को ही संसद में ला रहे हैं जिसमें एक आम सहमति है। उस आम सहमति के आधार पर जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति या समाज के कमजोर वर्ग के सवालात आ रहे हैं, उसको जब सब पार्टी के लोग सर्वसम्मति से पास करते हैं तब ही उनको हम ला रहे हैं। जहां तक दूसरे धर्मावलम्बियों का मामला है, आपने सदन में भी देखा, उसमें विभिन्न विचार हैं और मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा और सरकार कोशिश करेगी कि जब सब खत्म हो जायेगा या समाप्त हो जायेगा तो उसके बाद निश्चित रूप से हम सभी पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इस सम्बन्ध में बुलाएंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि एक आमसहमति हो और उसके आधार पर ही कुछ तय हो लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो सरकार का रवैया है, वह रवैया इसमें कोई नकारात्मक नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० बेंजामिन (वपतला) : महोदय, जहां तक धर्म परिवर्तित ईसाइयों का संबंध है इसमें सर्वसम्मति है। इन सभी बातों को सुनकर, क्या मैं पूछ सकता हूं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : वही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है, उनके सम्बन्ध में भी, जो कन्वर्टेड मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके सम्बन्ध मे भी, बनातवाला साहब के आपने कल विचार सुने, और भी दूसरे लोगों के विचार सुने···

श्री राम धन (बालगंज) : गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है ? अगर नहीं किया है तो फिर काहे के लिए कह रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने यह कहा कि सरकार सब पक्ष के लोगों से बातचीत करने के बाद जो एक सर्वसम्मत सुझाव आया है, नवबुद्धिस्ट के सम्बन्ध में और हमने अपने चुनाव मैनीफेस्टो में भी कहा था कि हम सत्ता में आयेंगे तो नवबुद्धिस्टों को सहूलियत देंगे। आपके बाकी के जो सजेशंस हैं, उन सजेशंस को निश्चित रूप से मैंने कहा कि हमारा कोई नकारात्मक रुख नहीं है लेकिन जब तक उस पर एक आमसहमति नहीं होती है, सरकार उसमें कुछ करने से लाचार है इसलिए इस सम्बन्ध म हम तमाम पक्ष के नेताओं को बुलाएंगे और बुलाने के बाद उस सम्बन्ध में हम बातचीत करेंगे। दूसरा जो मामला है, बहुत से साथियों ने अलग-अलग विचार रखे। मायावती जी ने···

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : अनुसूचित जातियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनके सम्बन्ध में सारे देश का एक कानून बनाने की बात कही गई है क्या ?

श्री राम विलास पासवान : मैं एक-एक करके सब पर आ जाऊंगा।···(व्यवधान) ऐसा कैसे चलेगा। मुझको बोलने दीजिए। उसके बाद यदि क्लैरीफिकेशन की आवश्यकता होगी तो मैं दूंगा। आप ऐसा कर लीजिए कि पहले मुझको बोलने दीजिए, मैं सब पाइण्ट्स को टच कर लेता हूं, उसके बाद भी कोई पाइन्ट छूट जायेंगे तो आप उसमें कर लेना। दूसरे कुछ साथियों ने इस बात पर आपत्ति उठाई है कि···(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : कृपया ऐसा मत कहिए। प्रश्न पूछना सदस्यों का अधिकार है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप काहे को ऐसा कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : कुछ साथियों ने इस बात को जाहिर किया कि को नवबुद्धिस्ट है, नवबुद्धिस्ट कह देने से उनकी डिग्निटी खत्म हो जायेगी और उनकी प्रतिष्ठा मे कमी आयगी तो उस सम्बन्ध मे मैं समझता हूं कि आपने बिल को, विधेयक को पढ़ा होगा, उसमें कहीं नवबौद्ध लिखा हुआ नहीं है, उस बिल में बौद्ध लिखा हुआ है, हिन्दू, सिख, बौद्ध और वह तो राष्ट्रपति, जिस-जिस जाति को पहले से ही सूची में रखा गया है, कि कौन अनुसूचित जाति के हैं, स्वतः उनको वह सुविधा मिलती है इसलिए जो नवबौद्ध का और बुद्धिस्ट का मामला है, उसमें जो सुविधा मिलेगी वह सुविधा नवबौद्धो

[श्री राम विलास पासवान]

को मिलेगी लेकिन जो संविधान में लिखा जायेगा, वह बौद्ध ही लिखा जायेगा, यही संविधान संशोधन है। उसके बाद हमारे साथियों ने कहा कि··· (व्यवधान) ···ऐसा नहीं चलेगा। पहले सुन लें।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सर, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था बेकार नहीं हुई है, आप बिलावजह कर रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, ऐसे नहीं।

श्री रामलाल राही : इन्होंने कहा है कि बौद्ध लिखा जायेगा लेकिन सुविधा बुद्धिस्ट लोगों को मिलेगी तो यह कैसे होगा, क्लेरीफाई करें।

श्री राम विलास पासवान : बाद में क्लेरीफाई कर लीजिएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसके अलावा बहुत से साथियों के इस सम्बन्ध में तो यही मुख्य रूप से दो सुझाव थे और जिस सम्बन्ध में मैंने कहा, उसके बाद अलग-अलग सुझाव आये हैं। कुछ साथियों ने कहा कि अलग मंत्रालय अनुसूचित जाति, जन जाति के लिए बनाया जाय। आप जानते हैं, पहले अनुसूचित जाति, जन जाति के वैलफेयर का जो काम था, वह सारा का सारा होम मिनिस्ट्री में था, जिस समय हम लोग भी उस पक्ष में थे, 1980 में, तो होम मिनिस्ट्री देखती थी लेकिन सरकार ने इसको कुछ सोच समझकर ही कल्याण मंत्रालय में रखने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इसको किसी भी मंत्रालय में रख दें, जैसा कि मैंने कल कहा कि जब तक हमारे पास में, सरकार के पास में डैडीकेशन नहीं आयेगा, सरकार के पास में इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो आप इसे किसी भी मंत्रालय से जोड़ दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार करना चाहती है या नहीं, यह सबसे बड़ा मामला है। दूसरे हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि इससे काम चलने वाला नहीं है, इस के साथ-साथ विकास हो। सोशियो-इकोनोमिक प्रोग्राम भी चलाना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने कल विस्तार से बताया था कि उसके लिए हम अलग से भी जो सामाजिक और आर्थिक विकास के काम हो सकते हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं। कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि इसके बाद जो विधेयक आने वाला है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसके बाद लैंड रिफार्म का आने वाला है कि इसको संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए। यह निश्चित रूप से एक कदम है। इसके अलावा हम यह भी कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने कल कहा था, अनुसूचित जाति के ऊपर, जनजाति के ऊपर और आदिवासियों के विकास के नाम पर पैसा ही खर्च न हो बल्कि यह भी देखा जाए कि पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है कि वैलफेयर मिनिस्ट्री की जो बहुत सारी संस्थायें थीं, जिन संस्थाओं को पैसा दिया जाता था, उस पैसे का उपयोग भी होता था और कहीं-कहीं दुरुपयोग भी होता था। हमने कह दिया कि हम उन्हीं संस्थाओं को पैसा देंगे, उन्हीं स्वयं सेवी संस्थाओं को पैसा देंगे, जो पैसे को कन्क्रीट कामों में खर्च करेंगे, जैसे शिक्षा और बहुत सी दूसरी चीजें हैं। जैसे अस्पृश्यता निवारण बहुत अच्छी चीज है, छुआछूत मिटाना चाहिए, लेकिन छुआछूत पोस्टर्स निकाल कर नहीं मिटाया जा सकता है। सिखाना होगा कि छुआछूत

पर दो लाख रुपया मिटाने पर खर्च कर रहे हैं या सहभोज कर रहे है, तो उससे छुआछूत नहीं मिटता है। छुआछूत मिटाने के लिए हमको आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम को तेज करना होगा। हमको सामाजिक चेतना लानी पड़ेगी, हमको राजनीतिक चेतना लानी पड़ेगी, हमको सांस्कृतिक चेतना लानी पड़ेगी और इसके लिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा है। यदि लोगों को शिक्षित कर दिया जाए और अपने पांव पर खड़े होने का लोगों को अवसर दिया जाए, लोगों को अधिक से अधिक सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में जाने का मौका मिले, तो निश्चित रूप से वे अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं और छुआछूत की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने और श्रीमती विमल कौर खासा ने भी कहा, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा कि आरक्षण का जो कोटा है, वह आरक्षण का कोटा चूंकि न्यू बुद्धिष्ट को भी जोड़ेंगे, तो 1981 की जनगणना की जो स्थिति है और 1991 में जो जनगणना के आधार पर स्थिति होगी उसमें निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या का परसेंटेज बढ़ेगा, उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ? इस बारे में जो संविधान में लिखा है, उस संविधान में सीधा सा प्रावधान है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में उनके रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व होगा। इसके लिए स्वाभाविक है कि जब उनका परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में भी कार्यवाही करेगी। बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में उनका रिप्रजेंटेशन हो, उनका प्रतिनिधित्व सरकार और गैर सरकारी जहां भी उनका रिजर्वेशन उपलब्ध है, वह चल रहा है उसमें भी बढ़ने की दिशा में हम कार्यवाही करेंगे। उसके बाद एक और माननीय सदस्य ने कहा कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चल रहा था, वह कहीं रोक तो नहीं दिया गया है ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई प्रोग्राम नहीं रोका है। उसके विपरीत जैसा मैंने कल बतलाया कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो विशेष नियुक्ति अभियान था, वह जारी है और हम उसको भी तेज कर रहे हैं। जैसा मैंने कल कहा, इतना तेज करेंगे कि एक साल तक आते-आते, 14 अप्रैल तक आते-आते, जो बैकलॉग है, वह बैकलॉग समाप्त हो जाए। किसी भी श्रेणी में कहीं भी बैकलॉग न रहे। उसके लिए हमें ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि बहुत सारे टैक्नीकल डिपार्टमेंट्स है, जैसे पायलेट का मामला है और भी ऐसे मामले है, तो हमारा यह जो कार्यक्रम है, इसमें हम तय कर रहे है कि ऐसे टैक्नीकल विभागों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कों को जो अयोग्य करार कर दिया जाता है, वे अयोग्य भी न हों और मैरिट के आधार पर जब वे ट्रेनिंग पाए रहेंगे, तो वे किसी से कम भी नहीं रहेंगे। हम इसके साथ-साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे।

जहां तक सिर पर पखाना उठाने की बात है, इस बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। इसके लिए मैंने कल बतलाया था कि हमने एक कार्यक्रम बना लिया है और एक निश्चित कार्यक्रम के तहत हम कोशिश करेंगे कि न सिर्फ सिर पर पखाना उठाने का सिस्टम खत्म हो, बल्कि उस काम में जो लगे हुए लोग हैं, उनको दूसरे अच्छे कामों में भी लगायें, जिससे वे दोबारा लौट कर वहां न आयें। जब उनको दूसरी जगहों पर काम नहीं मिलता है तो वे फिर वहीं पहुंच जाते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन को सभी दूसरी जगहों पर भी लागू किया जाना चाहिए। कल हमारे एक साथी बहुत तेज में आ गए कि वह राज्य सभा में भी लागू होना चाहिए और विधान परिषद में भी लागू होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, लोकसभा में उनकी संख्या पर्याप्त है, राज्य सभा में उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, इसी प्रकार विधान सभा में उनकी संख्या पर्याप्त है और विधान परिषद् में उनकी संख्या

[श्री राम विलास पासवान]

पर्याप्त नहीं रहती है। निश्चित रूप से इसमें दो मत नहीं हैं। जब एक सदन में सक्षम हैं और दूसरे सदन में सक्षम नहीं हैं, तो इसके लिए दो ही चीज हो सकती हैं कि हमारा जो तमाम राजनीतिक दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आये और फिर उसके लिए कानून बनाया जाए जिससे कि वहां भी ठीक रिप्रेजेन्टेशन मिल सके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां हम सदन में इस बात को रखते हैं अपनी-अपनी तरह से। (व्यवधान) मैं लेबर मिनिस्टर के रूप में जवाब दे रहा हूं। एक साथी ने कहा कि स्कॉलरशिप की रकम को हमने बढ़ाने का काम किया है। पहले से अब ज्यादा स्कालरशिप दिया जाता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो बढ़ोतरी हुई है वह मंहगाई को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमने यह जरूर कहा है कि हमारे पास वेल्फेअर मिनिस्ट्री है वह देश के 75 फीसदी लोगों को देखती है। लेकिन बजट का जितना पैसा इसमें आना चाहिए उतना नहीं आता है। अब नतीजा यह हो रहा है कि जो स्कालरशिप का मामला है, होस्टल्स का मामला है या और जो भी बुनियादी काम हैं वे सारे के सारे काम हम नहीं कर पाते।

मेरे पास में तमाम माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। के० एस० राव जी, चांदराम जी, फ्लेरा जी, मायावती जी, जगपालसिंह जी, हुकमदेवनारायण यादव जी, कुन्दू जी सब के और अन्य माननीय सदस्यों के भी। इन सब साथियों ने जो अपने विचार यहां रखे हैं उनको मैंने बहुत गौर से सुना और वे मेरी नजर से छिपे नहीं हैं। ये सारे सुझाव लिपिबद्ध हैं। मैंने अपने मंत्रालय को कहा है कि ये जितने भी सुझाव, विचार, प्वाएंट आये हैं इन सब पर निरीक्षण करें।

मैं आपको फिर से बतलाना चाहता हूं कि आप जितना चिंतित हैं, दुःखी हैं, मुझे भी उतना ही दुःख और गुस्सा है। सरकार भी उसी दृष्टिकोण को ले कर के चल रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने जो कमिटमेंट किया था उसका 90 परसेंट हमने पिछले 6 महीने के अन्दर पूरा कर दिया है। अपने वायदे का 10 परसेंट बचा है। अगले महीनों में आते-आते हम इस दस परसेंट को भी पूरा कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे दूसरे सदन ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया है, यहां भी सारे सदस्य इसको पास करें और जितने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं, इस आश्वासन के बाद उन्हें वापस ले लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक या दो प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री राम विलास पासवान ने यह कहने की कृपा की कि सरकार सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाएगी ताकि इस बात का निश्चय किया जाए कि हरिजन तथा कुछ दूसरे धर्मों को भी अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जाए या नहीं। मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार का क्या मत है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जितनी भी चीजें हैं उनको आम सहमति के साथ रखने का हमने

काम किया है।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : मंडल आयोग की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने का विधेयक कब आयेगा ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में सतना जाति है (व्यवधान) यह सतना जाति अनुसूचित से संबंधित है, जिसको अब पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। हेम जाति उत्तर प्रदेश, और हरियाणा में भी है। बिहार सरकार ने अनुशंसा करके इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कहा है, क्या सरकार उसको शीघ्र इसमें शामिल करने जा रही है ?

श्री राम विलास पासवान : यह एक ऐसा मामला है कि संविधान की धारा 341(1) के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है, वे किसी भी जाति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शामिल करें और अगर एक बार स्टेट का लिस्ट बन जाता है तो दोबारा उसमें संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट का एप्रूवल जरूरी है। एक बार प्रेसीडेंट के आर्डर से पूरे देश में, किस-किस राज्य में कौन अनुसूचित जाति में है और कौन अनुसूचित जनजाति में है, उसकी सूची बन गई है, दूसरा यदि दोबारा किसी जाति को जोड़ना है तो पार्लियामेंट में उसके लिए विधेयक लाना पड़ेगा और मैंने कल कहा था कि हमारे पास बहुत से राज्यों से इस तरह की सूची आ रही है, शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित होना चाहिए था, अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहिए था, जिसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकार उसको एग्जामिन कर रही है।

माननीय सदस्यों से मैंने कल आग्रह किया था कि बहुत से साथी चिट्ठी लिख रहे हैं, आप भी चिट्ठी लिखें, लेकिन हमारे सामने लाचारी यह है कि उसका अनुमोदन होना चाहिए, एक तो राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा होनी चाहिए और दूसरा आरजी रजिस्ट्रार जनरल जो है, उसका भी अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, यह दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है और हम यह कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में या किसी उचित समय पर हम संसद में इस संबंध में कंप्रीहैंसिव विधेयक लायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने तथा संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978, में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड—2—संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"सिक्ख या बौद्ध" के स्थान पर

"सिक्ख, बौद्ध, ईसाई या मुसलमान" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

श्री एस० बेंजामिन (बपतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"सिक्ख या बौद्ध" के स्थान पर

"सिक्ख, बौद्ध या अनुसूचित जाति से परिवर्तित ईसाई" प्रतिस्थापित किया जाये। (7)

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"या बौद्ध" के स्थान पर ",बौद्ध या ईसाई" प्रतिस्थापित किया जाये। (19)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"बौद्ध" के पश्चात् "जिनमें नवबौद्ध भी सम्मिलित हैं," अंत:स्थापित किया जाये। (25)

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"सिक्ख या बौद्ध" के स्थान पर

"सिक्ख, बौद्ध, या ईसाई" प्रतिस्थापित किया जाये। (61)

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति का धार्मिक तथा आर्थिक स्तर धर्म-परिवर्तन के कारण एकदम नहीं बदल जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से ईसाई धर्म, इस्लाम बौद्धमत आदि में जाति अथवा अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं फिर भी जो अस्पृश्यता मानते हैं इन लोगों को सजा देते रहते हैं जिन्होंने धर्म बदल दिया है और इनके जीवन को कष्टमय बना देते हैं। अत: इस संशोधन की आवश्यकता है।

यदि मंत्री महोदय सभा से निवेदन कर रहे हैं कि वह संशोधन वापस लेंगे क्योंकि वह बाद में कभी इस पर विचार करेंगे फिर तो कम से कम मुझे उनसे एक बात कहनी चाहिए। वह यह है कि अब तक अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं उन्हें हम गैर-सांविधिक

योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और जो कानूनी आरक्षण से अलग है यद्यपि अभी तक कोई कानूनी आरक्षण नहीं था। आज केवल विधेयक है। किन्तु विधेयक से पूर्व, गैर-सांविधिक लाभ कार्यकारी आदेशों द्वारा बौद्ध धर्म-परिवर्तितों को भी दिए गए। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के उन धर्म-परिवर्तित लोगों के सम्बन्ध में भी तत्काल कार्यकारी आदेश जारी किए जा सकते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म या इसलाम अपनाया है। महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन अभी तीव्र स्वीकार करें। सामाजिक न्याय क्यों रोका जाए? अत: मैं निवेदन करता हूं कि सभी संशोधनों को स्वीकार करें।

श्री एस० बेंजामिन : महोदय, मैं मन्त्री का भरपूर आदर करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुद्दे पर आइए।

श्री एस० बेंजामिन : समानता की संकल्पना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उसी विश्वास के साथ एक धर्म-परिवर्तित को प्राप्त लाभ कम से कम समय में, भविष्य में दूसरों को भी दिए जाएंगे जैसा कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है। इस निवेदन के साथ मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सदस्यों से यह निवेदन कर रहे हैं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने पहले ही रिक्वैस्ट कर ली है कि अमैण्डमेंट विद-ड्रा कर लें।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह बात स्पष्ट है कि सरकार ने इस आधार पर एक कानून बनाया है कि धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति नहीं बदलती है। मैं पूरी तरह यह मानता हूं और इसका समर्थन करता हूं। किन्तु वह रियायतें देते समय मैं पूरी तरह दावा करता हूं कि ये रियायतें···

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर वह क्यों दोहराते हैं?

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं केवल एक कथन का उद्धरण देता हूं। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने अनुच्छेद 19 के संबंध में बोलते हुए कहा, मैं उद्धरण देता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उद्धरण नहीं देना है। इस पर पहले ही विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, आपने मुझे कुछ मिनट के लिए बोलने दिया। मैं उद्धरण देता हूं। महोदय, मुझे कोई शंका नहीं है कि हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि किसी व्यक्ति का धर्म क्या है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म में किस उप-वर्ग अथवा समुदाय का है। वह सभी अधिकारों के संबंधित, कानून और समाज में उन लोगों के बराबर होगा जो समूह हैं। अत: मैं समझता हूं कि लोगों पर अपना धर्म बदलने के लिए डाला जाने वाला अनुचित प्रभाव तथा किसी धर्म विशेष में अपनी आस्था का परित्याग करने और दूसरे धर्म को अपनाने के लिए दिए जाने वाले लालच का अधिक समय तक प्रभाव नहीं रहेगा और इन परिस्थितियों

[श्री ए० चार्ल्स]

में मैं समझता हूं कि हमारे लिए यही उचित होगा कि धर्म के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए और इसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए और सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए जाएं।

अत: मैं मन्त्री महोदय का समर्थन करता हूं···(व्यवधान) मैं यहां संसद सदस्य के रूप में बैठा हूं। आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। (व्यवधान)

महोदय, दो दिन पूर्व मैं स्वयं मन्त्री महोदय श्री पासवान से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि वह शुरूआत कर रहे हैं। अत:, दरवाजा अभी-अभी खोला गया है। यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। आपको यह दरवाजा बन्द करना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है, कृपया दरवाजा बन्द न कीजिए। प्रत्येक अनुच्छेद—अनुच्छेद 14, 15 और 16 पर विचार किया जाए और उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। आप हरिजनों के साथ भी जो ईसाई बन गए हैं, एक समान व्यवहार कीजिए। अत:, मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा में सभी माननीय सदस्यों की नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे पास 66 संशोधन हैं जो माननीय सदस्यों ने दिए थे। सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि जो मुद्दे उन्होंने पहले सम्पूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाए थे उन्हें फिर से दोहराया जाए। अत: केवल यदि यह बताना आवश्यक है कि वह संशोधन किस प्रकार उससे भिन्न है, तो सभा में उसको स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। कृपया हमारी सहायता कीजिए। हमारे साथ सहयोग कीजिए। उन मुद्दों को फिर से न दोहराएं जो कि पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि हम संशोधनों तथा विधेयक को निपटा सकें।

अब श्री पी० सी० थामस यहां उपस्थित नहीं है। श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी उपस्थित नहीं है। श्री शिकिहो सेमा, क्या आप अपने संशोधन के संबंध में बोल रहे हैं?

श्री शिकिहो सेमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संविधान (संशोधन) विधेयक में नव बौद्धों को शामिल करने के लिए सरकार को अपनी स्थिति व्यक्त कर चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश, मैंने यहां देखा कि ईसाइयों के साथ भेदभाव किया गया है। एक उदाहरण आप देखेंगे वह यह है। हमारे उप-प्रधान मन्त्री ने कहा था कि "ईसाइयों का यहां ठहरने का अधिकार नहीं है और उन्हें अन्य देशों में चला जाना चाहिए।" उन्होंने इसके बारे में कभी भी खंडन नहीं किया है। इस प्रकार के वक्तव्य उप-प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए हैं। अब हमने ईसाइयों को भी शामिल करने के लिए संशोधन रखा है।

श्री राम नाईक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह कि उन्होंने उप प्रधान मन्त्री के बारे में कुछ कहा है। इस संबंध में उन्होंने कुछ वक्तव्य दिये थे। यदि एक आरोप, जिसका कि उप प्रधान मन्त्री पहले ही बाहर खंडन कर चुके हैं और अब दोबारा यदि माननीय सदस्य आज वह आरोप लगाना चाहते हैं, तब उन्हें नोटिस देना चाहिए। नोटिस दिए बिना, वह इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है। अब आप बिना नोटिस दिये किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाएंगे।

श्री शिकिहो सेमा : उपाध्यक्ष महोदय, उप प्रधान मन्त्री भी यहां एक माननीय सदस्य है। मैं अपना नोटिस क्यों दूं ? उन्हें यहां से खंडन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस देना होगा। यदि यह आरोपात्मक अथवा निन्दात्मक है, तो आपको नोटिस देना होगा।

श्री शिकिहो सेमा : लेकिन वह इस सभा के एक माननीय सदस्य है। उनके पास यहां खंडन करने का अवसर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं, कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए। अन्यथा, यदि आपस में एक-दूसरे से बातचीत जारी रहती है, तो मेरे लिए सभा की कार्यवाही चलाना बहुत कठिन होगा।

(व्यवधान)

श्री शिकिहो सेमा : तब, मेरा मुद्दा इस प्रकार होगा। धर्म निरपेक्षता केवल संविधान में नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अतः इसी प्रकार यह संविधान संशोधन केवल एक संशोधन ही नहीं होना चाहिए। इसे व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। आज, पिछड़े वर्ग के लोग, हरिजन और अन्य—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग उन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसकी वजह यह है कि उन्हें ईमानदारी से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए, मैंने यह संशोधन रखा है कि ईसाइयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं सभी सदस्यों से इस संशोधन का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। यदि आप अल्पसंख्यक लोगों अथवा अन्य धर्मों का समर्थन करते हो, आपको इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपने संशोधन का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

(हिन्दी)

श्री राम नाईक : माननीय उपाध्यक्ष जी, "बौद्ध" जो शब्द आया है, उसके बाद मैंने अमेंडमेंट देकर "जिनमें नव बौद्ध भी सम्मिलित है" ऐसा कहा है कि उसका मुख्य कारण यह है कि ये जो सुविधाएं दी जाती है, वह स्कूल में कौन से रजिस्टर में धर्म दिखाया जाता है। ग्राम पंचायत में, नगरपालिका में और महापालिका में जो जन्म होते है और महाराष्ट्र में सब जगह "नव बौद्ध" ऐसा लिखा जाता है इसलिए इनका कौन सा धर्म है वह स्कूल सर्टिफिकेट और ग्राम पंचायत के सर्टिफिकेट को देखेगा। वह जो अमेंडमेंट है, वे जो सुविधाएं बुद्धिस्ट को दी जाती है इसलिए कई कारणों से सारे अफसर जो होते है वह लिखते रहेंगे और उसके कारण जिनको हम यह सुविधा देना चाहते है। ऐसे नव बौद्धिस्ट उससे वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार का इंटरप्रटेशन कुछ अधिकारी कर सकते है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि बौद्धिस्ट के आगे इम्प्रूविंग नव बौद्धिस्ट लगाया जाए, जिससे जो नव बौद्ध है उनको किसी कारण से सामाजिक तकलीफ नहीं होगी। यह मेरा संशोधन है, मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पीटर जी० मरबनियांग और श्री पलाई के० एम० मैथ्यू उपस्थित नहीं हैं। श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो यहां नहीं हैं। श्री चार्ल्स बोल चुके हैं। श्री डेनिस यहां नहीं हैं।

अब, यह सभा की और उन सदस्यों की इच्छा पर है जिन्होंने अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, कि उनके संशोधनों को एक साथ अथवा अलग-अलग रखा जाए।

कुछ माननीय सदस्य : अलग-अलग।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : माननीय मन्त्री द्वारा बार-बार दिए गए आश्वासन को देखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री बनातवाला ने अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त कर ली है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : नाईक साहब आप तो संविधान के विशेषज्ञ हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि हिन्दू शब्द, बाद में जोड़ा गया सिख शब्द, अब जोड़ा जा रहा है बौद्ध शब्द। कौन जाति उसमें है, जाति की अलग से परिभाषा दी है। जो अनुसूचित जाति की अलग सूची बनी हुई है उसमें जो रहेंगे उनको लाभ मिलने वाला है। उसी तरह से बौद्धिस्ट में जो अनुसूचित जाति से परिवर्तित हो गये हैं उनको लाभ मिलेगा। कल मायावती जी ने भी कहा था कि नव बौद्धिस्ट जोड़ने से लोगों को मालूम हो जाएगा कि यह अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसका दूसरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए संविधान में पहले हिन्दू जोड़ा गया, फिर सिख और अब बौद्ध धर्म जुड़ गया, उसके बाद उनको अनुसूचित जाति की सुविधा मिलेगी।

श्री राम नाईक : मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि यह सुविधा नव बौद्धों को मिलेगी। उसके आधार पर मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : नव बौद्धों को ही मिलेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री राम नाईक को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 25, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी अन्य संशोधन अर्थात संशोधन संख्या 7, 19 और 61 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7, 19 और 61 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला और अन्य सदस्यों ने खंड 3 के लिए संशोधन दिये हैं। क्या श्री बनातवाला वह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासनों को देखते हुए और इस आशा से कि अपने कहे पर बरकरार रहेंगे, मैं इसके लिए और अन्य सभी खण्डों के लिए अपने किन्हीं भी संशोधनों पर जोर नहीं देता अथवा उन्हें प्रस्तुत नहीं करता।

श्री एस० बेंजामिन : मन्त्री महोदय द्वारा स्वयं नई दिल्ली में एक अवसर के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आश्वासन दिया गया था। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उस आश्वासन को पूरा किया जाए।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं कहता हूं कि मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्यों ने संशोधन के नोटिस दिए हैं, लेकिन या तो वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अथवा सभा में उपस्थित नहीं हैं। अत: मैं खंड 3 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 4 पर बहुत से सदस्यों ने संशोधन के नोटिस दिये हैं, लेकिन या तो वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अथवा सभा में उपस्थित नहीं हैं। अत: मैं खंड 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 5 पर बहुत से सदस्यों ने संशोधन के नोटिस दिये हैं, लेकिन या तो वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अथवा सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं खंड 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 6 पर बहुत से सदस्यों ने संशोधन के नोटिस दिये हैं, लेकिन या तो वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अथवा सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं खंड 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 7 पर बहुत से सदस्यों ने संशोधन के नोटिस दिये हैं, लेकिन या तो वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अथवा सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं खंड 7 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14.56 म० प०

संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री राम विलास पासवान द्वारा 28 मई, 1990 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, पहले हमने यह सोचा था कि संविधान (संशोधन) विधेयक पर मतदान एक बार 2.30 म० प०, फिर दूसरी बार 5.30 म० प०, होगा। मैं समझता हूं कि पहले विधेयक पर मतदान 3.30 बजे म० प० पर होगा। क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके घोषणा के पश्चात हमें कुछ माननीय सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री पी० उपेन्द्र : हमने मामले पर विचार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। आपने उनसे विचार-विमर्श किया है पर मैं नहीं जानता कि क्या विचार किया गया था।

श्री पी० उपेन्द्र : यह फैसला हुआ था कि मतदान 3.30 और 5.30 म० प० पर होगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : क्या आप मद संख्या 12 पर विचार शुरू कर रहे हैं ? (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इसका मतलब यह है कि चर्चा के लिए सात आधा घंटा बचा है। नहीं, हमें और समय चाहिए। मतदान 3.30 बजे (म०प०) पर नहीं कराया जा सकता। हम इस पर सहमत नहीं हो सकते।

श्री पी० उपेन्द्र : हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले पर विस्तृत विचार कर लिया है। मैं नहीं समझता कि इसमें चर्चा के लिए कुछ भी बचा है।

श्री हरीश रावत : कई माननीय सदस्य हैं जो इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह मानना था कि आपने सदन में अन्य माननीय सदस्यों तथा नेताओं के साथ मतदान के समय के निर्धारण के बारे में विचार-विमर्श करके निर्णय किया होगा। मैं नहीं जानता कि आप इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। अस्थायी तौर पर हम यह मानकर चल रहे हैं कि मतदान 3.30 म० प० बजे होगा। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य

बोलने को उत्सुक हैं। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए भी हैं इसलिए शायद यह जरूरी नहीं कि इस पर लम्बे भाषण दिए जाएं। यह देखते हुए मेरा यह कहना है कि आप में से कुछ आपस में मिल-बैठकर निर्णय लें और उससे हमें अवगत कराएं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी देखेंगे कि कब मतदान कराया जा सकता है। मोटे तौर पर 3.30 बजे म० प० का समय होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले का एक दूसरा पहलू यह है कि कार्य सलाहकार समिति ने इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया था। मुझे पता चला है कि तीन घंटे की चर्चा इस पर हो चुकी है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। लेकिन कार्यवाही को नियमित करने का कोई तरीका होना चाहिए। यद्यपि भोजनावकाश के पूर्व यह निश्चय किया गया था कि मतदान 3.30 म० प० बजे होगा फिर भी हम अभी की घोषणा का भी पालन करेंगे। लेकिन उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो विचित्र स्थिति हो जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है इसलिए सभी सदस्यों को कह दिया जाए कि मतदान लगभग 3.30 बजे म० प० होगा। पांच या दस मिनट आगे-पीछे हो सकता है। यह तो सभी समझ ही सकते हैं। लेकिन यदि कई सदस्य बोलना चाहेंगे तो 3.30 बजे म०प० मतदान होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

लेकिन हमारा निवेदन यह है कि चूंकि कार्य सलाकार समिति ने एक समय निर्धारित कर दिया था जो यद्यपि समाप्त हो चुका है फिर भी हमें इसे 3.30 म० प० तक सीमित कर निपटा देना चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति के अनुसार अब भी एक घंटा 34 मिनट चर्चा के लिए बचे हैं। समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपको जिसने भी बताया उसने आपको गलत बताया है।··· (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम निर्णय का पालन करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं समझता हूं कि अभी डेढ़ घंटा बचा है। हम उसका पालन करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि श्री दिनेश सिंह, श्री साठे जी और हमारे पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा बोफोर्स तथा ए-320 की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उठाया था जिसका समर्थन माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा श्री सोमनाथ चटर्जी ने किया था, उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है*··· (व्यवधान) हम इन सभी मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं··· (व्यवधान)

सुबह ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार बोफोर्स तथा ए-320 सम्बन्धी पत्र सभा पटल पर पेश कर दे तथा मेहम कांड के मामले की जांच के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में घोषणा करेगी··· (व्यवधान) सरकार कुछ भी कर सकती है। हमने कई बार इन पत्रों को सभा पटल पर रखने की मांग की थी। श्री पी० उपेन्द्र तथा प्रधान मन्त्री ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्हें वे पत्र प्राप्त हो चुके हैं और हम भी उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार को उन पत्रों को सदन की सभा पटल पर रखने में अड़चन क्या है।··· (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित होने से रोक रहे हैं। यही आपका असली उद्देश्य है। आप नहीं चाहते कि संविधान संशोधन विधेयक पारित हो। महोदय, इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर ही वे उन्हीं प्रश्नों को बार-बार उठाते हैं।···(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : हम सहयोग देना चाहते हैं आपने देखा है कि अब तक हर मुद्दे पर हमने उन्हें समर्थन दिया है। इस मुद्दे पर भी हमने अपना समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन सरकार का इरादा उन पत्रों को सदन के सभा पटल पर रखने का नहीं है।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। श्री कुरियन, कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने नहीं देना चाहते। यही आपका असली उद्देश्य है।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, क्या आप बैठेंगे ? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से आपस में बातचीत नहीं करें चूंकि यदि आप एक-दूसरे से बातचीत करते रहे तो पता नहीं सदन की कार्यवाही किस तरह चलेगी। यदि आपको कुछ कहना ही है तो आप कृपया पीठ के माध्यम से अपनी बात कहें, ऐसा ही होना चाहिए। अन्यथा, यदि आप इसी तरह एक-दूसरे से बातचीत करते रहे तो कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं श्री कुरियन को बोलने की अनुमति दी है। यदि एक-दो सदस्य उत्तर देना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। लेकिन कृपया आपस में बात न करें। हां, श्री कुरियन आप अपनी बात जल्दी पूरी करें···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप हाउस चलाना चाहते हैं तो इस प्रकार से उनसे बात मत कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो और बात है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, हमने सरकार को विधेयक पारित करने के लिए सहयोग देने की बात कही है अभी ही···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। अब आप अपनी बात सारांश में कहें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, पिछले एक सप्ताह से हमने कई बार सदन में यह मांग की है कि उन पत्रों को सभा पटल पर प्रस्तुत करें। हमने यह भी कहा है कि हमारे निवेदन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर हमारा समर्थन निर्भर करता है, जो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इससे सहमत होगा कि हमारा निवेदन उचित है। माननीय आडवाणी जी ने भी इसका समर्थन किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार उन पत्रों के साथ सामने नहीं आती है और सभा पटल पर प्रस्तुत नहीं करती है, तब तक सहयोग देने के अपने अधिकार को हम सुरक्षित रखते हैं। यह अधिकार हम सुरक्षित रखते हैं। इस बारे में मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सुबह कुछ पत्रों को प्रस्तुत करने की बात कही है जो सरकार के पास विचारार्थ है। हमने उनकी मांग को ठुकराया नहीं है। बोफोर्स रिपोर्ट के संबंध में नई बातें सामने आई हैं। हम विभिन्न दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे। यदि कोई रिपोर्ट या पत्र सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो हम उसका स्पष्टीकरण उन्हें देंगे। हम सदन के नेता को भी विश्वास में लेना होगा। मेरा यह मानना है कि विपक्ष इन दो संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने देने के लिए प्रतिबद्ध है और मैं यह आशा करता हूं कि शर्त परम्परा कायम कर ऐसी छवि नहीं प्रस्तुत करेंगे कि पहले पत्रों को सभा पटल पर रखा जाए और फिर विधेयक को पारित किया जाए। मैं नहीं समझता कि यह एक सही दृष्टिकोण है। यह रचनात्मक सहयोग नहीं है। आज हमने विधेयक पर मतदान कराने का निश्चय किया है और यदि कांग्रेस पार्टी अलग दृष्टिकोण अपनाती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

जहां तक इस विधेयक के लिए निर्धारित समय का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा है कि पहले विधेयक के लिए दो घंटे का समय निश्चित किया गया था परन्तु हमने उस पर चार घंटे का समय लगा दिया है। चूंकि हम यह चाहते थे कि दोनों ही विधेयकों पर एक साथ विचार हो। मैंने सोचा था कि पहले विधेयक पर अधिक समय नहीं लगेगा। इस पर हमने लगभग डेढ घंटे का समय लगा दिया है और मैं समझता हूं कि अगले आधे घंटे या पैंतालिस मिनट में इस विधेयक पर विचार-विमर्श पूरा हो जाएगा। और तब इस पर मतदान कराया जाएगा ताकि सदस्यों को पता चले कि कब उन्हें सदन में उपस्थित रहना है चूंकि इस पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि लगभग आधे घंटे में वह चर्चा समाप्त कर दें और विधेयक पर मतदान कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए सभा ने तीन घंटे का समय निर्धारित किया था और अब तक एक घंटा छब्बीस मिनट बीत चुके हैं। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि मतदान चार बजे कराया जाएगा और मतदान के समय सदस्य सदन में उपस्थित रहें।

श्री पी० उपेन्द्र : दूसरा विधेयक भी लम्बित पड़ा है। आप सदस्यों को सूचित कर दें क्योंकि दोनों ही विधेयक पारित करके राज्य सभा को भेजने होंगे। राज्य सभा में इन पर कल विचार-विमर्श होना है और सभा इस विधेयक को प्राप्त करने के लिए बैठी है। छः बजे तक हम इन दोनों विधेयकों को पारित कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे विधेयक पर मतदान छः बजे होगा।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, अड़सठवां संविधान संशोधन विधेयक, 1990, स्वतन्त्रता के बाद विगत चालीस वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक है। महोदय, इस विचार से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वह विधेयक माननीय श्रम एवं कल्याण मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कल इस पर चर्चा आरम्भ की गई थी और इसे बीच में ही छोड़कर इस विधेयक पर चर्चा शुरू कर दी गई। हम यह समझ सकते हैं कि जब एक विधेयक को प्रस्तुत किया गया, उस पर पूरी चर्चा हुए बिना ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दूसरे विधेयक पर चर्चा शुरू कर दी गई। इससे यह अनुमान अच्छी तरह लगाया जा सकता है कि संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कराने की जल्दबाजी की गई।

3.13 अ० प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

महोदया, यह विधेयक, जिस पर कल चर्चा आरम्भ की गई थी परन्तु जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था, आज पूरा कर दिया गया है। इस तरह की प्रथा अब चल पड़ी है। महोदया, एक तरफ तो वे चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष डा० अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के वर्ष के दौरान बहुत कुछ कर रहे है और दूसरी ओर उन्होंने इस संविधान संशोधन विधेयक को लापरवाही से लिया। उससे पता चलता है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को कितनी गम्भीरता से लेते है। वास्तव में, माननीय मंत्री महोदय ने कल अपने लम्बे भाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के उपाय के लिए लम्बे-चौड़े वायदे किये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की जानकारी उन्हे है और यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वह बिहार राज्य से हैं जहां लाखों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विभिन्न प्रकार के अपमानों, उत्पीड़नों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब उन्होंने एक ऐसा उपाय सामने रखा है जो असंतुलित और अधूरा है चूंकि आपने अनुसूचित जाति के उस वर्ग को वंचित कर दिया है और उस सूची में उन्हें शामिल नहीं किया है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। जब तक उनमें राजनीतिक चेतना नहीं आती, उस स्थिति मे यदि आप कोई विधेयक लाना चाहते हैं तो इसे पूर्ण और व्यापक होना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो विचारणीय है वह है उनकी जनगणना। अब एक वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है तो बहुत हाय-तौबा मचती है चूंकि उस स्थिति में प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ऐसे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : आप कृपया मंत्री की तरफ से लम्बा भाषण मत दें। समय बहुत कम है। कई सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान) मुझे प्रत्येक को बोलने का समय देना है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : महोदया, कल मैंने इस चर्चा को शुरू किया था। रंगा जी ने अपने कुछ विचार व्यक्त किये थे। इसलिए मैं आज बोल रहा हूं। यह गम्भीर मामला है। यह विधेयक आज पेश किया गया और तब चर्चा शुरू हुई।

सभापति महोदया, माननीय मंत्री ने बहुत सारे विचार व्यक्त किये और वायदे किये और वे यह भी जानते है कि यदि हजारों कानून भी हम इसके लिए बना दें तो भी अनुसूचित जातियो की समस्याओं का थोड़ा भी समाधान नहीं हो सकता जब तक कि देश मे इसकी दो पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। पहली शर्त यह है कि जब तक देश के लोगों के दृष्टिकोण मे बुनियादी परिवर्तन नहीं आता कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती। दूसरी शर्त यह कि संविधान के तहत उन्हें उपलब्ध न्यूनतम सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होने पर जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे यह जानते हैं। न तो रिपोर्ट की कमी है न सिफारिशों की और न उच्चस्तरीय या निम्नस्तरीय समितियों की। बहुत कुछ उपलब्ध है। मात्र संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से ही कुछ नहीं होगा।

विधेयक में यह उल्लेख किया गया था कि आयोग का यह उद्देश्य होगा कि वह सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करें, सुरक्षा कार्यों का मूल्यांकन, विशेष शिकायतों की जांच, प्रतिवेदनों को

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

प्रस्तुत करना तथा सिफारिशों को लागू करवाना। जब आयोग गठित किया गया था तो ये उसके विचारार्थ विषय एवं कार्य थे और पुनः जब उसी विधेयक को 21 जुलाई, 1978 को गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा प्रस्तुत किया गया तो आयोग गठित किया गया और ये सभी उद्देश्य और कार्य निर्धारित किये गये थे।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। दो मिनट के अन्दर आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : केवल सिफारिश कर देने से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर हमारे पास कई रिपोर्टें हैं। इलाई पेरुमल तथा शिलो ओए समिति की रिपोर्ट है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भूतपूर्व चेयरमैन स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री, स्वर्गीय के० राजामल्लु और वर्तमान सांसद श्रीमती एम० चंद्रशेखर और श्री बीकाभाई और यहां तक कि इस आयोग के वर्तमान चेयरमैन श्री रामधन के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस बारे में उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जानता हूं। सिफारिशों और रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं निकलता। जब तक इन सिफारिशों को अनिवार्यतः कार्यान्वित नहीं किया जाएगा हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते जिसके लिए यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मात्र संवैधानिक दर्जा दे दिए जाने से कोई आसमान टूट कर नहीं गिर पड़ेगा, हम इस देश में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमने लाखों लोगों के कष्ट को देखा है और मात्र विधेयक लाने और संवैधानिक दर्जा देने से ही अनुसूचित जातियों की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। यदि वे वास्तव में इसके प्रति गम्भीर है तो सिफारिशों को आदेशात्मक बना दिया जाए और जहां कहीं भी उन्हें न्यूनतम सुरक्षा उपलब्ध कराने में नियम का उल्लंघन हो तो दंडात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने इसका वायदा किया है। यदि वह यह भी शामिल कर लेते हैं तो निश्चय ही यह बहुत हद तक अनुसूचित जातियों की वास्तविक समस्याओं के समाधान में सहयोगी होगा। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्टों और सिफारिशों पर नियमित चर्चा होनी चाहिए। जब कभी भी सिफारिशों के लागू करने का उल्लंघन हो तो दंडात्मक कार्रवाई करके आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : आप अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : संविधान में हमने उन्हें अनुच्छेद 16(4) के तहत सुरक्षा प्रदान की है। फिर भी बहुत कार्य बकाया पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय ने उसे समाप्त करने का वायदा किया है। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि वह वर्ग भी वही है जिन पर इसे लागू करना। हमने नौकरशाही व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया है। वे वहीं है और वे ही मुख्य बाधा हैं।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें। अब मैं श्री रामधन को बोलने की अनुमति देता हूं। मैंने आपको बहुत समय दे दिया है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस राष्ट्रीय समिति के सिफारिशों को कानूनी आदेश का रूप दिया जाना चाहिए और इसके उल्लंघन किये जाने पर दंडात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। तभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विधेयक के माध्यम से कोई हित हो सकेगा।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : सभापति महोदय, संविधान निर्माताओं ने जो मंशा व्यक्त की थी, उसको 42 सालों के बाद सुधारने की कोशिश हो रही है। यह बात कान्स्टीचुयेंट एसेम्बली में पेश हुई थी और उस वक्त माइनोरिटी कमेटी के कंवीनर सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्पेशल आफिसर फार माइनोरिटीज की बात कही थी और श्री अनन्तसयनम् अयंगार के आग्रह के बाद बाबा साहिब अम्बेडकर ने उसको शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्डट्राइब्स तक सीमित किया। क्लास-थ्री में एंगलो इंडियन और दूसरे बेकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं और उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि उस वक्त इस बारे में क्या हुआ।

सन् 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्डट्राइब्स कमिश्नर से सभी उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं, इसके लिए नेशनल कमीशन बैठाया जाए। 1987 के रिजोल्यूशन के बाद कांग्रेस सरकार ने केवल कमीशन से पहले "नेशनल" शब्द जोड़ कर कहा कि इसमें परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने नेशनल शब्द जोड़ दिया और इसमें कुछ नहीं था।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह आपका ही सुझाव था।

श्री राम धन : हमारा सुझाव नहीं था, अगर हमारे सुझाव को माने होते तो इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते।

मैं कहना चाहता हूं कि दोनों के जो कार्य थे, वे करीब-करीब समान थे। इसलिए बार-बार यह जरूरत पड़ी, संसद के सभी पक्षों के सांसदों ने, लोक सभा के सभी पक्ष के सांसदों ने यह बार-बार मांग की कि जो आयोग हो उसके दांत होने चाहिए, ताकि वह कुछ कर सके।

उसी सिलसिले में राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव घोषणा के अनुरूप यह विधेयक लाया गया है। मैं और बातों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति जी ने कहा है यह विधेयक बिल्कुल रैपीटिशन है। मेरे पास यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की 1978 की रिपोर्ट है, इस आयोग के चेयरमैन श्री भोला पासवान शास्त्री जी ने कुछ सुझाव पेश किए थे। सरकारी तंत्र ने 47वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, उसमें सिफारिश करने के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं थी। वह पेश नहीं हो सका और 51वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के सामने आने वाला था, लेकिन सरकार गिर गई। मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं आज भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वोटिंग के लिए एक-एक मैम्बर की गिनती होनी चाहिए, वरना कहीं हम उसी तरह का परिणाम न भोगें। जो बात मैंने 1978 में कही थी, आज यह पता चल जाएगा कि किस पार्टी का कितना सहयोग है और उसके कितने सदस्य सदन में उपस्थित है। यह सब रिकार्ड में आ जाएगा और उससे पता चल जायेगा कि वे कितना सहयोग कर रहे है तथा इतने महत्वपूर्ण विधेयक को वे कितने मन के साथ पास करना चाहते हैं। शास्त्री जी ने जो सुझाव रखा था, मैं चाहता था कि वह सुझाव हो, लेकिन पहले जो माननीय मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत किया था, उसमें वे बातें नहीं थी। मैंने इस संबंध में उनसे बात की, उन्होंने कहा कि क्या करें, सैक्रेटरीज लोग नहीं मानते हैं। फिर मैंने इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी से बातचीत की। मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं। जब मेरे सामने यह प्रस्ताव आया कि मैं नेशनल कमीशन की चेयरमैनशिप स्वीकार करूं, तो मैंने शर्त लगाई और माननीय प्रधान मंत्री जी से कहा कि मैं इसको तभी स्वीकार करूंगा,

[श्री राम धन]

जब नेशनल कमीशन को अधिकार दिए जायेंगे और ऐसे अधिकार दिए जायें, जिनसे यह सार्थक साबित हो, तब प्रधान मंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप किया, इसमें मेरे जो तीन संशोधन थे, जिनको सरकार ने स्वीकार किया और वे संशोधन सरकारी संशोधन के रूप में आपके सामने आए हैं।

मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, एक बात और आपको बताना चाहता हूं। बिहार में अरवल जिले में यह कमीशन गया, उस कमीशन में मैम्बर बी०पी०सी०सी० के प्रेजीडेंट थे, आयोग के सदस्य थे, पार्लियामेंट के मैम्बर थे, उनके सामने एक कर्मचारी ने शिकायत की। उस वक्त जो डी० वाई एस० पी० कमीशन के साथ था उसने एस०डी०ओ० से कहा कि आप कर्मचारी का नाम नोट करो और जब यह कमीशन चला जाएगा, तब हम इससे निपट लेंगे और इसको समझ लेंगे। यह कमीशन की हैसियत है। उसी राज्य में जिला अधिकारी ने कहा कि हमको कमीशन से मिलने की फुर्सत नहीं है और यदि कमीशन हमसे मिलना चाहता है तो फलां दिन को इतने बजे से इतने बजे के बीच में हमारे घर पर आए। यह कमीशन की हालत है। आयोग के कोई भी अधिकार, चाहे राज्य का अधिकार हो और चाहे केन्द्र का अधिकार हो, सिवाय इसके कि सिफारिश करने वाली संस्था या अनुसंधान करने वाली संस्था से अधिक नहीं है। 1978 के प्रस्ताव का डायल्यूट करके 1987 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे कर दिया कि वह एक रिसर्च बाडी बनकर के रह गया। इसलिए आज जो यह विधेयक पेश हुआ है, हम समझते हैं कि उसमें जो परिवर्तन लाये गये हैं उनको हम बता देना चाहते है। वर्तमान प्रधान मंत्री ने इसके लिए पूरी छूट दी कि इसमें ऐसे प्रावधान किये जाएं जिससे कि कमीशन को दांत मिलें।

मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि बहुत-सी बातें थीं जो ब्योरोक्रेसी है, वह जिस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ व्यवहार करती है उसी तरह से उसने इस कमीशन के साथ व्यवहार किया। मुझे कई बार इस बात को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो मैं कह चुका हूं मैं पुनः उन बातों में नहीं जाना चाहता। चूंकि समय कम है इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के रिवीजन के बारे में कल भी मंत्री जी ने बताया था आज भी उन्होंने बात कही। इस लिस्ट को रिवाईज करने के बारे में दो बार—एक बार जब श्री पी० गोविन्दा मेनन सोशल वेल्फेअर के मिनिस्टर थे तब और दूसरी बार तब जबकि जनता पार्टी का शासन था सन् 1978 में इसके लिए प्रयास किया गया था और इसके लिए हमारे साथी श्री सूरजभान जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी। उसने दो साल तक सारे देश में घूम-फिर कर यह देखा था किसको इस लिस्ट में रखा जाए, किसको निकाला जाए, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन वह सरकार गिर गयी और उस कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। वह रिपोर्ट आज भी रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। पिछले पांच सालों से हम वेल्फेअर मिनिस्ट्री की मिनिस्टर राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी जी से कहते रहे हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट को वह देखें और उसके मुताबिक इस लिस्ट को रिवाईज करें। मंत्री जी ने हमको कहा कि पहले राज्य सरकारें इसका सुझाव दें और फिर वह पार्लियामेंट के सामने आयेगी, तब जा करके यह सूची ठीक होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सूरजभान कमेटी की रिपोर्ट को वर्तमान सरकार लागू कर देती है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं इस सिलसिले में हल हो जाएंगी।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो कमीशन है इसके साथ क्या व्यवहार होता है। यदि कहीं किसी कर्मचारी या अधिकारी को दंडित करना होता है तो उसे कमीशन में भेज दिया जाता है। कमीशन

में ऐसे लोगों को भेजा होता है जिनको दूसरे विभाग वाले सजा देना चाहते हैं। (व्यवधान) यह ज्वाएंट टेक्नीकल केडर है। इसमें डाइरेक्टर, असिसटेंट डाइरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सीनियर इन्वेस्टीगेटर, इन्वेस्टीगेटर हैं और ये ट्रांसफरेबल हैं। कमिश्नर के आफिस में भी इसी तरह के कर्मचारी हैं और सब एक दूसरे विभाग में ट्रांसफरेबल हैं। इन सबको वेल्फेअर मिनिस्ट्री का एक ज्वाएंट सेक्रेटरी कन्ट्रोल करता है। जबतक यह रहेगा तब तक मेरा यह मानना है कि यह वेल्फेअर मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट बनकर रह जाएगा। इसलिए आप इस कमीशन को यू० पी० एस० सी० या सी० ए० जी० की तरह इंडीपेंडेंट बाडी बनाइये। तभी आप अपेक्षित सुधार ला सकते हैं। अगर यह नहीं बनाइएगा तो इसके मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की आज जो हालत है कि वह स्टेगनेट कर रहा है वह करता रहेगा। डाइरेक्टर और डिप्टी-डाइरेक्टर जो हैं वे भी एक-दूसरे विभाग से नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि इन कमीशन की काडर कंट्रोलिंग अथोरिटी कोई है नहीं, जो कारगर है। उसको कोई अथोरिटी नहीं है। एक चपड़ासी के खिलाफ आप कोई ऐक्शन नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो कुछ भी करेगी, वेलफेयर मिनिस्ट्री ही करेगी। अगर कमीशन के साथ इस तरह के व्यवहार करना है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी कांस्टीच्यूशन में अमेंडमेंट कर लीजिये, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि न्यूरोक्रेसी के बारे में जिस तरह से लोगों ने बयान दिये हैं, उसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं, क्योंकि कल इन्होंने कहा कि कांफीडेंशल रिपोर्ट खराब होती है। सूटेबल कैंडीडेट, सूटेबिलिटी पर ये सारी चीजें, उसमें हैं, जिन पर मैं जाना नहीं चाहता। रिक्रूटमेंट प्रमोशन और जो ये सारी चीजें हैं, यह सब काम मिनिस्ट्री करती है। (व्यवधान)

बाला सुब्रह्मण्यम इनवेस्टीगेटर हैं, उसको ट्रांसफर के लिए एप्री करते हैं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एप्री किये गये, लेकिन मिनिस्ट्री ने कहा कि आपको अधिकार ही नहीं है, ये आज क्या हालत हो गई है? इस कमीशन को अगर इसी तरह से रखना है तो मैं समझता हूं कि इससे जुड़ी हुई एक और बात जो मुझे कहनी थी वह यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि पिछली सरकार के लोगों ने कहा कि पांच-पांच, छः-छः साल से एड-हाक बेसिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं या डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने कहा कि आज एड-हाकिज्म नहीं होगा, हम यू० पी० एस० सी० को लिखेंगे। यू० पी० एस० सी० ने क्या किया, दण्डकारण्य प्रोजेक्ट में जो लोग अधिकारी, ज्यादा हुए हैं, वे इसमें दाखिल हुए हैं और वैटरनरी डाक्टर को यहां असीस्टेंट डायरेक्टर बना करके लाएंगे, किसी ने कहा कि हम उसको नहीं लेंगे, कमिश्नर ने कहा कि हम इसको नहीं लेंगे, इस तरह की चीजें यहां होती हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ये तीन संशोधन इन्होंने मेरे स्वीकार किए हैं, वैसे ही कुछ और भी संशोधन हैं, जिसको मैं समझता हूं कि कमीशन को सुचारू रूप से चलाने लिये वह परमआवश्यक है। इसलिए उन संशोधनों को भी आप मान लें।

अगर यह सब संशोधनों को आप मान लेंगे तो मैं समझता हूं कि सब काम अच्छी तरह से, सुचारू रूप से किया जा सकेगा। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कमीशन वैलफेयर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट बना कर काम करने की बात हो तो मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, चाहे आप कितने ही संशोधन विधेयक पास कर दें।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक राज्य सरकारों का और केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों का और पब्लिक अंडरटेकिंग्स का, इन सबका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक मैं समझता हूं कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं बार-बार मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों पर ध्यान देंगे और जो प्रेसीडेंट इस सिलसिले में रूल्स फ्रेम करे, रूल्स के फ्रेम करते समय

[श्री राम धन]

सारे जो सुझाव हैं, उसको भी स्वीकार करे, क्योंकि रूल्स में भी ये सारी बातें नहीं आ पाएंगी, जो विधेयक में नहीं लाई जा सकतीं। इसलिए मैं समझता हूं कि कमीशन कारगर ढंग से काम नहीं कर पायेगा। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक विशेष मामले के तौर पर मैं श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा को बोलने के लिए बुलाती हूं क्योंकि उनका लड़का बीमार है। परन्तु मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप संक्षेप में बोलें।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : सभापति महोदया, मैं 68वें संविधान संशोधन विधेयक 1990 का समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, मैं कल आश्चर्यचकित था और आज भी आश्चर्यचकित हूं क्योंकि वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री रंगा और माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह कह रहे हैं कि यदि सरकार बोफोर्स तोप सौदे और एयर-बस सौदे से संबंधित सभी पत्रों को सदन के पटल पर पेश नहीं करेगी तो वे अपना सहयोग वापिस ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : क्या यह विशेष स्थिति है ? (व्यवधान)

सभापति महोदया : आपकी बारी भी आयेगी।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : महोदया, मैं नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार बोफोर्स तोप सौदे और ए-320 एयर-बस सौदे से संबंधित सभी पत्रों को सभा पटल पर पेश करेगी तो वे उसे अपना सहयोग नहीं देंगे। इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि कांग्रेस (आई) के सदस्यों के सहयोग के अभाव में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने संबंधी विधेयक और भूमि सुधार के लिए दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत की जरूरत है और सदन में मौजूद एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। उनके व्यवहार से पता लगता है कि वे इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। (व्यवधान)

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : आक्षेप मत लगाओ। (व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। यह असलियत है। मैं असंतुष्ट हूं। मैं पूरे सत्र सदन में मौजूद रहा हूं और आपका कार्य देखता रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : यह एक बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 43 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक और

आर्थिक रूप से समाज के अन्य वर्गों के बराबर नहीं लाया जा सका है। योग्यता के बाद छात्रवृत्ति योजना, व्यवसायिक शिक्षाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण योजना, सरकारी नौकरियों और पदों की भर्ती में आरक्षण योजना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त कार्यालय ने कुछ वर्षों तक तो अच्छा कार्य किया था। परन्तु जबसे आयुक्त के अधीन कार्य कर रहे क्षेत्रीय उप-निदेशकों को समाज कल्याण विभाग के जनरल सेक्रेटरी के अधीन कार्य करने के लिए स्थानान्तरित किया है तबसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय की शक्तियां काफी कम हो गई हैं।

दूसरे, 1985 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भलाई से संबंधित कार्य गृह मंत्रालय से समाज कल्याण मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया था। और वह भी एक कारण है जिससे इस कार्य की गति अत्यधिक धीमी हो गई है। (व्यवधान) कांग्रेस (आई) की कथनी और करनी में काफी अन्तर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गुजरात में मोची अछूत नहीं है। वे गांवों के वाल्मीकियों और शहरों की गन्दी बस्तियों में नहीं रहते हैं। वे गांव के सामान्य कुएं से पानी भरते हैं। मोचियों के मामले में ब्राह्मण भी उनके यहां धार्मिक समारोहों का आयोजन करते हैं परन्तु अनुसूचित जातियों के मामले में ऐसा नहीं है। और इसके बावजूद भी कांग्रेस (आई) सरकार ने 1976 में संविधान आदेश में संशोधन करके मोचियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया था।

मेरे मित्र, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने अभी कहा था कि वे अछूत नहीं है, इसलिए उन्हें संविधान आदेश से अलग किया जाना चाहिए। मैं श्री राम विलास पासवान से जानना चाहता हूं कि क्या वे गुजरात में मोचियों को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 से अलग करने जा रहे हैं और यदि ऐसा है तो कब ?

गुजरात के मोचियों को अनुसूचित जातियों की सूची से अलग करने के लिए सभा ने मुझे एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। (व्यवधान) यह एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि मुझे केवल इस मुद्दे पर ही 2,13,000 मत मिले थे। वे अछूत नहीं हैं। परन्तु वे अभी भी अनुसूचित जातियों को प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त कर रहे है। इसी कारण मैंने श्री योगेन्द्र मकवाना को पराजित करके इतने अधिक मत प्राप्त किए थे। (व्यवधान) मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि वह मोचियों को अनुसूचित जातियों की सूची से अलग करने के लिए जल्दी से जल्दी एक विधेयक पेश करे।

अब, मैं दूसरी बात पर आता हूं। राज्य व्यापार निगम और अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने एक नई पदोन्नति नीति तैयार की है, जो कि रिक्तियों पर आधारित नहीं है, इसका तात्पर्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नतियों में आरक्षण के लाभ से अलग करना है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस नीति को तुरन्त निरस्त कर दे और इस नई नीति को समाप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश भेजे जाने चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित कार्य के लिए एक नये मंत्रालय का सृजन किया जाना चाहिए। यह मंत्रालय पूर्णतः इन लोगों के कल्याण कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होना चाहिए। यह बात सम्भव नहीं है तो इस कल्याण कार्य को गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए। जब यह कार्य गृह मंत्रालय के अधीन था तो उस समय काफी अच्छा था। परन्तु इसे गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया।

मैं और अधिक समय लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे जाना है। महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सभापति महोदया, मुझे इस अवसर पर इस संविधान विधेयक का समर्थन करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों को गृह मंत्रालय से अलग करके और कल्याण मंत्रालय को सौंपकर इसकी महत्ता को कम किया गया है, इसके विपरीत मैं कहता हूं कि जो मंत्री इसके प्रभारी हैं उन्हें ही इस मंत्रालय की देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। श्री राजीव गांधी ने ही इसे आरम्भ किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज केवल राज्य स्तर का मन्त्री ही नहीं बल्कि एक पूर्णरूपेण मन्त्री को कल्याण मन्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यों की देखरेख करेगा।

आज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल मौजूदा संख्या 21.46 प्रतिशत है। महोदया, 43 वर्षों के प्रयासों के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि हम उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं ला सके। अन्य समुदाय भी विशेषत: विमुक्त जाति और घुमन्तु जनजातियां यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जातियों अथवा अनुचित जनजातियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यद्यपि, मंडल आयोग ने सिफारिश की है कि इन समुदायों को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं मन्त्री महोदय तथा सभा को यह बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन तथा हमारी जाति के लोगों का बचपन बर्बाद हो गया। क्या यह सभा अथवा कोई सरकार उनके बचपन को वापस लाने के बारे में सोचती है ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें? ऐसा सम्भव नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए तथा वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। कल श्री भारतीय ने कहा था कि वह कांग्रेस के शासन से बड़े अप्रसन्न थे। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम हमने शुरूआत तो की थी। यह आशा मत कीजिए कि समयबद्ध कार्यक्रम से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। परन्तु कम से कम हमने प्रयास तो किया था। मेरे विचार से श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि उन्होंने 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। क्या मैं उन्हें बता सकता हूं कि इस अवधि के दौरान चीनी मिल के मुख्य प्रोत्साहक हरिजनों को लाइसेंस देने के बजाए सवर्ण जाति के लोगों को लाइसेंस दिए गए? उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त करने के बाद भी आपके हरिजन भाइयों को लाइसेंस के लिए मना कर दिया गया। इसकी जांच के लिए हमारे लोगों के पास समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : कौन? किस के समय में रिजेक्ट किया गया?

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ : सभा के माननीय सदस्य श्री टी० एन० सावंत।

[हिन्दी]

हमने किया तो आप दुरुस्त कर सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम दुरुस्त करेंगे। आपका एम० पी० था, आपने रिजेक्ट किया था, अब हमको क्यों दोष देते है? (व्यवधान)

श्री उत्तम राठौड़ : हाल ही में विगत डेढ़ महीने के दौरान इस विशेष समुदाय के क्षेत्र में कमी करके इसे कुछ अन्य समुदायों के साथ जोड़ दिया गया और इस प्रकार लाइसेंस रद्द कर दिये गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे। दूसरे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जाली प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसके सम्बन्ध में भी आप कार्यवाही करेंगे? उच्च न्यायालय में उनकी अपील दो वर्षों से विचाराधीन है। मेरे विचार से अब यह समय आ गया है कि कल्याण मन्त्री ऐसे मामलों पर विचार शुरू करें तथा राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में तुरन्त निर्णय देने के आदेश दें ताकि उचित व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह सकें और अनुसूचित व्यक्तियों को, जिनके पास जाली प्रमाणपत्र जिन्हें उन्होंने गलत तरीके से प्राप्त किया है, लाभ न मिल सके। कल्याण मन्त्रालय द्वारा जाली प्रमाणपत्रों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कुछ समय पहले श्री अरविंद नेताम ने बताया है कि पांचवीं अनुसूची की पांच जनजातियों की देखभाल उचित ढंग से नहीं की जाती है। मैं पांचवीं अनुसूची के जनजाति के लोगों के, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, आंकड़े जानना चाहता हूं। आपको मालूम हो जाएगा कि इन पदों पर अधिकांश लोग छठी अनुसूची के जनजाति के लोग हैं। पांचवीं अनुसूची के बहुत कम जनजाति के लोग इन पदों पर हैं। वह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उन्हें अनुसूचित जनजाति नहीं समझा जाता है। महोदया, अब समय आ गया है कि वे इसकी आंच करें और पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जनजातियों पर अधिक ध्यान दें। इस सम्बन्ध में कुछ जवाबदेही होनी चाहिए।

श्री रामधन भी इसके सम्बन्ध में बोले थे। मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में कुछ कार्यवाही की जाएगी। मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आपको श्रेय मिल रहा है। परन्तु हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों, जनजातियों, दलितों, पिछड़ी जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों, जो आपसे आशा कर रहे हैं, के साथ न्याय किया जाना चाहिए।

अब मैं कुछ बातें मण्डल आयोग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश मण्डल आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है, मैं इसके लिए 1980 से संघर्ष कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो माननीय सदस्य मेरी सहायता करते थे वे आज कल्याण मंत्रालय के प्रभारी मन्त्री हैं। कृपया और अधिक प्रतीक्षा मत कीजिए। हमारे बच्चों की शिक्षा की आयु समाप्त हो रही है। उनके लिए कोई कार्य किया जाना चाहिए, उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा अपने आपको किसी रोजगार के योग्य बना सकें। इसमें विलम्ब मत कीजिए, कौन जानता है कि यह सरकार भी गिर सकती है और हम पुनः अवसर खो सकते हैं। श्री रामधन ने स्वयं ही कहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए हमने दो बार सोचा परन्तु दोनों बार सरकार गिर गई इसलिए मुझे आशंका है कि ऐसा तीसरी बार भी हो सकता है। मुझे आशा है कि अब ऐसा नहीं होगा तथा वे कम से कम आगामी मानसून सत्र में इस पर विचार करेंगे।

कल माननीय सदस्य भारतीय ने अनेक बातें कही थीं। मुझे इस बात से दुख था कि उन्होंने प्रो० रंगा जैसे वरिष्ठ और महत्वपूर्ण सदस्य की आलोचना की थी। एक समय हम सब युवा थे जैसा कि खलील जिब्रान की कहानी में बताया गया है— जब आप सुबह को अपनी परछाईं देखते हैं तो अपने आपको लम्बा समझते हैं परन्तु दोपहर बाद जब आप अपनी परछाईं देखते हैं तो आपको अपने छोटेपन का एहसास होता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उनकी आयु के हिसाब से यह सही थी परन्तु इसका दोबारा उल्लेख मत कीजिए। उन लोगों पर आरोप मत लगाइए जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिए

[श्री उत्तम राठौड़]

संघर्ष किया और जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछली सरकार पर कीचड़ उछालने का प्रयास मत कीजिए। हमने पर्याप्त कार्य किया है। स्वतन्त्रता के 43वें वर्ष में हमें और अधिक सौम्य होना चाहिए। हम सब पचास वर्ष से अधिक आयु के हैं।

[हिन्दी]

कुछ तो हममें सौबराइटी आनी चाहिए। यह कहना कि यह गवर्नमेंट अच्छी है, वह गवर्नमेंट खराब थी, तो फिर कौन-सी गवर्नमेंट कैसी है, इसका आप फैसला करने वाले कौन हो।

[अनुवाद]

नौकरशाही के सम्बन्ध में श्री रामधन भी अनेक बातें कहते हैं। मैं नहीं जानता कि जब वह सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने इस मामले को उस समय क्यों नहीं उठाया था।

सभापति महोदय : श्री नानी भट्टाचार्य।

श्री हरीश रावत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब समय बढ़ाया गया था तो हमने समझा कि हमारे पक्ष के सदस्यों को बुलाया जाएगा परन्तु सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य अधिकांश समय ले रहे हैं। हमने केवल सोलह मिनट लिए हैं तथा हमारे तीन सदस्य शेष रह गए हैं। कृपया उन्हें भी बुलाइए।

सभापति महोदय : आपने समय निर्धारित किया है। मेरी किसी दल को छोड़ने की नीति नहीं है। मैं अपने स्तर पर यथा सम्भव अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान कर रही हूं। मैं दोनों पक्षों से अपील कर रही हूं।

श्री हरीश रावत : बढ़े हुए समय में से हमें केवल सोलह मिनट दिए गए हैं।

सभापति महोदय : मैं जानती हूं कि कौन से दल नहीं बोले हैं, उन्हें समय दिया जाएगा।

अब श्री नानी भट्टाचार्य बोलें।

श्री हरीश रावत : मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, कृपया उन्हें भी बुलाइए।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदया, सबसे पहले मैं इस संविधान (68वें संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, इसके लिए मैं इस सरकार विशेषत: श्री राम विलास पासवान को, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, धन्यवाद देता हूं।

4.00 म० प०

यदि हम विधेयक के उपबन्धों को पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध कतिपय सुरक्षोपाय तथा कल्याणकारी उपाय किये गये हैं तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। महोदया, हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में भली भांति जानते हैं। उनके ऊपर···

सभापति महोदय : सदन शान्त प्रतीत होता है।

श्री नानो भट्टाचार्य : महोदया, उनका अत्यन्त शोषण किया जाता है, उन पर भीषण सामाजिक अत्याचार किया जाता है। हम यह सब जानते है। कल मैंने उनकी दयनीय स्थिति के बारे मे अपनी भावना व्यक्त की थी। पिछले शासन अर्थात् कांग्रेस शासन में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ उपाय किये गये थे परन्तु उनसे कोई सफलता नहीं मिली। जैसा कि आप जानते है कि कांग्रेस शासन के दौरान हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर सवर्ण जाति के लोगों ने अत्यधिक अत्याचार किये थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अनेक वायदे किये गये। जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हरिजनों, दलितों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की सामूहिक हत्या होती थी। ये दृश्य दिखाई देते थे। एक बार कांग्रेस सरकार ने इन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का प्रयत्न किया। यदि आप हमारे पर बारीकी से विचार करें तो आप यह समझ जाएंगे कि उन्होंने ऐसे उपाय किये थे जो केवल कागजो पर ही रहे, उन्हें व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ऐसा प्रतीत होता है कि हम कक्षा मे बैठे है। कृपया आप शान्त हो जाइए।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदया, कृपया कक्षा का अपमान मत कीजिए। हम उससे कुछ बेहतर है।

श्री नानो भट्टाचार्य : इसलिए जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो को संरक्षण देने और अधिकारियो तथा पुलिस की सांठगांठ से सवर्ण जाति के लोगों के अत्याचारों को रोकने का संबंध है, विगत सरकार बुरी तरह असफल रही है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु इस विधेयक में अनेक बातें रह गई है।

मैं इस विधेयक का विशेषरूप से इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अब एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जायेगा। यह आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। जाहिर है, मंत्रिमंडल जो राष्ट्र की इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, को पर्याप्त अवसर होगा कि वह राष्ट्रपति को इस आयोग की शक्तियों, कार्यकरण और अन्य कर्तव्यों के संबंध मे सलाह दे जिनका कि विधेयक मे उल्लेख नही है।

मैं सदन का ज्यादा समय नही लूंगा क्योंकि मैंने केवल दो मिनट का समय मांगा था और दो मिनट पहले ही पूरे हो चुके है। अतः, मैं फिर श्री पासवान जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं यह समझता हूं कि यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाये और यदि राष्ट्रीय आयोग सही प्रकार से कार्य करे तब निश्चित रूप से हम अपनी जनता के पददलित वर्ग को कुछ लाभ दे पाएंगे।

सभापति महोदय : अब श्री सुल्तानपुरी बोलेंगे और उसके बाद श्री अमल बोलेंगे।

श्री ओ० एम० अब्राहम (पोन्नानी) : पार्टी के अनुसार मुझे मात्र एक मिनट का समय मिलेगा।

सभापति महोदय : मैं आपको समय देने के लिए अपनी ओर से हर सम्भव प्रयास करूंगा, यदि सभी सदस्य पांच मिनट का ही समय लें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : यह सभी पार्टी दृष्टिकोण से बोलेंगे लेकिन, मैं गैर-पार्टी दृष्टिकोण से कुछ मिनट के लिए बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मैं इस बात पर गौर करूंगा कि असम्बद्ध वक्ताओं को भी इसमें शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, जो कमीशन संबंधी बिल श्री राम विलास पासवास ने इस सदन मे पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस बिल की मंशा है, उसमें खास तौर पर यह नहीं बताया गया कि इस कमीशन को क्या अधिकार होंगे ? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पहले भी शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राईब्स के लिए कमीशन बनाया गया था और कमिश्नर भी बनाया गया, उसके अधिकारों में, जैसे यहां कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए, यह बात साफ हुई कि उस कमीशन का कोई फायदा नहीं हुआ। इस पार्लियामेंट के अन्दर भी संसदीय समिति है जो अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई है। उसकी जो रिकमैंडेशन आज तक हुई है वह एम्प्लीमैंट बिल्कुल नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह कमीशन बनाई गई है और इस कमीशन को पूरे अधिकार देने की बात है तो इसको अधिकार दिए जाने चाहिएं। इसके साथ-साथ जो राज्य हैं, वहां भी राज्य कमीशन होना चाहिए। राज्यों में जब तक यह नहीं होगा और सैंटर का कोई अधिकारी यदि वहां पर मुकर्रर करके भेजेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उसको हर जिले में जाना पड़ता है। मैंने देखा है घूमकर, यह बात साफ आई है कि जहां-जहां हरिजनों पर अत्याचार, ज्यादतियां होती हैं उसका वे फैसला नहीं कर सकते और इस कारण वे बेचारे बेबस हो जाते हैं। यहां पर कई लोग बहुत-सी बातें करते है कि हम हरिजनों के बड़े भक्त हैं, हरिजनों और आदिवासियों को उठाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। मगर मैं जानता हूं कि हरिजनों पर किस तरह से ज्यादतियां करते हैं।

4.0 अ० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां आरक्षण के बारे में ऐजीटेशन करते है, कौन तबके हैं, कौन लोग है जो उनको रीक्रूट्मेन्ट देते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं ? जहां तक हरिजनों का ताल्लुक रहा है, हरिजन गांवों में ईंट बनाते है लेकिन शिला पूजने वाले हरिजनों को वहां दाखिल नहीं होने देते। वे लोग पत्थर भी तोड़ते हैं, मकान भी बनाते हैं, दूध भी निकालते हैं लेकिन दूध का मजा कोई दूसरा लेता है। इस तरह से हरिजनों के साथ हमेशा अत्याचार होता चला आ रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हरिजनों को ऊपर उठाने की बात करते हो तो कौंसिल आफ स्टेट में भी इनका कोटा रखिए। असेम्बलियों में और पार्लियामेंट में तो आपने इनके लिए कोटा रखा हुआ है, लेकिन राज्य सभा में भी इनके लिए कोटा रखिए।

बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास किया और विभिन्न स्थानों पर उनके लिए रिजर्वेशन कोटा रखा, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया

गया है। विभिन्न जगहों में उनके लिए आरक्षित स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। आप सारा दोषारोपण हमारी पार्टी पर डालते हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर उस तरफ गए हैं वह भी आज यह कह रहे हैं कि उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं हुआ है। वे लोग जनता से वादे करके यहां पार्लियामेंट में आए हैं लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं। आज इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। श्री राम विलास पासवान जी जो यह बिल लेकर आये हैं इसका मैं समर्थन करता हूं।

विभिन्न स्थानों में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, न्यायालयों में, नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जो वैकलॉग है, उसको आप पूरा करें। जहां-जहां पर उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, उसको दूर करने के लिए आप प्रयत्न करें।

मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार केवल भाषण देने के लिए ही है। इस सरकार के मिनिस्टर भी यह कहते रहे हैं कि यह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। आप राज्य सरकारों को निर्देश दें कि जहां कहीं भी इनके साथ अनजस्टिस हुआ है, उसको आप दूर करें। ऐसा करने के बाद मैं समझता हूं कि इस कमीशन का कुछ फायदा होगा वरना यह कमीशन केवल कागजों में ही रहेगा। इसके अलावा उसको पावर-फुल अधिकार दें। इतना ही मुझे कहना है। आशा है जो-जो प्वाइंट मैंने रेज किए हैं, उनको पूरा करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे।

श्री सन्तोष भारतीय (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था। माननीय सदस्य श्री उत्तम राठौड़ ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि मैंने अपने भाषण में श्री रंगा जी के ऊपर आक्षेप किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे क्योंकि वह स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं और उन्होंने बहुत लम्बी जिन्दगी व्यतीत की है। मेरा निवेदन है कि मैंने कल माननीय रंगा जी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया। मैंने सिर्फ कल रंगा जी के लिए यह कहा था कि आप एक पीढ़ी के प्रतीक हैं, आप एक व्यवस्था के प्रतीक हैं और जिस व्यवस्था ने हमको ऐसा हिन्दुस्तान दिया है उस हिन्दुस्तान में जनजातियों, हरिजनों और आदिवासियों आदि किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अगर हम किसी को किसी का प्रतीक बनाते हैं तो किसी बड़ी हस्ती को ही बनाते हैं। इसलिए मैंने माननीय रंगा जी को उस व्यवस्था का प्रतीक बनाया जो चालीस साल से इस देश में चल रही थी। मैं आदरणीय रंगा जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। वह इस सदन के सबसे आदरणीय सदस्य हैं। मैं यह स्पष्टीकरण व्यक्तिगत तौर पर दे रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से उनकी इज्जत एक चीज है लेकिन जिस व्यवस्था के पक्ष में वह आज खड़े हैं, जिस अन्याय और अत्याचार के पक्ष में खड़े हैं, उसका प्रतीक उनको बनाना और इतनी बड़ी हस्ती को इतना बड़ा सम्मान देना कोई कम बात नहीं है। इसमें मैंने कोई आक्षेप उन पर नहीं लगाया है। इतना ही मुझे कहना है।

श्री छवि राम अर्यल (मुरैना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 65वां संविधान संशोधन विधेयक जिसमें अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए शक्तिशाली आयोग गठित करने का प्रावधान है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करती है। इस बिल का सभी तरफ से समर्थन हुआ है और यह बहुत साहसिक कदम है। इससे पूर्व राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने पालिटिकल रिजर्वेशन का बिल पास किया था और उसका भी हमने समर्थन किया था।

राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में बाबा साहिब अम्बेडकर की प्रतिमा लगायी और उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित करके एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। इसके

[श्री छवि राम अर्गल]

लिए मैं राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को और अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात का रेडियो, टेलीवीजन पर यह प्रचार किया कि हमने राजनैतिक आरक्षण सर्विसेज में आरक्षण के कोटे को 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय संविधान के आर्टीकल 335 में सर्विसेज के आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन उसमें कोई समय सीमा नहीं है और यह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने भारी गलती की है और इस बात को सरकार को सारे राष्ट्र के सामने जाहिर करना चाहिए कि सर्विसेज में कोई समय सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टीकल 338 में "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान के अधीन उपबंधित, रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन रक्षोपायों के कार्यकरण के संबंध में ऐसे अंतरालों पर, जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। इस अनुच्छेद में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।" इसमें संशोधन करके एक शक्तिशाली आयोग बनाने का सरकार का विचार है। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होगा और तीन सदस्य होंगे··

उपाध्यक्ष महोदय : सब चीजें मालूम हैं···

श्री छविराम अर्गल : मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो एस० सी० एस० टी० कमिश्नर था उसने केवल पोस्ट आफिस का काम किया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई गईं, इन योजनाओं का भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक में 30.04 करोड़ रुपये खर्च किये गये, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961 तक 79.41 करोड़ रुपये खर्च किये गये, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 1966 तक 100.40 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 1969 से 1974 तक 172.70 करोड़ रुपये खर्च किये गये, 1974 से 1978 तक 296.19 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 1980 से 1985 तक 1337.21 करोड़ रुपये खर्च किये गये। यह सारी की सारी राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रही, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर खर्च की गई है। कुछ राशि भ्रष्टाचार में गई तथा कुछ सरेन्डर की गई। आखिर दृष्टि से जो पिछड़े हैं, जिनमें राजनैतिक चेतना का अभाव है और सोशली जिनका स्तर गिरा हुआ है, उनकी स्थिति सुधारने के लिए भारतीय संविधान में कुछ उपबन्ध किये गये हैं। आर्टीकल 341 में पंजीबद्ध किया है। उनका पुनः सर्वे कर जिले में जो जातें हैं उसको पूरे प्रदेश में माना जाए। सूरजभान कमेटी की रिपोर्ट पर अमल किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करूंगा कि ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए एक बीस अरब रुपये के दरिद्र नारायण कोष की स्थापना की जाय जिससे जो भारतीय संविधान में यह वायदा किया गया था कि हम पिछड़ी जातियों को 10 वर्ष में बराबर की स्थिति में ला देंगे, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से चार दशकों में कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि कोई विकास नहीं किया है, इनके लिए कोई काम नहीं किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से, उन्होंने एक वर्ष का समय मांगा है, हम इनको 5 वर्ष का समय देना चाहते हैं पर ऐसा नहीं हो कि राम विलास जी, आप भी उधर बैठते थे तब कहते थे, अब कुर्सी पर बैठ जाने के बावजूद आपकी कहीं कुर्सी घूमने लग जाय और एक वर्ष तो क्या आप पांच साल में भी

इस कार्य को पूरा नहीं कर पायें।

आरक्षण की स्थिति यह है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की किसी भी कैटेगरी में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है···

उपाध्यक्ष महोदय : अर्गल जी, इसके बारे में सारी चर्चा हो गई है। जो पहले कहा जा चुका है उसको आपको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है।

श्री छविराम अर्गल : अनुसूचित जाति में प्रथम श्रेणी में 4.95, द्वितीय श्रेणी में 8.4, तृतीय श्रेणी में 13.44 और चतुर्थ श्रेणी में 19.46 परसेण्ट है। आदिवासियों में प्रथम श्रेणी में 1.29, द्वितीय श्रेणी में 3.90, चतुर्थ श्रेणी में 5.38 परसेण्ट है दलितों को जब तक आप ऊपर नहीं उठाएंगे, जो सोशली पीड़ित हैं, जब तक इनकी माली हालत सुधारने के लिए रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं करेंगे तब तक आप इनका भला नहीं कर सकते हैं। आज चार दशक में रिजर्वेशन की ओर कतई कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पी० एस० सी० और यू० पी० एस० सी० शार्ट टर्म ट्रेनिंग की पोस्टों पर तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह डिजर्विंग केण्डीडेट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी एक पोस्ट खाली हो तो वह पोस्ट सीधी अनुसूचित जाति को जरूर मिलना चाहिए। आरक्षण के पिछले बैरिडफार्ड को पूरा करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक-दोपोस्ट्स अगर खाली हों, तो रोस्टर के मुताबिक शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वह लाभ नहीं मिलता है, बल्कि उसको इग्नोर किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति के लिए जो लोग जाते हैं, उनको पदोन्नति के अवसर दे दिए जाते हैं और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को वंचित कर दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन सारी की सारी खराबियों को दूर करने के लिए आपको विचार करना होगा। जिस प्रकार शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट को सन् 1988-89 में कांग्रेस सरकार ने नहीं रखा, ताकि उस पर चर्चा ही न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)···कमजोर वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को और दलितों को उन्नति के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। जहां तक कानून का सवाल है, कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, जिससे कानून का उनको कोई फायदा नहीं होता है।···(व्यवधान)···मैं कहना चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट सन् 1988, 1989 की उस सदन में पेश नहीं की तथा कांग्रेस की सरकार ने उस पर चर्चा नहीं कराई। कांग्रेस का इस वर्ग के प्रति कतई ध्यान नहीं है। अपोजीशन के नेता माननीय राजीव गांधी जी अगर चिन्तित होते तो वे यहां सदन में उपस्थित होते। उन्हें कतई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्ता नहीं है, वे सचेत नहीं है और अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, वे भी यहां नहीं है, उनको भी यहां रहना चाहिए था।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए। पहले वाला बिल और यह दूसरा बिल, दोनों एक ही साथ चर्चा के लिए लिए गए हैं। यदि कोई ऐसा प्वाइंट हो, जो आप बताए नहीं है, वह बताइए। रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये दोनों बिल एक साथ लिए गए हैं। आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कीजिए।

श्री छविराम अर्गल : मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या जो पहले 23 परसेंट थी, अब वह 26 परसेंट हो गई है।

[श्री छविराम अर्गल]

हमारे विधान सभा में, लोक सभा में, राज्य सभा में, विधान परिषदों में उनके सचिवालयों में व तथा राजदूतों व राज्यपालों में उनकी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है। मैं सभी दलों के नेताओं से कहना चाहूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें। माननीय राम धन जी ने कहा कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है, जिसने एस० टी० एस० सी० का कैंडिडेट भेजा हो, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जिसने दो लोगों को उ० प्र० से श्री संघप्रिय गौतम और बिहार से श्री पासवान—राज्य सभा में भेजा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों का अगर कोई हितैषी दल है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। मैं सभी दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे इन सारे सवालातों पर विचार करें और गौर करें कि इस देश में ऐसी भी कुछ ताकतें हैं, जो फिरकापरस्त और साम्प्रदायिक भावना पैदा करना चाहती है। जमायत-ए-इस्लामी और जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये ताकतें विदेशों से धन प्राप्त करती हैं, तथा धर्म परिवर्तन कराती है इसकी जांच होनी चाहिए और इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तथा उनके एकाउन्ट का आडिट होना चाहिए (व्यवधान) इस देश में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के हितों के लिए काम किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

जितने भी छोटे-छोटे उद्योग हैं और छोटी-छोटी इकाइयां हैं, उनमें जनजाति की घटी का भी ख्याल करना चाहिए। तथा बैंकों को निर्देश दिया जाए कि उन्हें ऋण की सुविधा प्रदा। की जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ आगे कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अरविंद नेताम (कांकेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पासवान जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय पासवान जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है कि कमीशन को ताकत दी जाएगी, लेकिन मुझे यह नहीं लगता है कि इस बिल के माध्यम से कोई ताकत कमीशन को मिलती हो। अगर कोई ताकत दे रहे हो तो मैं उसका समर्थन करता हूं और उत्साह के साथ मैं माननीय पासवान जी को एक बात के लिए बधाई देता हूं कि नीयत में कोई शंका नहीं है। सवाल यह है कि इस देश में जो नौकरशाही व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, आप उनको कितनी भी ताकत दे दीजिए, वह सब बेकार जाएगी। इस बात को श्री राम धन जी ने भी कहा है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। स्टेटों में या तो आप राज्यों की सरकारों पर निर्भर हैं या अपने फील्ड स्टाफ पर। इसके कारण भी आपकी समस्या है। इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? जब तक आप इनको मजबूत नहीं करेंगे तब तक कमीशन का काम अधूरा रह जाएगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात भी सोचने की है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसरों और कर्मचारियों के बहुत से मसले हैं जिनके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाइए जिनसे कि उनके मसले हल हो सकें।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कमीशन का राजनीतिकरण न हो।

इसको राजनीति से ऊपर रखने की आप कोशिश करें ताकि आने वाले समय में किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कमीशन का काम ठीक तरह से चलता रहे।

आज मैं यह चाहूंगा कि यह जो आयोग आप बना रहे हैं इसको मजबूत बनाइये। यह न हो कि इसमें आप संख्या बढ़ा दें। मैं चाहूंगा कि यह ठीक ढंग से चले तभी मैं आपके इस प्रयास को सफल मानूंगा। इतना ही मेरा कहना है।

कुमारी माया वती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस 68वें संविधान संशोधन विधेयक 1990 का अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करती हूं। मैं माननीय मन्त्री जी का जिन्होंने अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक जो अभी पास हुआ है उसमें मैंने जो सुझाव रखा था जिसको कि हमारे माननीय मंत्री जी ने मान लिया है कि "बौद्ध" से पहले "सिख" शब्द जो लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया है। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं।

इस 68वें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अपने कुछ सुझाव देना चाहती हूं। यह 65वां संशोधन विधेयक तो बहुत अच्छा है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अंग्रेजों के जाने के बाद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में बहुत से एक्ट बने और बहुत से संशोधन हुए। लेकिन अगर उन पर अमल नहीं होगा तो उनका फायदा इन जातियों को नहीं होगा।

मैं पूरे सदन के सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहती हूं। पूरे सदन के ध्यान में मैं यह बात लाना चाहती हूं कि 25 मई को मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के सिलसिले में दिल्ली विट्ठल भाई पटेल हाउस के प्रांगण में चौधरी ब्रह्मप्रकाश के नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें 25 मई को जनता समाज पार्टी की ओर से हमारे प्रेजीडेंट भी गए हुए थे। चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को भी बुलाया था और उन्होंने आने का आश्वासन दिया था। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के आने के बजाय—यह बात मैं पूरे सदन के सामने रखना चाहती हूं जो कि इस विधेयक के इम्प्लीमेंटेशन पर भी लागू होती है—एक लेटर लिखकर चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी को भेजा और उन्होंने वह पत्र पढ़कर उस सम्मेलन में सुनाया। मैं वहां उस समय मौजूद थी। उस पत्र में लिखा था कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के पहले उसकी जांच की जाएगी। जब इस सिलसिले में हमारे प्रेजीडेंट ने यह कहा कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने चुनाव के दौरान मेनिफेस्टो में पहले यह कहा था कि हमारी सरकार बनते ही मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। अब आप उसी पर जांच करने की बात कह रहे हैं तो यह बात माननीय प्रधान मंत्री जी तक पहुंची और उन्होंने वह पत्र बदल दिया। दूसरा पत्र लिखा कि हम दो-तीन हफ्ते में या जल्दी ही मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह अब एक घंटे के अन्दर मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए वो स्टेटमेंट दे सकते हैं तो यह ऐसा इस विधेयक के साथ न हो जाए और मैं श्री रामधन जी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि यह जो विधेयक है, इसको वैलफेयर मिनिस्ट्री से अलग रखा जाए। मैं उनको बताना चाहती हूं कि जिन्दगी के हर पहलू में जब हम सदन में चर्चा करते हैं तो उसका किसी न किसी मिनिस्ट्री से ताल्लुक जरूर होता है। यदि हम उस को वैलफेयर मिनिस्ट्री से अलग मानकर चलेंगे तो मैं समझती हूं कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में नहीं होगा। यह तो वैलफेयर मिनिस्ट्री का अंग रहना चाहिए और इसको पूरी पावर देनी चाहिए और उस पावर के साथ अनुसूचित जाति

[कुमारी मायावती]

और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी पूरी पावर देनी चाहिए कि वे गरीबों का, मजदूरों का भला कर सकें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय मंत्री जी, जो यह बिल लाये हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्र के व्यापक हित में इस बिल के द्वारा मेरा संशोधन रखा गया है। मैं सदन का अधिक समय न लेकर, पासवान जी जो यह बिल लाये हैं, उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी देर से इन्तजार कर रहा था। आपने बड़ी कृपा की जो मुझे भी इस संविधान संशोधन विधेयक पर कुछ शब्द कहने का अवसर दे दिया। मान्यवर, मैं कल भी बैठा था, जब श्री पासवान इस विधेयक को पेश कर रहे थे और उनके समर्थन में, उन्हीं की पार्टी की एक माननीय सदस्या भारती जी का भी भाषण मैंने सुना। उनके भाषण को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उनके अन्दर व्यापक क्षोभ है। उनको यह लग रहा है कि 43 साल की आजादी में अभी तक हरिजनों के लिए, जो पिछली कांग्रेस सरकार रही, उसने कुछ किया ही नहीं। मुझे उनकी सोच पर, और बुद्धि पर तरस जरूर आया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि आखिर 43 साल जो पिछली सरकार रही, उसका इतिहास उन्होंने जाना कि नहीं। पिछली सरकार ने जो कुछ किया, उसको समझने की उन्होंने कोशिश की या नहीं की।

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर मंत्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है, कमीशन को बदल कर एक व्यापक अधिकार सम्पन्न कमीशन को बनाने के लिए, यह कमीशन क्या पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया था और क्या इस बात को जानकर नहीं बनाया था कि केन्द्रीय सर्विसेज में, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के अनुसार जगह नहीं मिल पा रही है, कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है? इसीलिए तो कमीशन बनाया गया था। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया और हमारी बहन ने भी सुझाव दिया है कि बहुत से कानून बने हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, उन लोगों के लिए जो दबे-कुचले रहे हैं, उन लोगों को जिन्हें गुलाम बना करके रखा गया, उन लोगों के लिए जिन्हें कोई अधिकार नहीं थे, जो सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से दबे और पिछड़े थे, उनके लिए बहुत कानून बने, लेकिन उन कानूनों के तहत अभी पूरा काम नहीं हुआ है। तो आखिर कौन लोग वहां पर लगाए गए हैं? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो अभी सरकार बनी है, उस सरकार को बने 6 महीने हो गए हैं, क्या इन 6 महीनों के अन्दर आरक्षण के विरोध में जातीय आंदोलन देश के कई हिस्सों में, कई प्रदेशों में नहीं हुए। (व्यवधान)

कौन जिम्मेवार है, क्या यह सरकार जिम्मेदार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने, जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे पं० जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार रही हो, इंदिरा जी की सरकार रही हो या राजीव जी की सरकार रही हो, इन सरकारों ने अनुसूचित जाति-जनजाति को आरक्षण की सुविधा देने के लिए और अन्य सुविधाएं देने के लिए, इनके सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सम्पन्नता के लिए बहुत काम किये है। यह बात सही है कि कुछ विरोध पक्ष में बैठे हुए लोग, जो गांवों में रहते हैं, सामन्ती प्रकृति के हैं, सामन्तों का समर्थन करते है, वे लोग हरिजनों की जड़ें काटते हैं और उनको जो कानूनी मदद मिलनी चाहिए, सरकारी मशीनरी पर प्रभाव डालकर उस मदद को नहीं मिलने देते। ये लोग

इसके लिए जिम्मेदार हैं। पिछली कांग्रेस सरकारों ने सेवाओं में, केन्द्र में या प्रदेशों में सेवाओं का आरक्षण पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किया। अनुसूचित जाति-अनजाति के लोग जो पदों पर थे, उनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया, ताकि वे बड़े पदों पर पहुंच सकें, परन्तु इस काम में अवरोध पैदा किया गया और अवरोध पैदा करने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने उप प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, इनका स्टेटमेंट अखबार में छपा है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं सारी बातें बता सकूं। जब 10 साल आरक्षण बढ़ाने का सवाल आया तो उसका विरोध करने वाले कौन थे, कौन आंदोलन करवा रहे थे, ये बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीलाल जी जो इस देश के उप प्रधान मंत्री हैं, इन्होंने सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था कि अब हरिजनों को आगे आरक्षण नहीं देना चाहिए। (व्यवधान) जब हरिजनों के लिए यह काम हो रहा है, कानून बनने के बाद भी हरिजनों से सम्बन्धित कामों को पूरा नहीं किया गया तो इसके जिम्मेदार ऐसे समाज विरोधी लोग रहे हैं, जो जाति पर आधारित घृणा-द्वेष रखने वाले समाज में लोग हैं, जिनके कारण कुछ नहीं हो सका है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो संविधान संशोधन आया है, इसमें हमारे मन्त्री जी और आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्री रामधन जी, वे भी संतुष्ट नहीं लगते हैं, मुझे लगता है कि दबाव डालकर साधिकार कमीशन बनाने की बात तो इन्होंने मनवा ली है, लेकिन अपने मन-मुताबिक अधिकार सम्पन्न इसको ये बना पाएंगे, इसमें सन्देह है, क्योंकि खुद बार-बार संशोधन ला रहे हैं, हाउस में संशोधन ला रहे हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि ये दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जो अगल-बगल बैठे हुए लोग हैं, मन्त्रिमण्डल में जो लोग बैठे हैं, इनकी पूरी बात ये नहीं मान रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी हालत रही तो इस कमीशन के बनने के बाद क्या होगा, क्या ये हरिजनों को कुछ दे पाएंगे, उनकी क्या गरीबी मिटा पाएंगे, छुआछूत की भावना जो दूर-दराज गांवों में है, उसको दूर कर पाएंगे और जो पिछड़े हुए लोग हैं, क्या उनका पिछड़ापन ये दूर कर पाएंगे, इन बातों में मुझे संदेह है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन संदेहों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसको पास किया जाए। एक बार इनको भी देख लिया जाए, नये-नये आये हैं, इनको भी देख लिया जाए। कहीं ऐसा न हो कि जनता सरकार की तरह ये भी 2-3 साल ही बैठ पाएं और उसके बाद सारा मामला समाप्त हो जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्यारे लाल हान्डू (अनन्तनाग) : महोदय, आज एक संविधान संशोधन प्रस्तुत होना है। यह वह संविधान संशोधन है जो कि कानून के किसी अन्य संशोधन से भिन्न है।

प्रारम्भ में, मैं यह कहूंगा कि संविधान में संशोधनों को बढ़ाकर वर्तमान सरकार बहुत जल्दी में काम कर रही है। इस समय जो करने का प्रयास किया जा रहा है, वह है एक संवैधानिक अधिकार को दूसरे अधिकार से बदलना। पूर्व में, संविधान के अनुच्छेद 338 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रदान किये गये संरक्षणों की दिशा में उठाए गए कदमों को मूल्यांकन के लिए, विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसकी बजाए हम इसी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग बना रहे हैं। इस आयोग को एक स्वतंत्र अस्तित्व और प्रदान की गई सुरक्षा को, प्रभावी ढंग से लागू करने और उसकी निगरानी के अधिकार दिए बिना, मात्र नाम

[श्री प्यारे लाल हान्डू]

बदल देने से कोई अधिक लाभ होने वाला नहीं है। इस विधेयक को सदन के प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिला है। लेकिन, प्रत्येक वर्ग ने यह आशंका व्यक्त की है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। जब तक कि आप किसी एक अधिकारी को प्राधिकृत नहीं करेंगे, जैसे कि विशेष अधिकारी या आयोग जैसी कि श्री रामधन ने कल्पना की है, तब तक यह उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पायेगा। अतएव माननीय मंत्री से, जो इसके पक्ष में हैं और जिन्होंने वर्तमान विधेयक को अपने चुनावी घोषणा पत्र पर आधारित किया है, मैं अपील करूंगा कि वह गहराई से इस बात का अध्ययन करें कि किस प्रकार वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। यह सही है कि इस प्रकार के आयोग की कल्पना चुनावी घोषणा पत्र में की गई थी। लेकिन, जब तक सिद्धांत रूप से हम इन संरक्षणों को लागू करने की प्रक्रिया नहीं बना लेते, मात्र इस संवैधानिक प्रावधान से कुछ नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की कल्पना की गई है और उसके द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की भी व्यवस्था है। बिल्कुल यही कल्पना इस विधेयक में की गई है जो 3-खंड वाले पूर्व विधेयक का स्थान ले रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह वर्तमान अनुच्छेद, जो पिछले का स्थान ले रहा है, उसे पढ़कर हमें यह बतायें कि इसमें ऐसा क्या है जो कि अनुसूचित जातियों को न केवल निगरानी अपितु संरक्षण को लागू करने को भी सुनिश्चित करता है क्योंकि शिकायत यह नहीं है कि राष्ट्र के सामान्य कानून या संविधान में संरक्षण नहीं दिया हुआ है, अपितु शिकायत यह है कि इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। आरोप यह है कि या तो इसे सही प्रकार से लागू नहीं किया गया है या फिर इसके लागू करने की सही निगरानी नहीं की गई है। हम यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान कानून किस प्रकार से यह सुनिश्चित करेगा कि पिछली असफलता को जारी न रखा जाये और इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाये।

मैं युवा, गतिशील, ईमानदार और उत्सुक माननीय मंत्री से यह चाहूंगा कि वह दलित वर्ग को दिये गए संरक्षणों को लागू करने के लिए तंत्र बनायें। वह पूर्व अध्ययन, पूर्व निरीक्षण और पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यवस्था करें जिससे आगे गलतियां न हों।

यही मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर भाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में एक बात याद आ रही है कि इस चेयर पर 1975 में उपाध्यक्ष श्री गोरे मुरारी जी थे, उन्होंने मुझे आधा घंटा का समय दिया था, लेकिन आज समय नहीं होने के कारण आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे इसके साथ ही एक बात और याद आ रही है कि उल्लू पक्षी होता है उसको दिन में नजर नहीं आता और कौवे को रात को नजर नहीं आता, लेकिन कांग्रेस वालों को दिन और रात दोनों में ही नजर नहीं आता है। यही मुश्किल है। यह क्या बिल है, क्या नहीं, वह 1972 और 1975 के साल में भी जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस पर चर्चा नहीं हुई। बहस नहीं हुई और एक ही साल में अजब कर दिया। यह कमीशन था, वह निकल गया। इसलिए ये बिल लाये हैं और इसमें भी कमियां हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है। शैड्यूल्ड ट्राइब्स जो जंगल में रहता है और ग्रामीण स्थान में भी होता है लेकिन जंगल में होता है। शैड्यूल्ड कास्ट्स तो शहरी स्थान में होता है और ग्रामीण स्थान में भी होता है। शिक्षा के बारे में देखा जाये तो शैड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत ज्यादा है लेकिन शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कम है और यदि कोई

फंसा हुआ है तो वह शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी पिछड़ा हुआ है। इसलिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैं साठे साहब से माफी मांगता हूं कि एक जगह मैं सदस्य था, बड़ा थाना डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसमें घपला हो गया बड़े पैमाने पर। यहां केन्द्र से मंत्री आदिम जाति समाज कल्याण विभाग के वे जो जांच करने के लिए आये। उस वक्त बोफोर्स का मामला शुरू हुआ था और उनको ऐसा मालूम हुआ कि कांग्रेसी है तो वे बोले—अरे, जाने दो भईया, खाने दो। कांग्रेसी आदमी मेरे साथी थे, वे बोले कि बोफोर्स का प्रकरण है जो अच्छा है, वही बोल रहे थे। इसलिए मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि इस बिल के लिए पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। खुदा के दरबार में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि समाज कल्याण के लिए जोर दीजिये लेकिन इसको गृह मंत्रालय के साथ जोड़ने से ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। मैं दस साल तक विधायक था। समाज कल्याण और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी के साथ लगा रहा लेकिन जो दूसरी कमेटीज थीं, उनका इंतजाम अच्छा रखते थे लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी को पूछता नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समाज कल्याण के साथ-साथ न जोड़ने से गृह मंत्रालय के साथ जोड़ने से तगड़ा काम होगा और इस विधान के बारे में जो कमीशन बैठा हुआ है, उससे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का जोर हो जायेगा तो बहुत अच्छा हो जायेगा। यही मेरी मांग है।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मान्यवर, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में जो सामाजिक न्याय वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें जो समाज के केवल आर्थिक रूप से दबे हुए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से दबे हुए लोग हैं, जिनके कन्धों पर यह पूरा आर्थिक-सामाजिक ढांचा बना हुआ है, उसका बोझ पड़ा रहता है, उनके सम्बन्ध में यह कानून हम लोग लेकर आये हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स-शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन को स्टैच्यूरी स्टेटस दें, उसको अधिकार दें। उसमें आगे यह भी है कि भूमि सुधार 9वें शेड्यूल में आ जाये। कानून पहुंचा दिखता है लेकिन जरूरी नहीं मिलती। तो यह बड़ी भारी आशा है मेहनतकश लोगों की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की, वह इसके माध्यम से पूरी होने वाली है। गरीब का जो सवाल है, वह दलों का सवाल नहीं है। वह पार्टी का सवाल नहीं है और मुझे याद है कि जब भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो यहां लगी तो उस समय सभी दलों के लोगों मौजूद थे और उसी भावना से इन बिलों को लेने का हम अनुरोध और प्रार्थना करेंगे। हम अधिक समय नहीं लेंगे लेकिन यह जरूर अनुरोध करेंगे कि जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर आपको सरकार से कोई नाराजगी है, सरकार से कोई मतान्तर है, तो उस गुस्से को एक गरीब के हिस्से से न लिया जाये। सजा हमें दीजिये, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति का भाई आज गांव के अंदर है, वह इस सदन से और हमसे कुछ आशा करता है, उसके हिस्से पर तुषारपात न हो, यही मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसे जरूर आप लोग ख्याल करके कोई फैसला लीजिए।

श्री बलवंत खाते (बर्वानी) उपाध्यक्ष जी, हमने अभी प्रधानमंत्री जी का बड़ा भावपूर्ण भाषण सुना···(व्यवधान)···आप जरा धैर्य रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जरा धैर्य रखिये।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों को कम से कम वातावरण खराब करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन की मदद नहीं कर रहे है। कृपया शांत रहिये। कृपया सदन को सुचारु रूप से कार्य करने दीजिए।

श्री बसन्त साठे : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जहां तक इस देश के कमजोर तबकों के लोगों के हितों के रक्षण का सवाल है, मेरी मान्यता है कि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा जी, जिनको स्वयं हमारे प्रधानमंत्री··· (व्यवधान)··· जिनको स्वयं हमारे प्रधानमंत्री अपना नेता मानते हैं और जिनकी नसीहत और अनुकरण करके उन्होंने अपना जीवन बनाया है, मैं नहीं समझता कि कोई यह दावा कर सकता है कि वे लोग इस देश के कमजोर तबकों के समर्थन में किसी तरह से कम थे। सदन के सामने इस समय जो बिल लाया गया है, इसका हम बिल्कुल कतई विरोध नहीं करना चाहते, न कर रहे हैं, इसे हम रिकार्ड करना चाहते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, हम यह मानते हैं कि परमपूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सपना तो अभी पूरा हुआ जब नवबौद्धों को अधिकार देने के सम्बन्ध में पासवान जी इस सदन में आर्डर में संशोधन का बिल लाये, और जहां तक इनके कमीशन को और ज्यादा अधिकार देने का सवाल है, रामधन जी के नेतृत्व में, यदि कमीशन को और ज्यादा अधिकार मिलते हैं, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है तो हमसे ज्यादा और किसी को खुशी नहीं होगी यह भी हम कह देना चाहते हैं। (व्यवधान)

उसी तरह से हम मानते हैं कि भूमि सुधार कानून का इस देश के किसानों से, छोटे किसानों से ताल्लुक है, खासकर उन्हें इससे लाभ मिलने वाला है, ताऊ जी ने यहां जो दूसरा बिल रखा है और चाहते हैं कि उसे संविधान के नवें शैडयूल में लाया जाये, उसका भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, इसे भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उस पर भी हमारा किसी तरह का विरोध नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से यहां एक अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन में इतने दिनों से जो चर्चा है और वे भी जानते हैं कि इस देश में वे जिस तरह से उभरे, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, वह भ्रष्टाचार और बोफोर्स को लेकर ही हुआ है, यह सारा देश जानता है। बोफोर्स के ऊपर ही, आज उनकी जो कुछ इमेज बनी है, इस देश में, वह सिर्फ एक ही सवाल को लेकर बनी, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं, ठीक है, अच्छी बात है···(व्यवधान)···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यही चाहता हूं कि सरकार के प्रति अपने गुस्से को किसी बिन्दु से जोड़कर आप इस देश के गरीबों के साथ अन्याय मत होने दीजिये।

श्री बसन्त साठे : किसका गरीब के साथ क्या और कैसा रिश्ता रहा है, उसे हम अच्छी तरह जानते हैं। कारण यह है कि तगातार तीन वर्षों से इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के नेता का चरित्रहनन बोफोर्स का नाम लेकर किया गया। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : बोफोर्स के साथ गरीब को न जोड़ो। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : हम तो आपको रोक नहीं रहे हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था कि जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे, हर मामले में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हम दस-पंद्रह दिन के अन्दर सारे नाम बता देंगे, सारा चिट्ठा खोल देंगे। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : पंद्रह दिन क्या, आज तो 160 दिन हो गए, इतना सारा हो जाने के बाद आज तक नाम नहीं बताए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे सीक्रेट स्वीडिश गवर्नमेंट के पास हैं, हम स्वीडिश गवर्नमेंट से वे कागजात, वह ऑडिट रिपोर्ट लाने में असमर्थ रहे, यह हमारा आरोप था··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

मुझे समय दीजिए। मैंने पांच मिनट भी नहीं लिए हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री चौधरी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं और जिस पर मतदान करने वाले हैं, वह अनुसूचित जाति आयोग से संविधान संशोधन विधेयक है। मैं, यह जानना चाहता हूं कि अन्य बातें जैसे बोफोर्स और भ्रष्टाचार आदि का उल्लेख कैसे हो रहा है। यह टालमटोल का बहुत गलत तरीका है। मैं कांग्रेस (आई) दल को चेतावनी देता हूं कि इससे राष्ट्र के सामने उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पहले ही असली चेहरा सामने आ गया है।

श्री भोगेन्द्र झा : नियमों का उल्लंघन किया गया है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है ?

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि संविधान संशोधन विधेयक में विरोध इनको भी नहीं है, इसलिए इसको हम पारित कर लें और प्रधान मंत्री यहां मौजूद हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा कि बोफोर्स पर वे कुछ कहना चाहें, तो थोड़े में ही कह दें, बयान दे दें। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : प्रधान मंत्री जी, वह रिपोर्ट मिल गई है। आपने बड़ी कामयाबी हासिल की है, वह रिपोर्ट मंगाई है। मेरा कहना यह है कि वह रिपोर्ट यहां सदन के पटल पर रख दी जाए। आज हमें यह बताया जा रहा है, (व्यवधान)···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस पर अलग बात हो जाए और उस पर अलग बात हो जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जहां तक हमारी चर्चा के विषयों का संबंध है, यह पूर्णतः अप्रासंगिक है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदस्य सहमति जुटाने और एक-दूसरे की सहायता करने का

प्रयास कर रहे हैं। मैं यही समझ रहा हूं। परन्तु इसके साथ ही श्री साठे जानने वाले तार्किक और बलपूर्वक बात कही है। मेरे विचार से सदस्य यह कहने का प्रयास कर रहे हैं "हमें केवल इस बात से संबंधित विषय पर चर्चा करनी चाहिए।"

श्री ए० के० राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री ए० के० राय। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को सुन रहा हूं।

श्री ए० के० राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न बुनियादी बात पर आधारित है। आपको आगे की पंक्तियों में बैठने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य की बात पर अपना विनिर्णय देना चाहिए क्योंकि उन्हें सन्दर्भ से हटकर कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त है।

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, यदि आप विनिर्णय चाहते हैं तो अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं विनिर्णय दे रहा हूं। सभा के कार्य के हित में मैं आपकी बात रद्द नहीं करना चाहता था। हम सभा के कार्य का संचालन सदस्यों की सहमति के अनुसार कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि हमें प्रसांगिक विषय से सम्बन्धित बातचीत करनी चाहिए तो मैं समझता हूं कि आप अनुचित बात नहीं कर रहे हैं।

हमें इस पर विचार करना चाहिए तत्पश्चात सभा निर्णय कर सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आपने ढाई बजे का टाइम इसकी वोटिंग के लिए फिक्स किया है। अब हरिजनों की बात हो रही है उसमें बोफोर्स दलाली की बात कहां से आ गई? अगर बोफोर्स आदि की दलाली खाई गई, उसके बीच में ये गरीब आदमी कहां से आ गए? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री खुराना अध्यक्षपीठ से निर्णय करने का आग्रह करेंगे। मेरे निर्णय के अनुसार आपका व्यवस्था का प्रश्न उचित नहीं है।

[हिन्दी]

आप नहीं बोलेंगे तो मैं जल्दी पास करवा दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें संकेत दे दिया है। आप चर्चा के लिए निर्धारित समय में कमी कराने में सहायता नहीं कर रहे हैं। कृपया समझने का प्रयास कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : हमारा केवल इतना ही कहना है कि हमारे देश की सरकार और संसद किसी दूसरे देश की सरकार की गुलामी नहीं हो सकती, उनके हुकुम में नहीं रह सकती। सरकार का यह कहना कि स्वीडिश गवर्नमेंट की इजाजत नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे है। यह हमे मान्य नही है। अंग्रेजी में कहावत है···

उपाध्यक्ष महोदय : कहावत की जरूरत नहीं है।

श्री वसंत साठे : जो लोग बोफोर्स की वजह से पैदा हुए वे यह कहें कि ये कागज नहीं रखेंगे, यह हमें मान्य नहीं है। अभी भी यदि प्रधान मंत्री कह देते हैं कि वे स्पीकर साहब को कागजात देने के लिये तैयार हैं तो हम मानने को तैयार हो जाएंगे। अगर यह कहें कि हम इतना भी नहीं करेंगे तो यह हमे मान्य नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, एक मुद्दा माननीय साठे जी ने बोफोर्स के कागजात रखने के लिए उठाया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी बहस अलग से हो सकती है। आप समय दे दीजिए सरकार बहस कराने को तैयार है, पूरा सदन···(व्यवधान) लेकिन जो गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाई है उनका बोफोर्स में कोई हिस्सा नहीं है, इसकी चर्चा उसमें करने से उनको क्यों सजा मिले। पहले उनकी सेवा कर दीजिए फिर बोफोर्स की सेवा हम और आप करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : मुझे खेद है। यदि सरकार का यह दृष्टिकोण है तो हम वाकआउट कर रहे हैं।

5.05 म० प०

इस समय श्री वसंत साठे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री आर० सुधिया (पेरियाकुलम) : महोदय, हम अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ कषगम के सदस्य अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां विधेयक के पारित होने का किसी प्रकार विरोध नहीं करते है। परन्तु बोफोर्स से सम्बन्धित दस्तावेज सभा पटल पर रखने के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण के विरोध में हम भी वाकआउट कर रहे हैं।

5.5½ म० म०

इस समय श्री आर० सुधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (बन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जातियों और

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

अनुसूचित जनजातियों का भला नहीं करना चाहते हैं और वह उनके दुश्मन हैं···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

महोदय, हम कुछ नहीं कर सकते परन्तु इस सभा में विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाये गए अपमानजनक दृष्टिकोण की कड़ी निन्दा करते हैं।

महोदय, जब समूची सभा ने इस कदम का समर्थन किया है तो वे अपने नेता की धूमिल छवि को सुधारने के लिए देश के कमजोर वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, जिनके लिए उन्होंने इस विधेयक की चर्चा के दौरान बड़ा दुख व्यक्त किया था--हितों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। सभा के वर्तमान गठन तथा इस संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए मतदान में अपनी भागीदारी को समझने के बावजूद भी उन्होंने देश की जनता को निराश कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले आशंका व्यक्त की थी कि वे देश को दांव पर लगाने के लिए शासन कर रहे हैं। मेरी यह आशंका सच हो गई। हम इस सदन के विपक्ष कांग्रेस (आई) के अपमानजनक, जनविरोधी तथा देश द्रोही दृष्टिकोण की कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार किया, सारा सदन उसकी घोर निन्दा करता है। कांग्रेस पार्टी के साथ जिन लोगों ने वाकआउट किया है, अगर उनकी लिस्ट देखें तो पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और नेशनल कान्फ्रेंस ये सब वाकआउट कर गए। कांग्रेस पार्टी का आज किन लोगों से ताल्लुक है, कौन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और उनके सेकुलरिज्म की क्या पहचान है, इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है। प्रधान मंत्री जी के कहने के बाद, हाथ जोड़कर निवेदन करने के बाद कि गरीब आदमियों, हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो बिल यहां पर आया है, उसका वह समर्थन करें और बाकी सवालों को बीच में न लायें, उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। जिस तरह का ब्लेकमेल करने का और जिस तरह का भयावह वातावरण पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया है, उसके लिए देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उनके वोट के साथ यह बिल पास हो सकता था, इस कारण उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। बदकिस्मती से देश ने उनको इतनी ताकत दे दी है, अगर उनका यही रवैया रहा तो आगे आने वाले समय में उनके पास इतनी ताकत भी नहीं रहेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन को एकमत से उनके इस व्यवहार की निन्दा करनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुझे बड़ा खेद है क्योंकि मैं भी कांग्रेस पार्टी से अपील करने वालों में से एक थी जबकि मुझे निंदा करनी चाहिए थी क्योंकि बोफोर्स से सम्बन्धित जिन दस्तावेजों को वे अब मांग रहे हैं उन्हें बहुत पहले मांग सकते थे। ऐसा किए बिना, सत्ता और अपनी विश्वसनीयता खोने के बाद···अब वे बोफोर्स दस्तावेजों के नाम से इस विधेयक में, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों का उत्थान करना है, रुकावट डालना चाहते हैं। यह खेद की बात है। मुझे विश्वास है कि पिछले चुनावों में जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था वे उसे इस मुद्दे पर वोट नहीं

देंगे। उन्हें यह समझना चाहिए। उन्हें पहले से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि वे अनुरोध के बावजूद भी सहमत नहीं हुए थे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : समूचा देश विशेषत: देश की यह 70 प्रतिशत जनसंख्या का ध्यान आज संसद की तरफ था क्योंकि भूमि सुधार विधेयक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग को सांविधिक मान्यता देने सम्बन्धी विधेयक का उद्देश्य एक तरफ देश की गरीबी दूर करना तथा दूसरी तरफ देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करना है।

यह बड़े शर्म की बात है कि जिन लोगों को जनता ने वोट दिया है उनमें मतदाता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का नैतिक साहस नहीं है। अधिकांश मतदाता यही चाहते है। (व्यवधान)··· उन्होंने बड़ा गलत और निन्दनीय दृष्टिकोण अपनाया है। वे समूचे देश को दांव पर लगाना चाहते है। मैं बाहर के लोगों से अपील करता हूं कि इस सभा के ये 193 सदस्य ही देश को दांव पर नहीं लगा सकते बल्कि बाहर के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार का विधेयक यथा शीघ्र पारित किया जाए। इसलिए मैं भी इसकी निंदा करना चाहता हूं (व्यवधान) इस घटना से हम देख रहे है कि कुछ सदस्यों ने जान-बूझकर बाधा डाली है। महोदय, नियम में किसी सदस्य द्वारा बाधा डालने की व्यवस्था नहीं है। हमने उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर दिया है परन्तु उन्होंने देश की जनता का भला करने के बजाए यह शर्मनाक कार्य किया है जिसकी समूचे देश तथा इस सभा को खुलेआम निन्दा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, हालांकि मैं राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का समर्थन नहीं कर रही लेकिन जो गरीबों और मजलूमों के हित की बात है, उस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि जब 25 मई को आल पार्टी के लीडर्स की मीटिंग हुई थी, 4 दिन पार्लियामेंट को बढ़ाने के लिए उसमें यह बिल रखने थे तो कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय सांसद दिनेश सिंह जी ने यह कहा था, भाई राम विलास पासवान की रिक्वेस्ट पर यह कहा था कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित के बिल आयेंगे और भूमि सुधार के बिल आयेंगे तो हम इन तीनों बिलों का समर्थन करेंगे और बाकी के बारे में अपनी राय स्पष्ट नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने आल पार्टीज के लीडर्स की मीटिंग में 25 मई को कहा था, जिसमें मैं खुद मौजूद थी लेकिन वह अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं, हालांकि मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी और चौधरी देवी लाल जी के रवैये में कोई अन्तर नजर नहीं आता है।·· (व्यवधान)···मेरी यह सुनने वाली बात है। क्योंकि, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यह कहा··· (व्यवधान)···आप सुनिये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि आप बाकीज से सम्बन्धित कागजात सभा पटल पर रखो, तब हम आपको समर्थन देंगे लेकिन चौधरी देवी लाल, जो देश के उप प्रधान मंत्री है, जब 29 मई को मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने इस सिलसिले में उनको बुलाया तो 24 मई को चौधरी देवी लाल जी पहुंचे थे तो चौधरी देवी लाल ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को यह कहा था कि हम मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा देंगे, शर्त यह है कि जाटों को भी मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में शामिल किया जाए। इसलिए कांग्रेस और देवी लाल जी में मुझे कोई अन्तर नजर नहीं आता है।

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ बिल्कुल बे-बुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं मण्डल कमीशन का मुखालिफ नहीं हूं, मैं मण्डल कमीशन का हिमायती हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि हमें पीछे क्यों छोड़ा है। हमारे में और दूसरे जो खेती करने वाले हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। हमें भी साथ में शामिल कर लीजिए। इसके बावजूद मण्डल कमीशन की रिपोर्ट जब भी कैबिनेट में आएगी, मैं उसकी हिमायत करूंगा और इसको भी इन्कल्यूड करने की हम कोशिश करेंगे।···(व्यवधान)···

कुमारी मायावती : मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। यह तो आपको प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए, यहां सदन में कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

विधि मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्रोध से नहीं बल्कि दुख के कारण एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस सभा का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हम इस वर्ष स्वर्गीय डा० भीमराव अम्बेडकर की, जो देश के कमजोर वर्गों के महान प्रवक्ता थे, जन्म शती मनाने जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कांग्रेस सदस्यों ने इस अवसर पर, जिस मुद्दे पर सभा को विभाजित करने के लिए चुना है वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, यह बड़ी निन्दनीय और अनुचित बात है। परन्तु उनका दृष्टिकोण जो भी हो लेकिन हमारा दृष्टिकोण उदार है क्योंकि देश और कमजोर वर्ग ऐसी आन्तरिक कलह नहीं चाहते जैसी हम इस सभा में पैदा कर रहे हैं।

कमजोर वर्ग यह सुनिश्चित कराने के इच्छुक हैं कि उनके हितों की रक्षा हो और वे सुरक्षित रहें। इसलिए हम उनके रवैये की पूर्ण रूप से निन्दा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम इस प्रकार से कार्य करेंगे कि उनकी ओढ़ताड़ की राजनीति के बावजूद हम इस उपाय को विफल नहीं होने देंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, यह बात अत्यन्त वेदनापूर्ण है कि आज कुछ उद्देश्यों व निहित स्वार्थों की प्राप्ति के लिए गरीब आदमी का राजनैतिक बन्धक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सभा तथा सदस्यों ने कांग्रेस (आई) तथा अन्य सदस्यों द्वारा सदन से वाकआउट करने की कार्यवाही की उचित ही निन्दा की है। जैसा कि सभी अन्य सदस्य चाहते हैं, मैं इस मामले को खींचना नहीं चाहता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें अन्य विधेयकों पर भी आज ही चर्चा करनी चाहिए तथा दोनों विधेयकों को कल एक साथ सभा के मतदान के लिए रखा जा सकता है। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं ताकि आपका निर्णय अमान्य न हो। सरकार ने 26 मई, 1990 को ही स्वीडन की सरकार से कहा कि हम सभी पत्रों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं। हमने यह कहा है। हमारा टेलेक्स सन्देश यह है :

> "भारत सरकार का विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में स्वीडिश दूतावास को अपनी शुभ-कामनाएं देता है तथा स्वीडिश दूतावास के दिनांक 23 मई, 1990 के पत्र संख्या 49 का हवाला देता है जिसमें बोफोर्स मामले पर स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो की 1 जून, 1987 की रिपोर्ट के सम्पूर्ण मूल भाग को भारत सरकार को देने के निर्णय की सूचना दी गई है।
>
> स्वीडिश सरकार के इस सकारात्मक निर्णय की भारत सरकार बहुत प्रशंसा करती है।
>
> विदेश मंत्रालय स्वीडिश दूतावास का ध्यान स्टॉकहोम स्थित भारतीय दूतावास द्वारा स्वीडिश विदेश मंत्रालय को दिनांक 21 अप्रैल, 1987 को भेजी गई उस मौखिक सूचना की

ओर आकर्षित करता है जिसमें बोफोर्स ठेके के बारे में हुई वार्ता तथा इसके कार्यान्वयन में बिचौलियों की मौजूदगी के बारे में जांच करने का अनुरोध किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि भारत सरकार इस जानकारी का उपयोग भारतीय संसद में करना चाहेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 21 अगस्त 1987 के स्मरणपत्र के तहत स्वीडिश प्राधिकारियों को भारत सरकार को अभी तक न दिए गए भाग सहित स्वीडिश नैशनल आडिट ब्यूरो की पूरी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया था।"

"भारत सरकार इस बारे में संतुष्ट है कि स्वीडिश नैशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट का सम्पूर्ण मूल भाग भारत की संसद के सम्मुख रखा जाना चाहिए।"

हमने यह बात कही है। इसमें आगे कहा गया है :

"भारत की संसद में भी यह आम मांग है कि पूरी रिपोर्ट संसद के सम्मुख रखी जानी चाहिए।"

हमने सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त किया :

"उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का स्वीडिश नैशनल आडिट ब्यूरो की 1 जून, 1987 की सम्पूर्ण मूल रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखने का विचार है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस अवसर पर पुन: नई दिल्ली स्थित स्वीडिश दूतावास को आग्रह करता है कि इसे उच्चतम प्राथमिकता दी जाए।"

हमें इसी दिन, 20 मई को स्वीडन से यह उत्तर मिला :

"स्वीडिश सरकार भारत सरकार के इस वक्तव्य को गम्भीरता से लेती है कि वह स्वीडिश नैशनल आडिट ब्यूरो की बोफोर्स मामले से सम्बन्धित गुप्त रिपोर्ट के सम्पूर्ण मूल भाग को भारतीय संसद के समक्ष रखना चाहती है। जैसा कि स्वीडिश राजदूत ने 23 मई, 1990 को यह रिपोर्ट भारत सरकार को भेजते समय कहा था, स्वीडिश सरकार द्वारा 1987 में सार्वजनिक नहीं किए गए रिपोर्ट के भाग स्वीडिश गोपनीयता कानूनों के तहत गोपनीय हैं तथा इन्हें अब सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। गोपनीयता रखने का कारण यह है कि रिपोर्ट में बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा एकत्रित संवेदनशील वित्तिक जानकारी है जिसे सरकार द्वारा जारी करने से महत्वपूर्ण स्वीडिश विदेश व्यापार-हितों को नुकसान पहुंचेगा। यदि इसके बावजूद भारत सरकार इस बारे में आगे कार्यवाही करती है तथा स्वीडिश नैशनल आडिट बोर्ड की रिपोर्ट के गुप्त भागों को प्रकाशित करती है तो स्वीडिश सरकार इसे विश्वास का गम्भीर उल्लंघन मानेगी। इससे निःसन्देह स्वीडिश सरकार द्वारा भारत सरकार को अन्य गुप्त अथवा संवेदनशील दस्तावेज भेजने पर प्रभाव पड़ेगा जैसाकि 2 अप्रैल, 1990 के भारतीय विज्ञप्ति तथा अनुरोध-पत्र में अनुरोध किया गया था।"

महोदय, सरकार ने उन पक्षों को संसद के समक्ष लाने का पूरा प्रयास किया जिन पर यह उत्तर दिया गया है। मुद्दा यह है कि अब हमने अपनी ओर से और प्रश्न किए हैं। यहां यह स्पष्ट संकेत है कि यदि हम विश्वास को तोड़ेंगे तो इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी और विपक्ष के सदस्य भी यही चाहते हैं। यह दबाव इसलिए है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रुक जाए, हमारे जानकारी प्राप्त करने के स्रोत खत्म हो जाएं और स्वीडिश सरकार हमारी जांच में हमारे साथ सहयोग न करे और

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

हमें जानकारी न मिले। इसका यही उद्देश्य है तथा इससे गरीब आदमी प्रभावित हो रहे हैं। यदि वे इतने निष्ठावान होते तो जब वे सत्ता में थे तब इसे पेश करते और आज उनका यही लक्ष्य है कि जानकारी प्राप्ति के हमारे स्रोत खत्म हो जाएं और इस कारण जो कुछ हुआ उसका परिणाम आज गरीब लोग भुगत रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। मैं नहीं जानता कि वह उत्तर देने के इच्छुक हैं लेकिन उनके द्वारा उत्तर देने से पहले एक सुझाव आया है कि आपके विधेयक तथा अगले विधेयक, दोनों पर चर्चा हो और इन दोनों पर एक साथ एक ही समय पर आज या कल मतदान हो। सम्भवत: हम इस पर कल कार्यवाही करें क्योंकि इस बारे में आपको फैसला करना है और किसी प्रक्रिया को तय करना है।

मैं सर्वप्रथम माननीय मन्त्री को अपना उत्तर देने की अनुमति देता हूं और फिर हम दूसरा विधेयक लेंगे।

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि जब आल पार्टी लीडर्स की बैठक चल रही थी तो कांग्रेस की तरफ से जो नेता वहां आये थे, दिनेश सिंह जी और वसंत साठे जी। उन दोनों नेताओं ने यह एश्योरेंस दिया था कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है, भूमि सुधार कानून को संविधान की नवीं सूची में डालने का मामला है, इस संबंध में किसी भी तरीके से रुकावट नहीं आयेगी और इन दोनों विधेयकों को पास करने के बाद हम दूसरे मामले पर सरकार के सामने बातचीत करेंगे। लेकिन आज हमको इस बात का दुख है कि विपक्ष के रवैये के कारण आज जो एक महत्वपूर्ण विधेयक संविधान संशोधन विधेयक, जिसके ऊपर करोड़ों लोगों की दृष्टि लगी हुई थी, आज उसको लम्बित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि हम ऐसे मामलों पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं और इसमें न ही सरकार की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न बनाना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के जो करोड़ों लोग हैं उनका भला हो और इसके लिए इस विधेयक को कल के लिए छोड़ दिया गया है।

आपका यह आदेश है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनके संबंध में मैं सरकार का जो इरादा है, सरकार की जो मंशा है, उनके सामने रखने का काम करूं। उपाध्यक्ष जी, हमारे काफी विपक्ष के सदस्य यहां नहीं हैं, उन्होंने हम लोगों के ऊपर चार्ज लगाया था कि हमारी सरकार और हमारी प्रधानमंत्री या मंत्री की हैसियत से हम सिर्फ इस सदन में या सदन के बाहर बोलते हैं, लेकिन हम उसको करते नहीं हैं। मैं आपके द्वारा इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो भी वायदे किये थे, उसमें विपक्ष के सदस्य नहीं है, लेकिन हमने अभी तक जो वायदे किये थे, उन 9 वायदों में से 7 वायदें हम पूरे कर चुके हैं और जो दो वायदें हैं उनको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण की अवधि को 10 साल तक बढ़ाने का काम किया, दूसरा हमने अत्याचार निवारण कानून लागू किया, 30 जनवरी को नोटिफिकेशन किया, तीसरा नव बुद्ध, इस संबंध में राज्य सभा और लोक सभा से विधेयक पास हो गया है, कानून का स्वरूप मिला है और अनुसूचित जाति को जो दर्जा दिया गया है उनको भी वही लाभ मिलेगा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलता है। डा० बाबा साहेब अम्बेडकर को 43 साल तक भारत रत्न की

उपाधि नहीं दी गई, हमारी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी है। वे पूरे का पूरा वर्ष सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया जायेगा और जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति के सोश्यो इकोनोमिक प्रोग्राम्स हैं, जो उनका बकाया कोटा है, इस एक साल के अन्दर इसको लागू करेंगे। यह सरकार ने पक्का इरादा किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर सेंट्रल हाल में लगाई गई है। ये पांच काम हमने कर दिये हैं, दो काम जो बाकी है, यह महत्वपूर्ण काम आज इस सदन में इन दोनों कामों को होना चाहिए था। इसमें एक काम अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का और दूसरा काम है भूमि सुधार कानून को संविधान की नवीं सूची में शामिल करने का, इन दोनों कामों के लिए, यदि इस सदन के विपक्ष के सारे सदस्य इसमें सहयोग देते रहते, तो यह दोनों काम भी हो गये होते।

हम उम्मीद करते हैं कि कल तक या परसों तक यह काम हो जायें तो मैं समझता हूं कि गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। देश के करोड़ों लोगों के लिए लाभकारी होगा। मैं आप से यह कह रहा था कि यह सारे के सारे काम मैंने अब तक दे गिनाये हैं, जिनको हमने किया है। इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि आरक्षण के संबंध में, इसका कड़ाई से पालन किया जाये, इसको लागू किया जाए। मैंने कहा कि हम इसको न सिर्फ लागू कराने जा रहे हैं बल्कि हम उसके लिए विधेयक भी लाने जा रहे हैं। उस विधेयक के माध्यम से निश्चित रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बकाये कोटे को पूरा किया जाएगा, कड़ाई से उसका पालन कराया जाएगा।

सिर पर मैला ढोने के सिस्टम के बारे में मैंने कल भी कहा था, इसको हम एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर दूर करेंगे, इसके लिए टाइमबाउंड प्रोग्राम बनाया जाएगा और इसको समाप्त किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, अभी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक आया, दुर्भाग्य से यह बिल 1978 में भी पास नहीं हो सका और आज 12 वर्ष के बनवास के बाद यह विधेयक फिर इस सदन में आया और अभी भी लम्बित है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के प्रति किसी भी माननीय सदस्य का नैतिक विरोध नहीं था, किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि इस विधेयक में कोई कमी है, फिर भी यह लम्बित है। आपने देखा, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, हमारे पास जो सुझाव आए कि इस आयोग को शक्तिशाली बनाया जाए, इस बारे में जो भी सुझाव हमारे पास आए, अमेंडमेंट लाकर हमने उन सुझावों को स्वीकार करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि यह आयोग इतना महत्वपूर्ण आयोग होगा, इस आयोग को इतने अधिकार दिए गए हैं कि जिससे हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों का, जिनका हर दृष्टिकोण से अधिकार छीनने का काम किया जाता रहा है, उन पर न सिर्फ अंकुश लगाने का काम होगा उसकी जांच करने का काम होगा, न सिर्फ अधिकारियों के श्रवण करने का यह काम करेगा, बल्कि उसको एग्जामिन करने का काम भी करेगा।

कोर्ट आफ इन्क्वायरी की बात कही गई, इसमें यह बात नहीं लिखी गई है लेकिन कोर्ट आफ इन्क्वायरी के जो पावर्स हैं, वे सब इसमें सन्निहित हैं और जो पावर्स बचे है, उसके लिए हमने लिखा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि कानून बनाकर, रूल्स के माध्यम से उसमें और अधिकार जोड़े।

कई माननीय सदस्यों ने और भी बातों का उल्लेख किया है, अभी नव-बौद्धों से संबंधित संशोधन

[श्री राम विलास पासवान]

पर चर्चा करते हुए मैंने बहुत सी बातों का जिक्र कर दिया है, सारी बातों को सदन में विस्तार से रखने का काम किया है, मैं फिर से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने ठीक कहा था, यदि ये दोनों विधेयक पास हो जाते हैं तो हमने चुनाव घोषणा-पत्र में हरिजनों से संबंधित कानून बनाने के जो वायदे किए थे, वे हंड्रेड परसेंट पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मंजिल पूरी हो जाती है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अग्रीड करते रहेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम कोई वादा नहीं करते हैं, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 6 महीने के अन्दर जन्म भर का कोर समाप्त कर देंगे, लेकिन आज जो बायकाट किया गया है वह इस बात का द्योतक है कि जिसको इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ था, जिनका खून चूस कर ये अपनी गद्दी भरने का काम करते थे, यह काम अब आगे चलने वाला नहीं है। आज उनके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई है। आज हिन्दुस्तान का दलित वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक, मजदूर वर्ग, सब कांग्रेस पार्टी से बहुत दूर जा चुके हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस की जो बची खुची मर्यादा थी, महात्मा गांधी और जिन लोगों के सिद्धांतों की ये बात करते थे, इस बायकाट से वे सब बातें खोखली साबित हो गई हैं और साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रियावादी ताकतों के हाथों में पहुंच गई है, सिर्फ वोट इसको दिखाई पड़ता है, टाटा-बिड़ला दिखलाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बोफोर्स की दलाली के मामले में, यह दलाली अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों ने नहीं खाई है, गरीब लोगों ने नहीं खाई है, लेकिन उसका मुआवजा गरीबों को ही पे करना पड़ेगा। लेकिन वह समय भी आने वाला है जब इसका भी जजमेंट होगा। हम भी जमीन से निकले हुए लोग हैं, हम भी देश के कोने-कोने में जाएंगे। मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि देश का आदमी आज शाम से लेकर सुबह तक इस बारे में जानने की कोशिश करेगा। आज जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, नव-बौद्धों से संबंधित संशोधन पर भी यही रवैया रहता, यदि इनको यह मालूम होता कि हमारे सहयोग के बिना यह पास नहीं हो सकता। कोई भी काम जो इनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, उसको ये नहीं करने देना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि सिर्फ कानून बनाने से या कमीशन बनाने से सारा काम नहीं हो जाता है, हमको एक मत बनाकर, एक मन से, डेडीकेटेड होकर समाज के गरीब तबके के लोगों का उत्थान करना है। हम सत्ता में आए हैं, लेकिन सत्ता हमारे लिए कोई सुख की सेज नहीं है, सत्ता हमारे लिए हथियार है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस हथियार का उपयोग हम देश के करोड़ों गरीब लोगों का उत्थान करने के लिए करेंगे। मजदूर के लिए करेंगे, अनुसूचित जाति के लिए करेंगे। मैंने यह चैलेंज किया था कांग्रेस के लोगों को कि अगर हिम्मत है तो सुझाव दें कि यह काम नहीं हुआ है, इस काम को करना है, हम उस काम को करके दिखायेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमारा पक्का इरादा है, बुलन्द इरादा है और हम मंजिल तक पहुंचेंगे। केवल आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। बहुत दूर तक हमने वायदा किया था, हम उतनी ही दूर तक नहीं रहेंगे, बल्कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का निर्माण हो चुका है, डॉ० अम्बेडकर जन्म शताब्दी का निर्माण हो चुका है, अबकी बैठक में बैठ कर हम एक साल का प्रोग्राम चाक-आउट करेंगे और सोशियो इकोनामी प्रोग्रेस है, सामाजिक क्रांति की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हम नये-नये प्रोग्राम चलायेंगे और देखेंगे कि समाज का गरीब तबका, जिसको हजारों सालों से दबा कर रखा हुआ है, जिसकी जुबान पर ताला लगाने का काम किया गया, जिसके हाथ-पैर बांधने का काम किया गया, इस स्वतन्त्र भारत में समान रूप से वे आगे बढ़े है या नहीं। हम चाहते हैं कि वे इस दिशा में आगे ही न बढ़े बल्कि देश की मुख्य धारा में अपनी भी जोड़ सकें।

इस आशा और उम्मीद के साथ जो माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं, मैंने पहले भी कहा था, आपने जो सुझाव दिए हैं, उनके बारे में मैंने अपने भाषण में काफी हद तक बता दिया था, अभी जो चीज बची है वह कोई नयी बात नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके और सुझाव आए हैं, उसको हमारे मंत्रालय के अधिकारी मंत्रालय के पास भेजेंगे और निश्चित रूप से मंत्रालय के द्वारा कार्यवाही होगी। 6 महीने के बाद हम फिर बैठेंगे, आगे भी बैठेंगे और निश्चित रूप से एक एक समस्या पर निर्णय लेने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है या नहीं लिया, हमें समर्थन दिया है, मैं सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपने जो भाषण में बोला था कि मनी का मिस-यूज हुआ है, जो रुपया खर्च हुआ ठीक जगह पर खर्च नहीं हुआ। इसके बारे में भी रिपोर्ट क्या आप सदन में पेश करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : मैंने उस संबंध में कहा था, मैं फिर कहना चाहता हूं कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, केवल पैसा ही न खर्च हो, उन्हें सफीशिएंट पैसा दिया जाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। हम यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि पैसे का सदुपयोग हो। इसके लिए मैंने आर्डर दिया था कि जहां हम पैसा देते हैं और हमें जानकारी मिले कि वहां मिस-यूज हुआ है, उसके ऊपर हमने इन्क्वायरी बैठाने का काम किया है। यदि अधिकारी को दण्डित करने का मामला आएगा तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : बौद्ध गुजरात में अस्पृश्य नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : संविधान की धारा 341 (ए) के मुताबिक राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आने वाले लोगों की सूची तैयार करें। दूसरी बार जब संशोधन करना पड़े, घटाना पड़े या बढ़ाना पड़े, उसके लिए पार्लियामेंट के सामने विधेयक लाया जाता है। मैंने कहा कि उसके लिए हम कम्बीहैंसिव बिल तैयार कर रहे हैं कि किन-किन जातियों को जोड़ रहे हैं। जब वह बिल पार्लियामेंट के सामने आएगा, साथियों को सुझाव देने की पूरी इजाजत रहेगी। पार्लियामेंट का जो निर्णय रहेगा, वही अन्तिम निर्णय माना जाएगा।

श्री चांद राम (हरदोई) : अध्यक्ष महोदय, कई मेम्बर्स ने यहां कहा है बेचारे हरिजन, बेचारे गरीब। मैं कहना चाहता हूं कि सदियों-सदियों से दबाए गए, उपेक्षित किए गए, महरूम किए गए लोगों के लिए आज हमारी ओब्लीगेशन न सिर्फ पूना पैक्ट के लिए, न सिर्फ ऐतिहासिक तौर पर, बल्कि समानता का दर्जा देने और समाज में उनका समावेश करने के लिए, मेन-स्ट्रीम में लाने के लिए है। इस हिसाब से यह कहना कि बेचारे गरीब, यह ओब्लीगेशन नेशन की है, नेशन की ड्यूटी है, उन गरीबों को अधिकार है। जम्हूरियत में, प्रजातंत्र में इस तरह के सैक्शन को, आदिवासियों को, जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को यह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वे टॉयलरस हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि वे मेहनतकश लोग हैं। उनको अधिकार है समानता का, ओवन वर्क करने का। इसलिए उस लिहाज से मिनिस्टर साहब करेंगे तो उसके लिए चाहिए कि बजट में हिस्सा ज्यादा हो, अमीन ज्यादा दें, अकेले कमीशन से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राव : मुझे पहले बोलने के अपने अधिकार से वंचित करने के लिए मैं आपका

[श्री ए० के० राय]

धन्यवाद करता हूं। अब मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं और आपको समय देने या न देने पर आपत्ति करने की भी जरूरत नहीं है।

श्री ए० के० राय : संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत विशेष अधिकारी की कुछ हद तक रिपोर्ट करने की भूमिका थी। वह एक मामले की जांच कर सकता था तथा इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता था। यह रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती थी और हम उस पर वाद-विवाद किया करते थे। लेकिन कुछ लागू करने या कुछ निराकरण करने के लिए उसके पास प्रत्यक्ष रूप में कोई अधिकार नहीं था। उसकी भूमिका सलाह देने/रिपोर्ट करने की थी। अब इस विशेष अधिकारी की बजाय हमारे पास पांच अधिकारियों का आयोग है। वे इस जांच और व्यापक रूप में कर सकते हैं तथा अधिक व्यापक रिपोर्ट पेश कर सकते है। लेकिन वे पीड़ित तथा शोषित गरीब हरिजनों की प्रत्यक्ष रूप में किस प्रकार सहायता कर सकते है ? मैं उनकी भूमिका पर कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस आयोग की भूमिका विशेष अधिकारी से गुणवत्ता की दृष्टि से किस प्रकार भिन्न होगी ?

[हिन्दी]

श्री हेपेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : क्या मंत्री महोदय राजस्थान सरकार को इस बात के लिए बधाई देंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केन्द्र से जो पैसा गया था और उस एक करोड़ चालीस लाख रुपये की राशि में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था तो राज्य सरकार ने उसको पकड़ा है और उसमें आई० ए० एस० अधिकारी भी शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : ए० के० राय साहब ने जो बात कही है जो 338 है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को लाया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना केवल संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिये जा रहे हैं, बल्कि स्टैचूटरी पावर जो कमिशन आफ इंक्वायरी एक्ट है उसे लैस करने जा रहे है। जैसा रामधन जी ने भी कहा था मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो आप संशोधन लाइये। मैं समझता हूं जितने अधिकार दिये गये हैं, नियमों के अन्तर्गत हमको जितने अधिकार देने चाहिए थे उसको देने का काम सरकार ने किया है। यदि कोई माननीय सदस्य और सुझाव देना चाहें और अधिकार देने की बात करना चाहें तो दीजिए। हम उस पर विचार करेंगे। उसके लिए एक क्लाज छोड़ दी है कि राष्ट्रपति महोदय समय-समय पर चाहें तो निर्णय कर सकते है, अधिकार दे सकते है। इसमे न सिर्फ इन्वेस्टीगेट करेगा, न जांच करेगा, न अधिकारियों को सम्मन करेगा, बल्कि यह भी है कि केन्द्र की और राज्य की जो योजनायें बनेंगी उसमें कमिशन के चेयरमैन से विचार विमर्श करेंगे। ये सारी चीजें हैं, हम लोगों ने इसको बहुत सोच-समझ कर बनाने का काम किया है, किसी भी एंगल से इसको नहीं छोड़ा है, किसी भी दृष्टिकोण से इसके किसी भी अंग को कम नहीं आंका है। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

———

[अनुवाद]

5.39 म० प०

संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : मैं, श्री देवी लाल की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के प्रारम्भिक दिनों से भूमि सुधार संबंधी बातें हो रही है और यह आज हमारे सामने जो बिल आया है और पेश है, उसे मैं माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रख रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री सुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के इतिहास में भूमि सुधारों के संदर्भ में संविधान का यह संशोधन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। हमारे राष्ट्र में सबसे ज्यादा भूमि की काश्त करने वाले किसान अपना जीवन यापन करते है। दुर्भाग्य से चिरकाल से उनका शोषण होता रहा। जब हमारा संविधान बना, हमारे सारे राष्ट्र में जागीरदारी, जमींदारी को समाप्त करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए लेकिन दुर्भाग्य से न्यायपालिकाओं द्वारा समय-समय पर संविधान के मूल अधिकारों फण्डामेंटल राईट्स को लेकर के उनमें से कई ऐसे कानूनों को निरस्त कर दिया गया और इसके कारण यह संशोधन आया। हमने संविधान की धारा 31 ए इसके लिए रखी कि केवल मुआवजा पूरा दिया या नहीं दिया जाय, कोई कानून को निरस्त नहीं किया जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्दर एक संघर्ष चलता रहा और निजी स्वार्थ के लोगों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता रहा और समय-समय पर संशोधन किए गए और 25वां संशोधन हुआ, 42वां संशोधन हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 9वें शेड्यूल में 31 बी, 31 सी का है। इसको लाकर के संविधान में एक ऐसी स्थिति बनायी जिसके कारण से निजी स्वार्थ बार-बार तकनीकी कानून के माध्यम से ऐसे प्रगतिशील कानून को निरस्त नहीं कर सकें।

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह रही कि फिर जब कोई कानून बनें, हमारे काश्तकारों को या भूमिहीन किसानों को उसका लाभ नहीं मिला और इसके कारण से आज 9वें शेड्यूल में बहुत सारे कानून जिनको या तो विभिन्न हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है या कानून को निरस्त करने की याचिका चल रही है। उन सबको 9वें शेड्यूल में लाकर और संविधान की धारा 31बी के अन्दर उनको प्रोटेक्शन अम्ब्रेला सोशिल जस्टिस डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज के अन्दर और 39बी में लिखा हुआ है और अन्य में भी लिखा हुआ है कि जितने भी साधन हैं, जितना देश के अन्दर धन है, देश की भूमि है, देश में जो भी उपलब्ध हैं, उसका लाभ इस देश के निवासियों को पूर्ण रूप से मिलेगा और बिना किसी भेदभाव के मिलेगा। अतः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज 9वें शेड्यूल में आज संशोधन किया जा रहा है, यह स्वागत योग्य है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने वामनराव के केस में, केशव भारती के केस में, भीमसिंह के केस में और अन्य मुकदमों के अन्दर अनेक मुकदमों में बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब-जब, जहां-जहां सोश्यल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, प्रगति के लिए, देश के गरीबों की खुशहाली के लिए कानून बनते हैं तो न्यायालय का रवैया भी ऐसा होना चाहिए कि उन कानूनों को जहां तक हो सके संवैधानिक घोषित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस देश में जितने भी निर्णय हुए, उन निर्णयों के पश्चात्, केशवानन्द भारती के मामले में निर्णय आने के बाद, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बन गयी। उसमें उन्होंने यह कहा कि संविधान के बेसिक फीचर्स का यदि कभी हनन होगा तो चाहे वह कोई भी कानून हो, उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होगी। बेसिक फीचर्स को लेकर यहां बहुत विवाद रहा। जस्टिस कृष्णा अइयर और अन्य कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि केशवानन्द भारती एक ऐसा घोस्ट है, भूत है, जिसको लेकर बार-बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है परन्तु फिर भी उस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग मैं यहां नहीं करता। इतना अवश्य कहूंगा कि अब वह समय आ गया है जब हमें यह कहना चाहिए कि आज के युग में जितने विचारक है, दार्शनिक है, जितने हम सांसद यहां चुनकर आते हैं, कुछ राजनैतिक दर्शन भी होता है, आज से 40 - 45 साल पहले जो व्यक्ति आज के युग की आवश्यकताओं का अनुभव नहीं कर सके, उन्हें उस दर्शन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आज स्थिति यह है कि 40—42 साल आजादी को मिले हो गये परन्तु अभी तक हम इस देश से गरीबी नहीं मिटा सके। आज भी करोड़ों की तादाद में भूमिहीन इस देश में है। एक कवि मणिपाल भण्डारी ने किसानों के सम्बन्ध में बहुत अच्छी कविता की है। उसका कहना है कि किसान भूमि को जोतता है, बोता है, अपना खून पसीना बहाता है, सावन भादों किसी चीज की परवाह नहीं करता, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वह अपना जीवन अर्पित करके खेत से धान पैदा करता है, लेकिन जब उसका धान बाजार में जाता है तो उसका फायदा उसे नहीं मिल पाता। यही कारण है कि उसका परिवार भूखों मर जाता है। कविता इस तरह है :

ऊंची धोती अधखुले पांव कंधे पर गज भर का टुकड़ा,
सर पर पगड़ी, कर में लकड़ी, तन का कपड़ा चिथड़ा-चिथड़ा।
खाने को मुट्ठी भर दाने, ठुकराता माल खजानों को,
उसकी माटी में हंस करके, हंसाता जग के दीवानों को।
खाई खड्ड नल नालों को, सूखे तालों को सींच सींच,
आगे जाता, पीछे आता, छोटे बैलों को खींच खींच।

जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको है ठुकराता,
उसकी हड्डी को नोच नोच, जग वैभव भवन बनाता।
जग की जूठन के थाल भरे, बेकार भले ही यों जाती,
रोटी के खातिर रिंग रिंग कर उसके बच्चे हैं मर जाते।

उपाध्यक्ष महोदय, यह करुण कहानी, यह व्यथा, यह कथा इस देश के किसान की है। इसलिए सदन में संविधान के नौवें शैड्यूल में लाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, उसका स्वागत करने के साथ-साथ मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज केवल इस संशोधन से ही काम चलने वाला नहीं है, इससे पहले भी हमने अनेक संशोधन किये, उनके क्या परिणाम हमारे सामने आये, उसे भी देखना होगा। जब इस देश में भूमिहीनों को भूमि देने की बात चली, लैंड सीलिंग कानून बनाया गया तो सरप्लस जमीन किसे मिला ? हमारे राजस्थान का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिन्हें सुनाना चाहता था वे तो सदन से उठकर चले गये, क्योंकि जब-जब इस देश के किसानों की बात हुई, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की बात हुई, पिछले 40 सालों में इन लोगों का नाम ले लेकर, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा और इस तरह भारत का शोषण होता रहा। आज उनमें से किसी में यह हिम्मत नहीं कि सदन में आकर इस संशोधन विधेयक का समर्थन करें। हमारे राजस्थान के एक मंत्री थे, उन्होंने भूमिहीन बनकर, लैंड सीलिंग का कानून बनने के बाद, अपनी सारी की सारी जमीन, गिरदावरी के अन्दर, अपनी बकरियों, भैंसों, गायों और दूसरे जानवरों के नाम लिख दी, आवंटित करा दी। गायों, भैंसों और दूसरे जानवरों के नाम आवंटित करा कर खुद उस जमीन पर कब्जा जमाये रखा जिससे किसी भूमिहीन को कोई भूमि नहीं मिल पायी। आज भी भूमिहीन उसी रूप में है, उसी स्थिति में है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में मैं कांग्रेस कमिटि का अध्यक्ष था और एक बार मैं कोटा गया। कोटा में सहरिये लोग रहते हैं। वैसे स्वयं उन सहरियों के बीच जाकर देखा कि यद्यपि उन्हें जमीन तो मिली हुई है, लेकिन जमीन पर कब्जा उनका नहीं है। उनकी जमीन पर पंजाब के किसी बड़े सरमायेदार ने कब्जा जमाया हुआ है। जब मैंने कलेक्टी के अध्यक्ष के नाते उससे पूछा, जिसके पास गरीबी के कारण न तो तन पर कपड़ा था, न खाने को खाने थे, जिसका गरीबी के कारण बुरा हाल था, कि तुम्हें जमीन अलॉट हुई थी, उसका क्या हुआ तो उसने जवाब दिया कि मेरी भूमि गिरदावरी में लिखी हुई है, लेकिन इससे आगे वह पूरा वाक्य नहीं कह सका और कबूतर की तरह चुप होकर रह गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिलाधीश से पूछा, यह क्या बात है, अच्छे यह अपना बयान दे रहा था और कह रहा था कि यह मेरी भूमि है और अब यह चुप हो गया ? उसने कहा यह देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह जो इस सारे एरिया के अन्दर सहरियों का मालिक बना बैठा है, वह रेकमेंडेशन लाता है केन्द्र सरकार से, मंत्रियों से और भूमिहीन किसानों को भूमि नहीं मिलती। उसके सामने वह कांपने लगा, बोल नहीं सका, रो नहीं सका, चिल्ला नहीं सका, आंसू भी नहीं बहा सका।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि देश में अधिकतर सीलिंग कानून जो बने, उनकी पालना नहीं हुई। मैं तो बधाई दूंगा वेस्ट बेंगाल गवर्नमेंट को जिसने बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी तादाद में की है, लेकिन अन्य राज्यों में कोर्ट के अन्दर आज फंसे हुए हैं। दस हजार मुकदमे, बीस हजार मुकदमे, कर्नाटक में 70 हजार मुकदमे और स्टे आर्डर से आते हैं। इसके कारण वह भूमि एक-दो बार क्या दस बार अलॉट होती है और भूमिहीन किसानों को अलॉट होने के बाद में वे कब्जा नहीं कर पाते, कब्जा करने के पहले रिट याचिका लग जाती है। रिट याचिका में बड़े-बड़े चांदी के सिक्के वाले,

[श्री गुमान मल लोढा]

बैलीवाही लोग बड़े-बड़े एडवोकेट्स को लेकर, तर्कों को लेकर स्टे आर्डर जारी करवा लेते हैं और स्टे आर्डर के बाद भूमिहीन किसान भूमिहीन ही रह जाता है। क्योंकि वह न 145 का मुकदमा लड़ सकता है न रिट याचिका लड़ सकता है, उसके पास कहां इतने साधन हैं। वहां से स्टे आर्डर होने के बाद में, सरकारी वकील अधिकतर लेट-लतीफी से काम करते रहते हैं और इस प्रकार से 10 साल, बीस साल और पच्चीस साल तक स्टे-आर्डर जारी रहते हैं और उसके बाद एक अमेण्डमेण्ट होता है और फिर एस० डी० एम० की कोर्ट से लेकर तहसीलदार की कोर्ट तक वह चलता है और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक आने में 25 साल लग जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा, चौधरी साहिब यहां विराजमान हैं, अन्य मंत्रिगण बैठे हुए हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, आपको इस बात के लिए दृढ़ करनी पड़ेगी कि भूमिहीन किसान को इस देश की धरती के किसान को, जो अन्न पैदा करता है, उसको भूमि मिल सके, उस भूमि का वह सही मालिक बन सके और भूमि का सही वितरण हो सके। हमने संविधान में कहा है, वी दि पीपल आफ इंडिया, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय सबको देंगे, यह हमने अपने प्रिएम्बल में लिखा है और ढिंढोरा पीटा है सारी दुनिया के अन्दर, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाषचन्द्र बोस और चौधरी चरण सिंह के नाम से प्रेरणा लेकर, सारे विश्व में कहा कि यह राज्य किसानों का राज्य है, लेकिन क्या उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है ? उपाध्यक्ष महोदय, आज गांव-गांव में जाकर देखिए, आपको पता लगेगा कि सीलिंग लॉ का सबसे बड़ा फॉड इस देश में हुआ है। अगर इस देश में किसी कानून का हनन हुआ है, तो वह सीलिंग लॉ का हुआ है। आज भी देश में मैकेनाइज्ड फार्म हैं, उनके अन्दर, जहां पर सीलिंग कानून बना हुआ था, उनको फ्लाउट किया जाता है और बेनामी ट्रांजैक्शन्स होते हैं। गलत तरीके से उनका जुडीशियल प्रोसैस किया जाता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा उपाध्यक्ष महोदय, जिस भूमिहीन किसान को जमीन मिलेगी, वह उसको बेच नहीं सकेगा, यह इसलिए कहा गया है, ताकि वह जमीन को रखे, एक बार पैसा लेकर, बेचकर फिर भूमिहीन न बन जाए, लेकिन किया क्या जाता है, कोर्ट में जाकर, राजीनामा करके, कंसेण्ट लेकर के, फिर उस भूमिहीन को उस भूमि से बेदखल कर दिया जाता है और फिर वह किसान भूमिहीन होकर सिसकता रहता है, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है और आंसू बहाता रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मिर्धा बर्सेस भौंदू के केस में, जब मैं न्यायाधीश था, तब मेरे सामने ऐसा मामला आया, तो मैंने कहा, यह भूमिहीन किसान हो, शैड्यूल्ड कास्ट्स हो, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हो, यदि उसकी जमीन को किसी ने बेच दिया है राजीनामा करके, तो उसको कोर्ट में जाकर डिक्री लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर 50 साल के बाद भी स्याद का कानून लागू नहीं होगा और उसको वह भूमि वापस दिलाना इस समाजवादी सरकार का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम इस प्रकार से लैंड-रिफार्म को इम्पलीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कागजों में कानून बनाने से काम नहीं चलेगा और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करने के पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा और जो वास्तव में इस देश के लिए बहुत बड़ा संकल्प है, उन्होंने भीमसिंह बर्सेस यूनियन आफ इंडिया (1981 सुप्रीम कोर्ट) में यह प्रश्न उठाया है और कहा है कि जब संविधान बना था, उस समय संविधान बनाते समय, संविधान के निर्माताओं ने क्या कहा था···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आप कल कन्टीन्यू कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा : महोदय मैं कल अपना भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 मई, 1990/9 ज्येष्ठ, 1912 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53